2022

जिला
आपदा प्रबंधन योजना, बक्सर

आपदा नहीं हो भारी
यदि पूरी हो तैयारी..

जिला आपदा प्रबंधन योजना, बक्सर
अनुक्रमणिका

	विषय	पेज सं.
	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं जिला आपदा प्रबंधन योजना Disaster Management Act-2005 & District Disaster Management Plan	
	1.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अंतगर्त जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संबंधी अध्याय	1
	1.2 उद्देश्य	6
	1.3 योजना का कार्यक्षेत्र	7
अध्याय 1	1.4 योजना निर्माण पद्धति	7
	1.5 योजना का कार्यान्वयन	9
	1.5.1 मुख्य हितधारक तथा उनके दायित्व	9
	1.6 योजना की समीक्षा तथा अद्यतनीकरण	11
	जिले का परिचय District Profile	
	2.1 परिचय	12
	2.2 जलवायु	14
	2.2.1 मुख्य फसल	14
अध्याय 2	2.2.2 वर्षापात	14
	2.3 जनसंख्या विवरण	14
	2.4.1 2011 जनगणना के प्रमुख तथ्य	14
	2.4 पशुपालन	16
	2.5. संसाधन	17
	2.6 परिवहन	17

अध्याय 3

खतरा, जोखिम, सवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण

Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Analysis

3.1 जिला के विभिन्न खतरों का विवरण 18

3.2 जिला में आपदाओं, संवेदनशीलता एवं जोखिमों का विश्लेषण 19

3.2.1 बाढ़ 19

3.2.1.1 बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 19

3.2.1.2 बाढ़ से होने वाली क्षति 19

3.2.1.3 बाढ़ प्रबंधन के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन

3.2.2 भूकम्प 26

3.2.2.1 भूकम्प से क्षति के कारक 27

3.2.2.2 संभावित क्षति का अनुमान 27

3.2.2.3 भूकम्प का इतिहास 27

3.2.2.4 भूकम्प के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन 28

3.2.3 अगलगी 28

3.2.3.1 अगलगी का मुख्य कारण 29

3.2.3.2 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षति का आकलन 29

3.2.3.2 अगलगी के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन 29

3.2.4 वज्रपात

3.2.4.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षति का आकलन 30

3.2.4.2 राज्य में वज्रपात से मृत्यू का आकलन 31

3.2.4.3 वज्रपात से बचाव के उपाय 31

3.2.4.4 वज्रपात से संबंधित प्रश्नोत्तर 32

3.2.5 सूखा 32

3.2.5.1 सूखा के संकेतक 32

3.2.5.2 सूखा से प्रभावित क्षेत्र एंव इसका प्रभाव 33

3.2.4.3 सूखा के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन 33

3.2.6 सड़क दुर्घटना 33

3.2.6.1 दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र 35

3.2.6.2 सड़क दुर्घटना के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन 35

3.2.7 डूबने से होने वाली मृत्यु एवं उसका विश्लेषण 35

3.2.7.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षति का आकलन 36

3.2.8 भगदड़ 36

3.2.9 महावारी 37

3.2.10 शीतलहर 37

3.2.11 लू 38

3.2.12 सर्पदंश 39

	संस्थागत ढाँचा Instituional Arrangement	40
अध्याय 4	4.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	41
	4.2 पंचायती राज संस्थाये	41
	4.3 समुदाय आधारित संगठन :	41
	आपदा निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के उपाय Prevention, Mitigation and Preparedness Measures	44
अध्याय 5	5.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड–मैप	44
	5.2 पंचायत/प्रखंड एवं जिला स्तर पर आपदा निवारण, शमन तथा पूर्व तैयारी हेतु किए जाने वाले कार्य	46
	संस्थागत क्षमतावर्द्धन (Institutional Capacity Building)	54
अध्याय 6	6.1 संस्थागत क्षमतावर्द्धन	54
	6.2 क्षमतावर्द्धन हेतु प्रशिक्षण के विषय	55
	6.3 जागरूकता सृजन	57
	प्रत्युत्तर योजना Response Plan	58
	7.1 प्रत्युत्तर प्रक्रिया	59
	7.1.1 Incident Response Commander का दायित्व	60
	7.1.2 जिला में हितधारकों एवं उनकी कार्ययोजना	61
अध्याय 7	7.2 आपदा की स्थिति में सामान्य कार्य	62
	7.3 प्रत्युत्तर कार्यों का अनुश्रवण	64
	7.3.1 संचार एवं पूर्व चेतना प्रणाली	64
	7.3.2 कार्यो का निदेशन तथा समन्वय	65
	7.3.3 खोज, बचाव, राहत काय	66
	7.3.4 शव एवं मलवा निपटान	67

	पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्प्राप्ति Reconstruction, Rehabilitation , Recovery	68
अध्याय 8	8.1 क्षति आकलन	69
	8.2 पीड़ितो को राहत	70
	8.3 आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन	71
	8.4 जीवन प्रदायी भवनो की	71
	बजट एवं वित्तीय संसाधन Budget and Financial Resources	72
अध्याय 9	9.1 अधिनियम में प्रावधान	72
	9.2 विभिन्न निधि स्त्रोत	72
	9.3 केन्द्रीय/राज्य योजना एवं गैर योजना कार्यक्रम	72
	9.4 प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के लिए निर्धारित साहाय्य मानदर।	74
	9.5 अन्य श्रोत	93
	अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण Monitoring Evaluation and Updation	94
अध्याय 10	10.1 योजना का अनुश्रवण एंव मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन	94
	10.1.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराय	94
	10.1.2 योजना क्रियान्वयन का नियमित पुनर्विलोकन	94
	10.1.3 भीषण आपदा के समय योजना का प्रभावशीलता की जाँ	95
	10.1.4 उपलब्ध संसाधन सूची को अद्यतन करना :–	95
	10.1.5 नियमित मॉकड्रील द्वारा योजना की प्रभावकता की जाँच	95
	10.1.6 योजना क्रियान्वयन के लिए उन्मुखीकरण तथा प्रशिक्षण	95
	10.1.7 योजना का अद्यतनीकरन	96
	10.1.8 योजना की प्रतियों का वितरण	96
	10.1.9 समन्वय	96
	10.1.10 जन जागरूकता	94

अध्याय–01

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं जिला आपदा प्रबंधन योजना

Disaster Management Act-2005 & District Disaster Management Plan

1.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अंतगर्त जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संबंधी अध्याय :

अनुभाग(क) भारत का राजपत्र असाधारण

आपदा प्रबंधन अधिनियम

2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 53)

आपदाओं के प्रभावी प्रबन्धन और उससे संबंधित या उसके आनुशंगिक विशयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित

आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के कंडिका 01 की उपधारा 2 (घ) के अनुसारः–

"आपदा" से किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्‌भूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिश्ष्ट, विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेत है जिसका परिणाम जीवन की सारवान् हानि या मानवीय पीड़ाएं, या संपत्ति का नुकसान और विनाश या पर्यावरण का नुकसान या अवक्रमण है और ऐसी प्रकृति या परिमाण का है, जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के कंडिका 01 की उपधारा 2 (ड़) के अनुसारः–

"आपदा प्रबंधन" से योजना, संगठन, समन्वयन और कार्यान्वियन की निरन्तर और एकीकृत प्रक्रिया अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक या समीचीन है :

i. *किसी आपदा के खतरे या उसकी आशंका का निवारण*
ii. *किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणामों के जोखिम का शमन या कमी*
iii. *क्षमता निर्माण*
iv. *किसी आपदा से निपटने के जिए तैयारियां*
v. *किसी आपदा की आशंका की स्थिति या इापदा से तुरंत बचाव*
vi. *किसी आपदा के प्रभाव की गंभीरता या परिणाम का निर्धारण*
vii. *निष्क्रमण, बचाव, और राहत*
viii. *पुनर्वास और पुनर्निर्माण।*

आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के अध्याय 04 के कंडिकाः–

25.

1) प्रत्येक राज्य सरकार, धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात यथाशीध राज्य में प्रत्येक जिले के लिए ऐसे नाम से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करेगी।
2) जिला प्राधिकरण में अध्यक्ष और सात से अनधिक उतने अन्य सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाए और जब तक कि नियमों में अन्यथा उपबंध न किया जाए, इसमें निम्नलिखित होगे अर्थातः–
   (क) जिले का, यथास्थिति, कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त जो पदेन अध्यक्ष होगा;
   (ख) स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित प्रतिनिधि जो पदेन सह–अध्यक्ष होगाः परन्तु संविधान की छठी अनुसूची में जैसी निर्दिष्ट है, जनजाति क्षेत्रों में, स्वशासी जिले की जिला परिषद् का मुख्य कार्यपालक सदस्य, पदेन सह–अध्यक्ष होगा;
   (ग) जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यापालक अधिकारी, पदेन;
   (ध) पुलिस अधीक्षक, पदेन;
   (ड़) जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पदेन;
   (च) दो से अनधिक जिला स्तर के अन्य अधिकारी जिन्हे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
3) ऐसे किसी जिले में जहॉ जिला परिषद विद्यमान है, उसका अध्यक्ष जिला प्राधिकरण का सह–अध्यक्ष होगा।
4) राज्य सरकार जिले के किसी ऐसे अधिकारी को, जो, यथास्थिति, अपर कलक्टर या अपर जिला मजिस्ट्रेट या अपर उपायुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए जो, राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाएं और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए जो जिला प्राधिकरण द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं, जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करेगी।

26.

1) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, जिला प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो जिला प्राधिकरण उसे प्रत्यायोजित करे।
2) जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष को, आपात की दशा में, जिला प्राधिकरण की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग जिला प्राधिकरण के कार्योतर अनुसमर्थन के अधीन रहते हुए होगा।
3) जिला प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, साधरण या विशेष लिखित आदेश द्वारा यथास्थिति उपधारा, (1) या उपधारा (2) के अधीन अपनी शक्यिों और कृत्यों में से ऐसी शक्तियां और कृत्य, जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसी शर्तो और निबंधनों, यदि कोई हो, जिन्हे वह ठीक समझे, के अधीन रहते हुए, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

27. जिला प्राधिकरण का अधिवेशन जब कभी आवश्यक हो ऐसे समय और स्थान पर होगा जिसे अध्यक्ष ठीक समझे।

28.

1) जिला प्राधिकरण, जब भी वह आवश्यक समझे, अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए एक या अधिक सलाहकार समितियों और अन्य समितियों का गठन कर सकेगा।
2) जिला प्राधिकरण अपने सदस्यों में से उपधारा (1) में निदिष्ट समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।
3) उपधारा (1) के अधीन गठित किसी समिति या उपसमिति में विशेषज्ञ के रूप में सहयुक्त किसी व्यक्ति को ऐसे भते संदत किए जा सकेगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

29. राज्य सरकार जिला प्राधिकरण को उतने अधिकारी, परामर्शदाता और अन्य कर्मचारी उपलबध कराएगी जितने वह जिला प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

30.

1) जिला प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए जिला योजना, समन्वयन और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्टीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदशक सिद्वांतों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए सभी उपाय करेगा।

2) जिला प्राधिकरण, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिनाः–

(i) जिले के लिए जिला मोचन योजना सहित आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर सकेगा;

(ii) राष्टीय नीति, राज्य नीति, राष्टीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वियन का समन्वय और मानीटरी कर सकेगा;

(iii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिले में आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है और आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों द्वारा तथा स्थानिय प्राधिकारियों द्वारा किए गये है;

(iv) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के निवारण, उनके प्रभावों के शमन, तैयारी के और राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अधिकथित मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाता है;

(v) विभिन्न जिला स्तर के प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों को आपदाओं के निवारण या शमन के लिए ऐसे अन्य उपाय करने के लिए निदेश दे सकेगा, जो आवश्यक हो;

(vi) जिला स्तर पर सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण प्रबंधन योजनओं के लिए मार्गदर्शक सिद्वांत अधिकथित कर सकेगा;

(vii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा योजनओं के कार्यान्वियन को मानीटर कर सकेगा;

(viii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा अपनी योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण और शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए अनुसरित किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्वांत अधिकथित कर सकेगा और उनके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा;

(ix) खंड (viii) में निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वियन को मानीटर कर सकेगा;

(x) जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य क्षमताओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे निदेश दे सकेगा, जो आवश्यक है;

(xi) तैयारी उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबद्व विभागों या संबद्व प्राधिकारियों को जहॉं किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों को अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हो, निदेश दे सकेगा।

(xii) जिले के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, कर्मचारीयों और स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर सकेगा और उनका समन्वयन कर सकेगा;

(xiii) आपदा निवारण या शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को सुकर बना सकेगा;

(xiv) जनता को पूर्व चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना कर सकेगा उसका अनुरक्षण कर सकेगा, पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा;

(xv) जिला स्तर मोचन योजना और मार्गदर्शक सिद्वांतों को बना सकेगा, उनका पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा;

(xvi) किसी आपदा के आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन का समन्वयन कर सकेगा;

(xvii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी जिला मोचन योजना के अनुसरण में अपनी मोचन योजना तैयार करें;

(xviii) जिला स्तर पर संबंद्व सरकारी विभाग या जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर अन्य प्राधिकरी के लिए किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्वांत अधिकथित कर सकेगा या उन्हें निदेश दे सकेगा;

(xix) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी निकायों और जिले में आपदा प्रबंधन में लगे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को सलाह दे सकेगा, उनकी सहायता कर सकेगा और उनके क्रियाकलापों का समन्वयन कर सकेगा;

(xx) यह सुनिश्चित करने के लिए जिले में आपदा स्थिति की आशंका की या आपदा के निवारण या उसके शमन के लिए उपायों को तत्परता से और प्रभावी रूप से किया जा रहा है, जिले में स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वयन कर सकेगा और उसकी मार्गनिर्देश दे सकेगा;

(xxi) जिले में स्थानीय प्राधिकारियों को उनके कृत्यों को करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा या उन्हे सलाह दे सकेगा;

(xxii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण या उनका शमन करने लिए तैयार की गई विकास योजनाओं में आवश्यक उपबंधो को ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्विलोकन कर सकेगा;

(xxiii) जिले के किसी क्षेत्र में सन्निर्माण की जॉच कर सकेगा और यदि उसकी यह राय हो कि आपदा निवारण या उसके शमन के लिए ऐसे सन्निर्माणों के लिए अधिकथिक मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है या उनका पालन नहीं किया गया है, संबद्ध प्राधिकारी को ऐसी कार्रवाई के लिए जो ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, निदेश दे सकेगा;

(xxiv) ऐसे भवनों और स्थानों की पहचान कर सकेगा जिनका किसी आपदा की आंशका या आपदा की घटना की स्थिति में राहत केन्द्रों या शिविरों के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा और ऐसे भवनों और स्थानों में जल प्रदाय तथा स्वच्छता की व्यवस्था कर सकेगा;

(xxv) राहत संचय और बचाव सामग्री की स्थापना कर सकेगा या किसी अल्प सूचना पर ऐसी सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी को सुनिश्चित कर सकेगा;

(xxvi) आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में राज्य प्राधिकरण को सूचना दें सकेगा;

(xxvii) जिले में प्रारंभिक स्तर पर कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संस्थाओं को आपदा प्रबंधन में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगा;

(xxviii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि संचार प्रणालियां ठीक है और आपदा प्रबंधन कवायद कालिक रूप से की जा रही है;

(xxix) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन कर सकेगा जो उसे राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किए जाएं या जिले में आपदा प्रबंधन के लिए जो आवश्यक समझे जाएं।

31.

1) राज्य के प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन हेतु एक योजना होगी।
2) जिला प्राधिकरण द्वारा, स्थानीय प्राधिकारियों से परामर्श करने के पश्चात् और राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना को ध्यान में रखते हुए जिला योजना तैयार की जाएगी जिसे राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
3) जिला योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा—
   (क) जिले में ऐसे क्षेत्र जो आपदाओं के विभिन्न रूपों से संवेदनशील है;
   (ख) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले के स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा के निवारण और शमन के लिए किए जाने वाले उपाय;
   (ग) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन के लिए अपेक्षित क्षमता निर्माण और उनकी तैयारी के उपाय;
   (घ) किसी आपदा की दशा में, मोचना योजनाएं और प्रक्रियाएं, जिनमें निम्नलिखित के लिए उपबंध हों—
      (i) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्वों का आवंटन;
      (ii) आपदा का तुरंत मोचन और उससे राहत;
      (iii) आवश्यक संसाधनों का उपापन;
      (iv) संचार सम्पर्क की स्थापना; और
      (v) जनता को सूचना का प्रसार;
   (ड.) ऐसे अन्य विषय जो राज्य प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो।
4) जिला योजना का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसे अद्यतन किया जाएगा।
5) उपधारा (2) और उपधारा (4) में निर्दिष्ट जिला योजना की प्रतियां जिले में सरकारी विभागों को उपलब्ध कराई जाएंगी।
6) जिला प्राधिकरण जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा जिसे वह राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

7) जिला प्राधिकरण समय–समय पर, योजना के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा और जिले में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा जिन्हें वह कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे।

32. जिला स्तर पर भारत सरकार और राज्य सरकार का प्रत्येक कार्यालय और स्थानीय जिला प्राधिकारी जिला प्राधिकरण के पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए–

(क) आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेंगें जिसमें निम्नलिखित उपवर्णित होगा, अर्थात्:–

(1) जिला योजना में यथाउपबंधित निवारण और शमन उपायों के लिए उपबंध जो संबद्ध विभाग या अभिकरण को समनुदेशित है;

(2) जिला योजना में यथा अधिकथित क्षमता निर्माण और तैयारी से संबंधित उपायों को करने के उपबंध;

(3) किसी आपदा की आशंका या आपदा की दशा में, मोचन योजनाएं और प्रक्रियाएं;

(ख) जिला स्तर पर अन्य संगठनों, जिनके अंतर्गत स्थानीय समुदाय और अन्य स्थानीय प्राधिकारी समुदाय और अन्य पणधारी भी हैं, की योजनाओं के साथ अपनी योजना को तैयार और उसके कार्यान्वयन को समन्वित करेंगे;

(ग) योजना का नियमित रूप से पुनर्विलोकन करेंगे और उसे अद्यतन करेंगे; और

(घ) जिला प्राधिकरण को अपनी आपदा प्रबंधन योजना और उसके किसी संशोधन की एक प्रति प्रस्तुत करेंगे।

33. जिला प्राधिकरण आदेश द्वारा, जिला स्तर पर किसी अधिकारी या किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह आपदा निवारण या उसके शमन के लिए या उसके प्रभावी रूप से मोचन के लिए ऐसे उपाय करें, जो आवश्यक हों और ऐसा अधिकारी या विभाग ऐसे आदेश का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

34. किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में समुदाय की सहायता करने, उसका संरक्षण करने या उसे राहत उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए, जिला प्राधिकरण–

क) *जिले में किसी सरकारी विभाग और स्थानीय प्राधिकारी के पास उपलब्ध संसाधनों की निकासी और उपयोग के लिए निदेश दे सकेगा;*

ख) *अतिसंदेनशील या प्रभावित क्षेत्र में या उससे अथवा उसके भीतर के आवागन को नियंत्रित और निबंधित कर सकेगा;*

ग) *किसी अतिसंवेदनशील या प्रभावित क्षेत्र में किसी व्यक्ति के प्रवेश, उसके भीतर, उसके संचरण और उससे उसके प्रस्थान को नियंत्रित और निबंधित कर सकेगा;*

घ) *मलवा हटा सकेगा, तलाशी ले सकेगा और बचाव कार्य कर सकेगा;*

ङ) *आश्रय, भोजन, पीने का पानी और आवश्यक सामग्री, स्वास्थ्य देखरेख और सेवाएं उपलब्ध करा सकेगा;*

च) *प्रभावित क्षेत्र में आपात संचार प्रणालियों की स्थापना कर सकेगा;*

छ) *अदावाकृत शवों के निपटारे के लिए इंतजाम कर सकेगा;*

ज) *जिला स्तर पर राज्य सरकार के किसी विभाग या उस सरकार के अधीन किसी प्राधिकारी या किसी निकाय को ऐसे आवश्यक उपाय करने की सिफारिश कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हों;*

झ) *सुसंगत क्षेत्रों में सलाह और सहायता देने के लिए विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं की, जो वह आवश्यक समझे अपेक्षा कर सकेगा;*

ञ) *किसी प्राधिकारी या व्यक्ति से किन्ही सुख–सुविधाओं के अनन्य या अधिमानी उपयोग का उपापन कर सकेगा;*

ट) *अस्थायी पुलो या अन्य आवश्यक संरचनाओं का सन्निमार्ण कर सकेगा और ऐसी संरचनाओं को जो जनता के लिए परिसंकटमय है या आपदा के प्रभाव को गंभीर बना सकती है, ध्वस्त कर सकेगा;*

ठ) *यह सुनिश्चित कर सकेगा कि गैर सरकारी संगठन अपने क्रियाकलापों को साम्यापूर्ण और अभिवेदकारी रीति से करें;*

ड) *ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकेगा जिसका ऐसी किसी स्थिति में किया जाना अपेक्षित या आवश्यक हो।*

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा–31(1) के अनुसार "राज्य के प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन हेतु एक योजना होगी।"

जिसके अनुपालन में बक्सर जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया है।

इस योजना में जिला में संभावित प्राकृतिक अथवा मानवीय भूलवश उत्पन्न खतरों के विभिन्न स्वरूपों एवं इन खतरों की चपेट में आने वाले संवेदनशील समूहों/सम्पत्तियों का ब्योरा, इन आपदाओं से होने वाले नुकसान को रोकने, कम करने अथवा आपदा मोचन की वर्तमान क्षमता का आकलन करते हुये इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि के उपायो का विस्तार से वर्णन किया गया है।

इस योजना को विभिन्न स्तर के स्थानीय पदाधिकरीगण तथा अन्य हितधारकों से मिलकर तैयार किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए यह आवश्यक है कि वह समेकित जिला आपदा प्रबंधन योजना को मुर्त रूप दे जिसे अनवरत अपनाया जा सके। यह आपदा जोखिम को रोकने तथा उसे कम करने (न्यूनीकरण) में सहायक हो। विभिन्न विकास के चरण में इसे इस तरह से सन्निहित किया जायेगा ताकि आपदा के समय प्रत्युत्तर, बचाव, सहाय्य तथा पुर्नप्राप्ति के क्रम में समुदाय की कम से कम क्षति हो सके। आपदा न्यूनीकरण रोड–मैप के उद्देश्यों से तालमेल कर इसे अपनाया जाना जरूरी होगा।

बक्सर जिले में पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर मौजूद विभिन्न प्रकार की आपदाएँ, इन आपदाओं का इतिहास, आपदाओं के दरम्यान किए गए प्रत्युत्तर (समुदाय/सरकारी), तत्कालीन एवं आज का आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन का राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय अनुभव, इस स्तर पर किए गए अच्छे व्यवहार, उपलब्ध संसाधन एवं जोखिम विश्लेषण आदि से इस योजना को दृष्टि मिली और इसके उपरांत जिले का आपदा प्रबंधन योजना का उद्देश्य निर्धारित किया जा सका है। योजना के निर्माण का एक महत्वपूर्ण आधार, भागीदारी एवं समावेशी रहा, जिससे योजना को अधिकतम व्यापक बनाया जा सका है। योजना की पहुँच उस व्यक्ति तक ले जाने की है, जो सीधे आपदा से प्रभावित होता है। 5 प्रतिशत ग्राम पंचायतों से सीधे वार्ता एवं अंतःक्रिया ने इसे सम्पुष्ट किया है।

1.2 जिला आपदा प्रबंधन योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नवत है (Main Objectives) :

- जिले के मुख्य जोखिम तथा इन जोखिम से प्रभावित होने वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना।
- सभी सरकारी विभागो के सामंजित प्रयास से इन आपदाओं का निषेधीकरण तथा दुष्प्रभावों का न्यूनीकरण ।
- आपदा पूर्व तथा आपदा के समय एवं पश्चात् सभी हितधारकों के दायित्वों तथा कर्तव्यों का निर्धारण तथा उनका नियोजन सुव्यवस्थित तरीके से करना।
- जिलान्तर्गत प्रभावित समूहो क बीच जोखिम का सामना करने हेतु उनका क्षमतावर्द्धन सुनिश्चित करना।
- यथोचित योजना बनाकर सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्तियों, विशेषकर महत्वपूर्ण जन सुविधाओं तथा अंतः संरचनाओं की आपदा क्षति में कमी लाने का प्रयास करना।
- जिलान्तगर्त आगामी विकास कार्यो के लिए प्राकृतिक आपदा जोखिम के दुष्प्रभावों में कमी लाना।
- जिलास्तर पर प्रभावी तौर पर खोज, बचाव तथा प्रत्युत्तर कार्यो का संचालन हेतु एक व्यापक आपातकालीन संचालन केन्द्र (ई.ओ.सी.) की स्थापना।
- आपदा की स्थिति से निपटने के लिए एक प्रमाणिक, तंत्र का विकास करना।
- पूर्व सूचना तंत्र की स्थापना करना ताकि हितधारकों को आपदा जोखिम का सामना करने के लिए तैयार किया जाए तथा सूचना का आदान–प्रदान प्रभावी ढंग से हो सके।
- जिला में सूचना, शिक्षा तथा संचार का उपयोग कर आपदा से निष्प्रभावी रहने वाली निर्माण प्रक्रिया का अनुपालन करना तथा आपदा रोधी विकास के लिए समाज में जागरूकता फैलाना।
- आपदा प्रबंधन में मिडिया का उपयोग करने के उपायों को सुदृढ़ करना।
- जिलास्तरीय विभिन्न विभागों द्वारा आपदा से प्रभावित जनता के पुनर्वास की योजना बनाकर कालबद्ध तरीके से क्रियान्वयन करना।

1.3 योजना का कार्यक्षेत्र (Scope of the Plan) : आपदा प्रबंधन योजना के दायरे में संपूर्ण बक्सर जिला जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 2033 वर्ग किलोमीटर है तथा 2011 की जनगणना में इसकी आबादी 25.62 लाख है, को लिया गया है। इस जिले में विभिन्न सरकारी विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय, पंचायती राज्य संस्थायें यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् तथा शहरी निकाय आते हैं। इस जिले के विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों में यूनिसेफ तथा कई अन्य स्वयं सेवी संस्थायें काम कर रही है।

योजना बनाने के क्रम में जिन बातों पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया गया, उनमें निम्नांकित मुख्य है :–

1. आपदा प्रबंधन योजना का निरूपण करते समय यहाँ जितने भी सरकारी/गैर सरकारी हितधारक हो सकते है, से संपर्क कर उनसे उनके द्वारा पूर्व में किए गये पूर्व तैयारी, प्रत्युत्तर, खतरो का चिह्निकरण, पुर्नप्राप्ति (रिकवरी), शमन के अनुभवों को शामिल किया गया है।
2. इस क्रम में विभिन्न धार्मिक स्थलों, मेले, बड़े–बड़े सभा स्थल आदि को भी संवेदनशीलता के दायरे में रखा गया है।
3. जिले में सड़क दुर्घटना आपदा का स्वरूप लेने लगी है। अतः योजना में सड़क दुर्घटनाओं से सुरक्षा को शामिल किया गया है।
4. लिंगीय मुद्दे आपदा प्रबंधन में महत्व के हो जाते है। इनकी संवेदनशीलता तब और बढ़ जाती है जब महिलाएँ गर्भवती होती है या इनके गोद में बच्चे होते है। अतः योजना बनाने के क्रम में लिंगीय मुद्दे भी शामिल है।
5. जलवायु परिवर्तन को भी योजना निर्माण के क्रम में दृष्टिगत रखा गया क्योंकि हमारे दैनिक जीवन को यह भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षापात, सूखाड़, तापक्रम में वृद्धि इत्यादि परिलक्षित हो रहा है।
6. वज्रपात,हाल के वर्षों में अकस्मात दुर्घटना के रूप में उभर कर आयी है। इसके संबंध में भी 5 प्रतिशत पंचायत के ग्रामीणों से भी इसकी जानकारी प्राप्त की गयी।
7. हाल के वर्षों में नीलगाय/सुअर का प्रकोप किसानों को झेलना पड़ा हैं। कुछ किसानों ने तो कुछ खास फसल लगाना ही छोड़ दिया और इस प्रकार आपदा का यह स्वरूप भी एक समस्या के रूप में उभर कर आया है।
8. इसके अतिरिक्त, आवश्यक सेवाओं को निरन्तर बनाए रखने हेतु किए जाने वाले कार्यों एवं यंत्र–सयंत्र के रखरखाव और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रयास को ध्यान में रख कर योजना निर्माण किया गया है।
9. आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वय, सहयोग एवं एकीकरण की आवश्यकता होती है। योजना निर्माण के क्रम में सभी स्तरों पर इसे अपनाने के प्रयास किए गए है।
10. योजना बनाने के क्रम में आकस्मिक एवं सबसे बुरी स्थिति का आकलन कर, आकस्मिक योजना की तैयारी की गई है। इस योजना में अस्पताल, स्कूल, औद्योगिक एवं ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखा गया है।

1.4 योजना निर्माण पद्धति (Plan Development Methodology) :

योजना निर्माण के लिए अपनाई गई पद्धति **(Methodology)** : जिला आपदा प्रबंधन योजना बनाने के क्रम में ''बॉटम अप'' योजना की प्रक्रिया अपनाई गयी है, जिसमें जिला से नीचले स्तर तक वास्तविकता से परिचय कराया गया है तथा उसके उपरांत नीचे से उपर की ओर (पंचायत– प्रखंड–अनुमंडल–जिला) जोखिम, खतरों एवं सवेदनशीलता की पहचान की गयी है। योजना की सामग्री मुख्य रूप में दो श्रोतों प्राथमिक एवं द्वितीयक श्रोतों से एकत्रित की गई । योजना की सामग्री के अंतर्गत विभिन्न आपदाओं से जुड़े विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर उनसे महत्वपूर्ण विमर्श किये गये । साथ हीं जिले के 5 प्रतिशत पंचायतों का भ्रमण कर हितधारकों से सीधा संपर्क भी स्थापित किया गया।

इस योजना के निर्माण के लिए अपनाई गई पद्धति, दृष्टिकोण एवं प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन नीचे प्रस्तुत है।

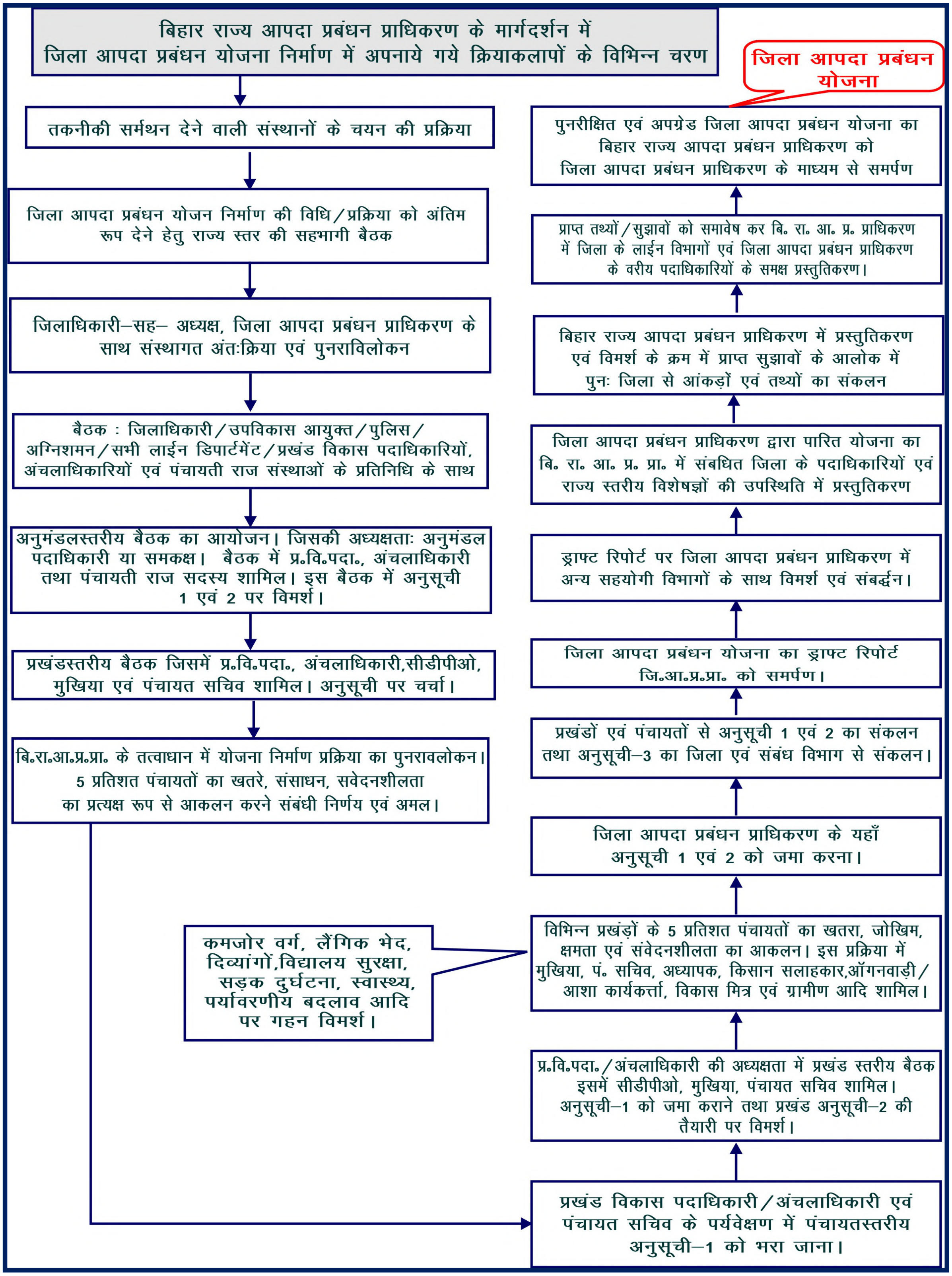

1.5 जिला आपदा प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन (Implementing DDMP) : इस जिले के लिए तैयार की गयी योजना की पूरी जिम्मेवारी जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की होगी। इसके कार्यान्वयन में प्राधिकार के सदस्य, इस संबंध में गठित विशेष कमिटि तथा लाइन विभाग से सहयोग लिया जाना है। जिला के समक्ष खतरे, जोखिम से उत्पन्न होने वाली सभी संभावित आपदाओं से संबंधित निषेधीकरण, न्यूनीकरण, प्रत्युत्तर एवं पुर्नस्थापन के कार्यों का दायित्व होगा। उपर्युक्त विषयक कार्यों को आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान तथा आपदा के बाद में विभाजित कर सुनियोजित ढंग से संपन्न कराया जायेगा। आपदा के पूर्व में पिछली घटनाओं का अवलोकन तथा उससे प्राप्त सीख को संधारित किया जायेगा। जबकि आपदा के दौरान पूरे जिले में की जाने वाली प्रत्युत्तर के कार्य को इस योजना में वर्णित जरूरी कदम तथा काल विशेष को देखते हुए अन्य किये जाने वाले उपायों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। विभिन्न कार्यों के लिए एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त होगा ताकि समन्वय बना रहे। इसी प्रकार से आपदा के बाद पुर्नवापसी तथा पुर्नस्थापन के कार्यों को संचालित किया जायेगा तथा प्रभावित परिवार अपने घर को वापस लौट सके। सारी प्रक्रियाओं को सम्पन्न कराने में जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र 24 घंटे विभिन्न 'शिफ्ट' में कार्य करेगा।

जिले से संबंधित जिलाधिकारी इन्सिडेंट कमांडर होगें तथा उन्हीं की अनुमति से जिला आपदा प्रबंधन को सुचारू ढंग से लागू किया जायेगा। जिला आपदा प्रबंधन योजना/मार्गनिर्देशिका सर्वसुलभ होना चाहिए ताकि इसका सार्थक उपयोग हो सके। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि कुछ अंतराल पर विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों का स्थानांतरण होता रहता है।

1.5.1 मुख्य हितधारक एवं उनकी भूमिका :

क्र॰	स्तर	हितधारक समूह	कार्य	दायित्व
01	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन समिति	आपदा प्रबंधन	तत्कालीन मुखिया
		ग्राम पंचायत खोज एवं बचाव समिति	खोज एवं बचाव	मुखिया एवं एस॰ डी॰ आर॰ एफ॰
		ग्राम पंचायत प्राथमिक चिकित्सा समिति	प्राथमिक सहायता एवं प्राथमिक कीट की तैयारी	ए॰पी॰एच॰सी॰ एवं रेड क्रॉस
		ग्राम पंचायत जल एवं स्वच्छता समिति	स्वच्छता एवं पेय जल	निर्मल भारत अभियान दल
		ग्राम पंचायत आश्रय एवं इवैकुएशन दल	आश्रय स्थल की व्यवस्था एवं आपदा स्थल को खाली कराना	इंदिरा आवास योजना एवं स्थानीय विद्यालय के प्रभारी
		ग्राम पंचायत सामाजिक सुरक्षा समिति	सामाजिक रूप से असुरक्षितो की पहचान एवं मदद	सामाजिक सुरक्षा विभाग
		ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य	वार्डो के हित का कार्य	स्वतः निर्वाचित
		ग्राम पंचायत योजना एवं पोषण दल	भोजनादि की व्यवस्था	मध्याह्न भोजन दल
		ग्राम पंचायत बाल विकास एवं संरक्षण दल	बाल विकास एवं संरक्षण	आँगनवाड़ी टीम समेकित, बाल विकास परियोजना टीम
		ग्राम पंचायत शिक्षा दल	शिक्षा व्यवस्था	सर्व शिक्षा अभियान दल
		ग्राम पंचायत पशुधन समिति		
		ग्राम पंचायत सुरक्षा समिति	पशुओं का टीकाकरण एवं चारे की व्यवस्था	पशुधन समिति अध्यक्ष
02	प्रखंड स्तर संबद्ध प्रशाखा	स्थानीय थाना	आश्रय/राहत शिविरो की सुरक्षा	थाना प्रभारी
		कृषि विभाग	सुरक्षा/कृषि संपति	प्रखंड कृषि पदाधिकारी
		सहकारिता	पैक्स/सहकारी भवन	सहकारिता पदाधिकारी
		श्रम	श्रमिकों की स्थिति	श्रम निरीक्षक
		अग्निशमन	अग्निशमन की व्यवस्था	प्रखंड स्तरीय अग्निशमन पदाधिकारी
		स्वास्थ्य	स्वास्थ्य संबंधी	प्रखंड स्तरीय चिकित्सा पदाधिकारी
		लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	चापाकल एवं हेलोजन टेबलेट	कनीय अभियंता
		खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता	खाद्यान्न की व्यवस्था	प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी

		शिक्षा	आश्रय स्थल / राहत स्थल	प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी
		पशु एवं मतस्य	पशुधन सुरक्षा तथा मतस्य पालन	प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी
		जल संसाधन	सिचाई	कनीय अभियंता
		सामाजिक सुरक्षा	सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि	प्रखंड कल्याण पदाधिकारी
		सांख्यिकी	वर्षापात एवं अन्य आकड़े	प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी
		पंचायत राज	पंचायतों का सुसंचालन	ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक
		स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण	सड़क एवं भवन	कनीय अभियंता
03	जिला स्तर	आपदा प्रबंधन	समन्वय एवं मॉनिटरिंग	जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी
		बाढ़ एवं जल निस्सरण	तटबंधो की सुरक्षा, जल स्तर की जानकारी लेना–देना	कार्यपालक अभियंता
		परिवहन विभाग	विभिन्न वाहनों एवं नावो की उपलब्धता	जिला परिवहन पदाधिकारी
		लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल एवं स्वास्थ्य	शरण स्थलो की व्यवस्था तथा पेयजल के साथ स्वच्छता मानव दवा	कार्यपालक अभियंता, सिविल सर्जन
		पशुपालन	पशुचारा एवं पशु दवा	जिला पशुपालन पदाधिकारी
		लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	चापाकल लगाना, मरम्मति क्लोरीन टेबलेट का देना तथा प्रयोग हेतु प्रशिक्षण	कार्यपालक अभियंता
		खाद्य विभाग / आपूर्त्ति	खाद्य का भंडारण तथा आपूर्त्ति	जिला प्रबंधक, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी
		शिक्षा विभाग	आपदा संबंधी जागरूकता की पहल / जागरूकता के अन्य कार्यक्रम	जिला शिक्षा पदाधिकारी
		सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	प्रचार–प्रसार	जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी
		पंचायती राज	पंचायतों के काम काज की देखभाल	जिला पंचायत पदाधिकारी
		अग्निशमन	अग्निशाम के वाहनो की व्यवस्था	जिला अग्निशमन पदाधिकारी
		स्वास्थ्य	स्वास्थ्य सेवाएँ	असैनिक शल्य चिकित्सक
		पुलिस	शान्ति व्यवस्था	पुलिस अधीक्षक
		कृषि	कम पानी / जल्दी होने वाले फसलो की व्यवस्था	जिला कृषि पदाधिकारी
		सांख्यिकी	तथ्यो के रखरखाव	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी
		सहकारिता	भंडारण एवं आवासन	जिला सहकारिता पदाधिकारी
		जल संसाधन	जल व्यवस्था	कार्यपालक अभियंता जल संसाधन
		राजस्व एवं भूमि सुधार	भूमि संबंधी जानकारियाँ उपलब्ध कराना	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
		शहरी विकास	शहरो का नियमित विकास	नगर निगम / नगर पंचायत आदि
		सामाजिक सुरक्षा	सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले लोगो की देखभाल	प्रभारी उप समाहर्त्ता
		योजना एवं विकास	विकास एवं विकास की योजना	प्रभारी उप समाहर्त्ता
		डाक एवं संचार	सूचनाओं का आदान प्रदान एवं संवाद	प्रबंधक डाक एवं तार
		भवन निर्माण	भवनो की स्थिति का नियमित	अधीक्षक अभियंता

			पर्यवेक्षण / आकलन	
		भारत संचार निगम लि0	दूरसंचार सुविधा बनाये रखना	प्रबंधक
		दूरसंचार के अन्य नीजि उपक्रम रिलायंस, एयरटेल आदि	दूरसंचार सुविधा बनाये रखना	प्रबंधक
		उद्योग	खतरनाक उद्योगों की सूची एवं देखभाल	जिला उद्योग पदाधिकारी
		श्रम संसाधन	उद्योगों की सुरक्षा के मुद्दे पलायित श्रमिको की सूची का रखरखाव	जिला श्रम पदाधिकारी अधीक्षक
		उर्जा विभाग	बिजली की नियमित आपूर्त्ति	अधीक्षण अभियंता
		प्रिंट / इलेक्ट्रोनिक मीडिया	तथ्यों की सही जानकारी उपलब्ध कराना ताकि पूर्व तैयारी हो जाए	क्षेत्रीय संवाददाता
04	अन्य हितधारक समूह	निजी शैक्षिक संस्थाएँ	आवासन / राहत केन्द्र / भंडारण	प्राचार्य / स्वशासी निकाय
		एन॰सी॰सी॰	राहत एवं बचाव में मदद	कमान अधिकारी
		रेड क्रॉस	प्राथमिक सहायता एवं अन्य सहायता	जिला सचिव
		अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संस्थाएँ	विभिन्न प्रकार से सहयोग एवं सहायता	प्रभारी अधिकारी
		विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संघ	स्वास्थ्य संबंधी सहयोग	अध्यक्ष / सचिव
		युवा संगठन	ब्वाव एवंराहत	अध्यक्ष / सचिव
		दलित एवं महादलित संगठन	विभिन्न प्रकार की सहायता	अध्यक्ष / सचिव
		नेहरू युवा केन्द्र	राहत एवं बचाव	जिला समन्वयक
		ट्रांसपोर्ट (रेल, सड़क, नाव) संघ	विभिन्न प्रकार के सामग्री की व्यवस्था	अध्यक्ष / सचिव
		स्वयं सहायता समूह	सहयोग एवं सहायता	अध्यक्ष / सचिव
		अभियंता, राजमिस्त्री डिप्लोमाधारी,वास्तुकार	निर्माण एवं मरम्मति	
		निजी डॉक्टर, भूतपूर्व सैनिक एवं शिक्षक	स्वास्थ्य एवं अन्य प्रकार के मदद	संघ सचिव, अध्यक्ष
		इंटर एजेन्सी ग्रुप	समन्वय एवं सहयोग	अध्यक्ष / सचिव
		व्यावसायिक संघ एवं बाजार संघ	आवश्यक सामग्री की आपूर्त्ति	अध्यक्ष / सचिव
		राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया	प्रचार प्रसार	स्थानीय संवाददाता

1.6 योजना की समीक्षा तथा अद्यतन करना (Plan Review & Updation) : जिला आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा की जायेगी। इसे प्रत्येक वर्ष संबंधित हितधारकों द्वारा अद्यतन किया जायेगा। जिसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा अनुमोदित करते हुये इसकी एक–एक प्रति बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना को उपलब्ध कराई जानी है।

आपदा कैलेन्डर के आलोक में प्रत्येक संभावित आपदा काल के पूर्व आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आहूत विशेष बैठक में आपदा पूर्व तैयारी तथा आपदा मोचन तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की जायेगी तदनुसार सभी हितभागी अपने दायित्वों का निर्वहन के लिए तैयार रहेंगे। आपदा के दौरान किये गये मोचन कार्यों के प्रभाव की भी समीक्षा की जायेगी तथा इन समीक्षाओं के आधार पर प्रत्येक वर्ष जिला आपदा प्रबंधन योजना का पुनर्मुल्याकण कर इसे पुनरीक्षित तथा संशोधित किया जायेगा। **(आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 31(4) द्रष्टव्य)**

अध्याय : 2

जिला का परिचय

District Profile

2.1 परिचय :

बक्सर जिला की सामान्य सूचनाएँ		
1	जिला का स्थापना दिवस	17 मार्च 1991
2	भौगोलिक स्थिति	25 डिग्री 34 मिनट आक्षांश उत्तर, 83 डिग्री 58 मिनट आक्षांश पुरब
3	भौगोलिक क्षेत्रफल	1624 वर्ग किलो मीटर
4	चौहद्दी	पुरब में भोजपुर जिला, पश्चिम में गाजीपुर जिला (उत्तर प्रदेश) उत्तर में गंगा नदी, दक्षिण में रोहतास जिला
5	औसत वर्षापात (2021)	1134.9 मी0मी0
6	जिला का वातावरण	अत्यधिक गर्म
7	अनुमंडलों की संख्या	2
8	कुल प्रखण्डों की संख्या	11
9	कुल अंचलों की संख्या	11
10	थानों की संख्या	18
11	कुल नगर निकाय की संख्या	5
12	कुल पंचायतों की संख्या	136
13	कुल ग्रामों की संख्या	1134 (811–चिरागी)
14	कुल शहरी क्षेत्र की संख्या	5
15	अंगीभूत महाविद्यालय	2
16	कॉलेज	15
17	विद्युत्कृत गॉवों की संख्या	1134
18	उच्च विद्यालय	159
19	मध्य विद्यालय	412
20	प्राथमिक विद्यालय	650
21	बुनियादी विद्यालय	7
22	पक्की सड़को की लम्बाई	175 किलोमीटर
23	कच्ची सड़को की लम्बाई	350 किलोमीटर
24	लघु उद्योग	329
25	उप स्वास्थ केन्द्र	160
26	राजकीय नलकूप	199
27	बैंको की कुल सख्या	75
28	मुख्य फसल	धान, गेंहु, दलहन, तेलहन
29	मुख्य नदीयॉ	गंगा, ठोरा, कर्मनाशा, धर्मावती
30	प्रमुख मेला	पंचकोश, खिचरी, आमावस्या, वामनद्वाशी
31	आध्यात्मिक स्थल	रामरेखा घाट, श्री रामेश्वर नाथ धाम, श्री सोमेश्वर धाम, श्री च्यवन आश्रम, वामन स्थान, गौरीशंकर मंदिर।
32	दर्शनीय स्थल	श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर, श्रीनाथ बाबा मंदिर, श्री खाकी बाबा आश्रम, नौलखा मंदिर, श्री सीता राम विवाह महोत्सव स्थल, शहीद बाबा का मजार, नवरत्न का किला डुमरेजनी माई का मंदिर, बाबा ब्रमेश्वर नाथ का मंदिर।
33	ऐतिहासिक स्थल	कथकौली का मैदान, चौसा लडाई का मैदान।
34	नजदीकी हवाई अड्डा	पटना
35	पटना से जिला मुख्यालय की दूरी	120 कि.मी.

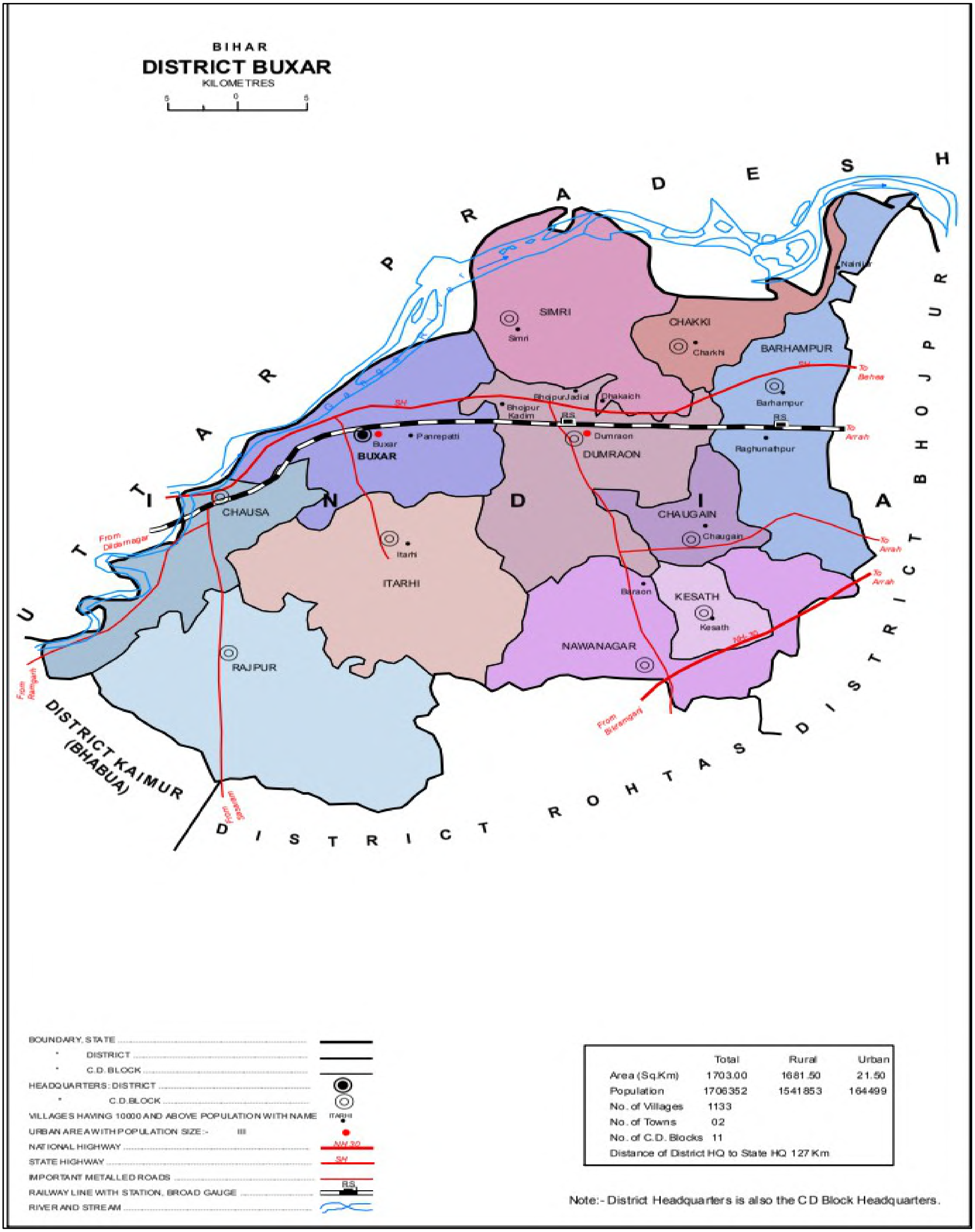

	Total	Rural	Urban
Area (Sq.Km)	1703.00	1681.50	21.50
Population	1706352	1541853	164499
No. of Villages	1133		
No. of Towns	02		
No. of C.D. Blocks	11		
Distance of District HQ to State HQ 127 Km			

2.2 जलवायु :

जिला में मई और जुन के महीने में तापक्रम जगभग 45^{0} सेल्सियस तक पहुँच जाता है। प्रायः जून के तीसरे सप्ताह से मानसून का आगमन होता है। जिला में औसत वार्षिक वर्षा 934 मिलीमीटर रहती है। जुलाई और अगस्त के महीने में प्रायः सर्वाधिक वर्षा होती है। सितम्बर महीने में भी छिटपुट वर्षा होती रहती है। ठंड की ऋतु मध्य अक्टूबर से आरंभ होती है। जनवरी–फरवरी के महीने में तापक्रम 7° सेन्टीग्रेड तक गिर जाता है। तापमान, वर्षा, वायु की दिशा तथा वायु दाब के आधार पर जिला के जलवायु को निम्नांकित तीन ऋतुओं में विभाजित किया जा सकता है –

(1) ग्रीष्म ऋतु (मार्च – मध्य जून)
(2) वर्षा ऋतु (मध्य जून – मध्य अक्टूबर) तथा
(3) शीत ऋतु (मध्य अक्टूबर – फरवरी)

यहाँ पर अधिकांश वर्षा दक्षिण – पश्चिम मानसून के कारण होती है।

2.2.1 मुख्य फसल :

फसलों में धान, गेंहु, मक्का, दलहन, तेलहन आदि प्रमुख है। जिला में अब मिश्रित फसल का प्रचलन बढ़ा है।

2.2.2 वर्षापात :

सारणी – (2.1) जिले में वर्षापात की स्थिति :

वर्ष	2018	2019	2020	2021	2022
सामान्य वर्षापात	984.6	984.6	934.6	934.6	934.6
औसत वर्षापात	721.1	917.4	1092.0	1134.9	444.0
औसत से कम	—	—	✓	✓	✓
औसत से ज्यादा	✓	✓	—	—	—

श्रोतः सांख्यिकी विभाग, बक्सर

सारणी – (2.2) जिले में वाट्र लेबल की स्थिति :

क्र0	वर्ष	Average water Level	Maximum water Level	Minimum water Level
01	2020	21′3′′	26′9′′	11′3′′
02	2021	22′6′′	27′0′′	13′9′′
03	2022	22′5′′	25′′9	16′9′′

श्रोतः लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बक्सर

2.3 जनसंख्या : जिले की जनसंख्या विभिन्न दृष्टिकोणों से निम्नवत् है जो वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के जनगणना पर आधारित है।

सारणी – (2.3) जनसंख्या विवरण :

विवरण	वर्ष 2011	वर्ष 2011
जनसंख्या	14,02,396	17,06,352
पुरूष	738354	8,87,977
स्त्री	664042	8,18,375
जनसंख्या वृद्धि	1.69 %	21.67 %
जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग कि.मी.	832	1,703
लिंगिय अनुपात (प्रति 1000)	899	922
कुल (0–6) वर्ष के बच्चे	271849	2,95,127
(0–6) वर्ष के बच्चों की संख्या (बालक)	141245	1,52,626
(0–6) वर्ष के बच्चों की संख्या (बालिका)	130604	1,42,501

श्रोतः सांख्यिकी विभाग, बक्सर

सारणी – (2.4) ग्रामीण एवं शहरी परिप्रेक्ष्य में :

विवरण	ग्रामीण	शहरी
कुल जनसंख्या	15,41,853	1,64,499
कुल प्रतिशत	90.36%	9.64%
महिला जनसंख्या	7,40,767	77,608
पुरूष जनसंख्या	8,01,086	86,891
लिंगिय अनुपात	924	893
बच्चों की गणना (0–6) वर्ष	2,71,245	23,882
बालक(0–6) वर्ष	1,40,096	12,530
बालिका(0–6) वर्ष	1,31,149	11,352

श्रोतः सांख्यिकी विभाग, बक्सर

सारणी – (2.5) प्रखंडवार पंचायतों की संख्या एवं जनसंख्या विवरणी :

क्र. सं॰	प्रखंड का नाम	पंचायतों की सं॰	2011–जनसंख्या		
			कुल जनसंख्या	अनु. जाति	अनु. जनजाति
1	बक्सर	16	34272	30226	4046
2	चौसा	10	19395	17950	1445
3	इटाढ़ी	15	32810	30792	2018
4	ब्रह्मपुर	18	29895	26475	3420
5	चक्की	4	5414	4273	1141
6	सिमरी	20	28367	22502	5865
7	राजपुर	19	42156	41500	656
8	डुमरॉव	16	30719	26276	4443
9	चौगाई	5	8108	7811	297
10	केसठ	3	6109	5957	152
11	नावानगर	16	24709	24293	416
श्रोत : जनगणना 2011					

श्रोतः सांख्यिकी विभाग, बक्सर

सारणी – (2.6) विद्यालयों की संख्या :

विद्यालय की श्रेणी	प्राथमिक विद्यालय	मध्य विद्यालय	बुनियादी विद्यालय	उच्च विद्यालय
संख्या	650	412	07	159
श्रोत : जिला शिक्षा कार्यालय,बक्सर				

2.4 पशुपालन :

सारणी– (2.7) 2017 में हुई पशु गणना के आधार पर पशुओं की संख्याः

(ग्रामीण क्षेत्र)

क्र.सं.	प्रखंड	गाय	भैंस	भेड़	बकरी	घोड़ा	टट्टू	खच्चर	गदहा	ऊँट	सूअर	कुता	खरगोश	हाथी	पक्षी	बतख
1	बक्सर	17967	10741	940	5037	46	0	16	251	0	205	22	00	0	6675	10
2	चौसा	13883	13493	427	4090	58	96	0	199	0	194	55	10	1	21601	183
3	इटाढ़ी	16181	17363	2005	2897	18	0	3	112	0	158	13	4	0	12183	67
4	ब्रह्मपुर	34744	32521	3162	8569	474	0	73	174	0	348	84	15	1	13925	547
5	चक्की	6965	2062	122	825	69	0	0	9	0	0	3	4	0	842	0
6	सिमरी	43811	18292	887	7257	42	4	14	214	1	256	80	17	0	8877	25
7	राजपुर	27979	25824	2295	9237	85	0	0	261	0	817	8	0	0	29510	43
8	डुमरॉव	16465	15677	1329	4644	37	4	51	93	0	39	9	0	0	1940	172
9	चौगाई	5197	5216	350	2204	16	0	0	0	0	201	75	17	0	1717	52
10	केसठ	1754	3542	302	1019	9	0	3	34	0	278	14	8	0	450	8
11	नावानगर	15230	27529	2260	4412	76	13	2	65	0	545	112	1	0	24218	41
	योग	200176	172260	14079	50191	930	117	162	1412	1	3041	475	76	2	121938	1148
	(शहरी क्षेत्र)															
1	नगर परिषद, बक्सर	2790	658	0	2158	2	0	0	15	0	455	241	53	0	580	198
2	नगर परिषद, डुमरॉव	2703	854	38	1875	4	0	0	73	0	174	18	1	0	1205	61
	योग	5493	1512	38	4033	6	0	0	88	0	629	259	54	0	1785	259
	कुल योग	205669	173772	14117	54224	936	117	162	1500	1	3670	734	130	2	123723	1407

(श्रोत : जिला पशुपालन कार्यालय, बक्सर)

इस जिले में पशु चिकित्सा के लिए निम्नलिखित संसाधन उपलब्ध हैं :

- राजकीय पशु चिकित्सालय – 01
- प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय – 20
- कृषि गर्भाधान केन्द्र – 22
- कुल पशु चिकित्सक – 18
- कुल पशुधन सहायक – 09

2.5 संसाधन :

कृषि : बक्सर पश्चिम बिहार का एक महत्वपूर्ण कृषि केंन्द्र है। कृषि महत्वपूर्ण जिला होने के कारण कृषि पर आधारित कई माध्यमिक और तृतीयक उद्योग है, जैसे कोल्ड–स्टोरेज। बक्सर धान, गेहूँ, मकई एवं गन्ना उत्पादन के लिए उपयुक्त है।

प्रमुख नदियाँ : गंगा, ठोरा, कर्मनाशा, धर्मावती।

गंगा नदी इस जिले को चौसा में प्रवेश करती है। गंगा नदी इस जिले की सीमा के समानान्तर पूर्व दिशा की ओर बहती है।

ठोरा नदी, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है।

कर्मनासा नदी जिले के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी सीमाओं को पार कर जाती है। यह चौसा प्रखंड के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। जिले के पश्चिमी हिस्से में कर्मनासा नदी सिंचाई के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। नदी के जल को उदाव पद्धति तथा नहरों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग में लाने की कई पद्धतियां है। साथ ही रबी फसलों के लिए सिंचाई का प्रमुख माध्यम है।

सिंचाई : सिंचाई, मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करती है। इसके साथ साथ जिला गंगा पम्प नहर (62.67 कि0मी0) एवं सोन नहर (69.86 कि0मी0) जिला के विस्तृत भू–भाग के सिंचाई के लिए उपयोगी है।

सारणी– (2.8) नलकूपों का विवरण :

क्र0	स्थिति		प्रखंडों की संख्या	पंचायतों की संख्या	हस्तचालिक नलकूपों की संख्या	ड्रिल्ड नलकूपों की संख्या	कुल नलकूपों की संख्या
1	कुल	344	11	136	0	344	344
2	बन्द	210	–	–	–	–	–
							श्रोत : लघु सिंचाई प्रमंडल, बक्सर

भूमिः बक्सर जिला, दक्षिणी गंगा के मैदान का एक भाग है। जो गेहूँ एवं धान की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है।

उद्योग : जिला में कुल 9330 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ है जिसमे सें केवल 06 मध्यम स्तर, 329 लघु उद्योग एवं अति लघु उद्योग 8995 इकाइयाँ है।

सारणी– (2.9) उद्योग का विवरण :

उद्योग का प्रकार	पंजीकृत उद्योग	मानव बल संख्या
अति लघु उद्योग	8995	18011
लघु उद्योग	329	3907
मध्यम उद्योग	06	175
कुल	**9330**	**22093**

श्रोतः उद्योग विभाग, बक्सर

2.6 परिवहन :

रेल/सड़क यातायात : जिला के बक्सर, डुमरॉव, ब्रहम्पुर एवं चौसा प्रखंड़ से होकर एक रेलवे लाईन गुजरती हझै इसके अतिरिक्त जिले में 100.90 कि०मी० राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–28, 56.41 कि०मी० राज्य उच्च पथ एवं 380.65 कि०मी० अन्य मुख्य जिला सड़क का नेटवर्क पूरे जिले में फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 537.96 कि०मी० है। इसके अलावे जिले में राज्य राजमार्ग भी परिवहन को मजबूत बनाती है।

===

अध्याय–3

खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता तथा क्षमता विश्लेषण

Hazard, Risk, Vunlnerability & Capacity Analysis

इस अध्याय के अंतर्गत जिले में प्राकृतिक प्रकोप अथवा मानवीय गतिविधियों के कारण किसी क्षेत्र विशेष में बसे हुये समूह/समुदाय की दैनिक गतिविधियों में अचानक रूकावट पैदा करने वाले अथवा जान–माल का नुकसान करने वाले बहु–आपदाओं के संदर्भ में यहाँ के लोगों द्वारा पूर्व में अनुभूत खतरों, खतरों के प्रभाव क्षेत्र में अवस्थित संवेदनशील समूह/समुदाय या पर्यावरण के लिए उत्पन्न जोखिम तथा इन आपदाओं से निपटने के लिए इनकी वर्तमान क्षमता का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

3.1 जिला के विभिन्न खतरे का विश्लेषण :

बक्सर जिला विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं यथा बाढ़, भूकम्प, सूखा, अग्निकांड, वज्रपात, सड़क दुर्घटना आदि के प्रति प्रवण है। भौगोलिक संरचना, जनसंख्या धनत्व में वृद्धि एवं जिला में कमजोर आधारभूत संरचनाएँ इसे आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनाती है।

खतरा/माह	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	संवेदनशील क्षेत्र
बाढ़													बाढ़ जिले की मुख्य आपदा है। वर्ष 2020 में बक्सर स्थित सारण तटबंध टूटने से बक्सर जिले के 4 अंचल प्रभावित हुए थे।
भूकंप													बक्सर जिला भूकंपीय जोन III में पड़ता है। जो कि एक सवेदनशील क्षेत्र में आता है।
सुखाड़													सिचाई के महीनों में कम वर्षा होने से जिला प्रभावित होता है।
आग													जिले में मैरवा, दरौली, गुठनी, सिसवन एवं हुसैनगंज में तुलनात्मक रूप से अग्निकांड की अधिक घटनाएं होतीं हैं।
लू													सभी प्रखंड सामान्य प्रभावित।
ओलावृष्टि													विशेष प्रतिवेदित नहीं है।
चक्रवाती तूफान													विशेष प्रतिवेदित नहीं है।
शीतलहर													विशेष प्रतिवेदित नहीं है।
ठनका/वज्रपात													सभी प्रखंड सामान्य प्रभावित। हाल के वर्षों में वज्रपात की घटनाओं में वृद्धि हुई है।
सड़क दुर्घटना													ब्लैक स्पॉट नहीं है, परतुं कुछ पूर्व में हुई दुर्घटनाओं के आधार पर कुछ दुर्घटना बहुल स्थान चिन्हित किये गए हैं।
भगदड़													त्योहारों एवं मेलों के दौरान संबंधित क्षेत्रों में सवेदनशीलता बनी रहती है।
महामारी													विशेष प्रतिवेदित नहीं है। अबतक केवल कोविड–19 महामारी से प्रभावित हुआ है।
नाव दुर्घटना													विशेष प्रतिवेदित नहीं है।
डूबने की घटना													न्हरों, पदियों में डूबने की घटना होती है।

तीव्रता मानक

उच्च	मध्य	निम्न	प्रभावित नहीं

3.2 संभावित खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता तथा क्षमता विश्लेषणः–

जिला में घटित/संभावित खतरों के कालखंड, उसकी तीव्रता एवं संवेदनशील क्षेत्रों के बारे में पीछे के पेज पर तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है। जिला में घटित आपदाओं एवं आपदाओं के दौरान हुई क्षति तथा क्षति से बचने के लिए किये गये/जा रहे कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है।

3.2.1 बाढ़

गंगा नदी के कारण बाढ़, बक्सर जिला को प्रभावित करने वाली प्रमुख आपदा है। बिहार के बाढ़ प्रवण जिलों में बक्सर भी एक बाढ़ प्रवण जिला घोषित है। गंगा नदी, उत्तर प्रदेश–पश्चिमी बिहार सीमा के चौसा प्रखण्ड से प्रवेश कर जिला के ब्रह्मपुर अंचल तक (लगभग 80.50 कि०मी०) प्रवाहित होती है, जो इस जिले के उतरी सीमा का भी निर्धारण करती है। गंगा नदी के अलावे कुछ अन्य छोटी नदियाँ जैसे ठोरा, मलई, कर्मनाश, धर्ममावती, काव नदी इत्यादि भी बरसात के दिनों में एक बड़े भू भाग को प्रभावित करती है।

इस जिला में बाढ़ का मुख्य कारण हिमालय के तटवर्ती इलाकों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण गंगा नदी में बाढ की स्थिती बनी रहती है। अत्यधिक पानी छोड़े जाने के कारण जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित बॉधों एवं छरकियों पर अत्यधिक दबाव बनता है, जिसके कारण बॉध और छरकी टुट जाते है जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

3.2.1.1 बाढ़ प्रभावित क्षेत्र

जिला के मुख्यतः छः अंचल मुख्यतः गंगा नदी के कारण बाढ़ से प्रभावित होता है। साथ ही साथ अन्य छोटी नदियों (कर्मनाशा, ठोरा आदि) द्वारा भी अपने प्रवाह क्षेत्र में अत्यधिक पानी के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है।

सारणीः–(3.1) बाढ़ प्रभावित अंचल (2019–22):

वर्श	प्रभावित अंचलों का नाम	प्रभावित पंचायतों की संख्या	प्रभावित गॉवों की संख्या	प्रभावित जनसंख्या
2019	बक्सर, चौसा, इटाढ़ी, ब्रह्मपुर, चक्की, सिमरी	18	46	22000
2020	–	0	0	0
2021	बक्सर, चौसा, इटाढ़ी, ब्रह्मपुर, चक्की, सिमरी अत्यधिक वर्षापात–राजपुर, डुमरॉव	55	96	26600
2022	बक्सर, चौसा, इटाढ़ी, ब्रह्मपुर, चक्की, सिमरी	16	39	1500
श्रोतः– आपदा प्रबंधन शाखा, बक्सर				

3.2.1.2 बाढ़ से होने वाली क्षति

बाढ़ के कारण जिला में जन–जीवन एवं संसाधनों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। दैनिक कार्य के साथ–साथ विकास कार्य/योजनाएं भी अवरूद्ध हो जाती है। जानमाल, आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, जलापूर्ति एवं खाद्यापूर्ति, मूलभूत सेवाएं यथा यातायात एवं विद्युत व्यवस्था तथा कृषि को ब्यापक क्षति होती है।

सारणीः–(3.2) बाढ़ से होने वाली मृत्यु एवं क्षति का विवरण (2019–21):

वर्ष	मृतको की संख्या	गृह क्षति			फसल क्षति (लाख हे० में)
		कच्चा	पक्का	झोपड़ी	
2019	0	2	0	35	0.00625
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0.04277
श्रोतः– आपदा प्रबंधन शाखा, बक्सर					

3.2.1.3 बाढ़ प्रबंधन के संदर्भ में क्षमता

सारणीः– (3.3) वर्षामापक यंत्र की विवरण

वर्षामापक यंत्र			
क्र0	**कार्य का नाम**	**अनुपालन की स्थिति**	
1	वर्षामापक यंत्र की स्थिति	सभी 11 प्रखंडों में अधिष्ठापित एवं कार्यरत।	
		11 प्रखंडों में वर्षामापक यंत्र अधिष्ठापित।	
2	वर्षापात का दैनिक प्रतिवेदन दैनिक रूप से भेजने की सुदृढ़ व्यवस्था।	प्रत्येक प्रखंड में दो पदाधिकारी, इस कार्य हेतु प्रतिनियुक्त।	
प्रखंडवार वर्षामापी यंत्र की अद्यतन स्थितिः–			
क्र0	प्रखंड का नाम	वर्षामापी यंत्र अधिष्ठापन की स्थिति	कार्यरत
1	बक्सर	अधिष्ठापित	कार्यरत
2	चौसा	अधिष्ठापित	कार्यरत
3	इटाढ़ी	अधिष्ठापित	कार्यरत
4	ब्रह्मपुर	अधिष्ठापित	कार्यरत
5	चक्की	अधिष्ठापित	कार्यरत
6	सिमरी	अधिष्ठापित	कार्यरत
7	राजपुर	अधिष्ठापित	कार्यरत
8	डुमरॉव	अधिष्ठापित	कार्यरत
9	चौगाई	अधिष्ठापित	कार्यरत
10	केसठ	अधिष्ठापित	कार्यरत
11	नावानगर	अधिष्ठापित	कार्यरत

श्रोतः– आपदा प्रबंधन शाखा, बक्सर

सारणीः– (3.4) सरकारी एवं निजी नाव की विवरणी

नाव से संबंधित प्रतिवेदन				
क्र0 सं0	अनुमंडल का नाम	अंचल का नाम	मरम्मती उपरांत सरकारी नावों की सं0	निजी नावों की सं0
1	बक्सर	बक्सर	0	21
2		चौसा	0	25
3		इटाढ़ी	0	0
4	डुमरॉव	ब्रह्मपुर	20	35
5		चक्की	0	6
6		सिमरी	0	30
		कुल	20	117

श्रोतः– आपदा प्रबंधन शाखा, बक्सर

सारणीः– (3.5) लाइफ जैकेट एवं मोटरबोट की विवरणी			
क्र0सं0	अंचल कार्यालय का नाम	लाइफ जैकेट की संख्या	मोटर बोट की संख्या
1	बक्सर	19	0
2	चौसा	3	0
3	इटाढ़ी	0	0
4	ब्रह्मपुर	2	0
5	चक्की	5	0
6	सिमरी	0	0
	अनुमंडल बक्सर	252	10 (6-Reparable, 4-In Good Condition)
कुल–		281	0

श्रोतः– आपदा प्रबंधन शाखा, बक्सर

सारणीः– (3.6) लाइफ जैकेट एवं मोटरबोट की विवरणी			
क्र0सं0	अंचल कार्यालय का नाम	लाइफ जैकेट की संख्या	मोटर बोट की संख्या
1	बक्सर	19	0
2	चौसा	3	0
3	इटाढ़ी	0	0
4	ब्रह्मपुर	2	0
5	चक्की	5	0
6	सिमरी	0	0
	अनुमंडल बक्सर	252	10 (6-Reparable, 4-In Good Condition)
कुल–		281	0

सारणीः— (3.7) जेनरेटर सेट/महाजाल/टेन्ट/पेट्रोमेक्स की विवरणी			
क्र0सं0	**अंचल का नाम**	**जेनरेटर सेट/पेट्रोमेक्स/टेन्ट आदि/महाजाल की संख्या**	**अभ्युक्ति**
1	बक्सर	18	जेनरेटर सेट/महाजाल/टेन्ट/पेट्रोमेक्स की आवश्यकता पड़ने पर दैनिक भाड़े पर लेने हेतु जेनरेटर सेट मालिकों, टेन्ट मालिको एवं पेट्रोमैक्स मालिकों से एकरारनामा कर ली गई है।
2	चौसा	3 टेन्ट	
3	इटाढ़ी	1 टेन्ट	
4	ब्रह्मपुर	1 (महाजाल) +1 टेन्ट	
5	चक्की	2 टेन्ट	
6	सिमरी	3 टेन्ट 1 (महाजाल)	
7	अनुमंडल, बक्सर	3 (महाजाल)	जिसमें 02 (दो) क्षतिग्रस्त है।
8	अनुमंडल, डुमरॉव	2 (महाजाल)	
9	जिला स्तर पर	226 टेन्ट	
कुल		**7 (महाजाल) एवं 254 टेन्ट**	

श्रोतः— आपदा प्रबंधन शाखा, बक्सर

सारणीः— (3.8) बाढ़ राहत शिविर एवं सामुदायिक रसोई केन्द्रों की संख्या			
क्र0 सं0	अंचल का नाम	बाढ़ राहत शिविर	सामुदायिक रसोई
1	2	3	4
1	बक्सर	10	2
2	चौसा	4	2
3	इटाढ़ी	3	3
4	ब्रह्मपुर	18	4
5	चक्की	6	6
6	सिमरी	12	12
7	राजपुर	0	0
8	डुमरॉव	0	0
9	चौगाई	0	0
10	केसठ	0	0
11	नावानगर	0	0
	कुल	53	29

श्रोतः— आपदा प्रबंधन शाखा, बक्सर

सारणीः– (3.9) बाढ़ 2022 : चिन्हित किए गए बाढ़ राहत शिविर की सूची

क्र0 सं0	अंचल का नाम	पंचायत का नाम	गॉव का नाम	चिन्हित किए गए राहत शिविर स्थल का नाम	बाढ़ शरणार्थियों को रखने की क्षमता (संख्या)	शिविर प्रभारी		
						नाम	पदनाम	मोबाईल नं0
1	2	3	4	5	8	12	13	14
1	बक्सर	करहंसी	करंहसी	राजकीय उच्च विद्यालय	100	अमूलकांत राम	विकास मित्र	6206785819
2		अहिरौली	अहिरौली	मध्य विद्यालय, अहिरौली	100	प्रभाकर दुबे	प्र0अ0	9939909330
3		सोनवर्षा	सोनवर्षा	मध्य विद्यालय, सोनवर्षा	100	अजय भारती	विकास मित्र	6201379617
4		छोटका नुआॅव	गोविन्दपुर	मध्य विद्यालय, गोविन्दपुर	100	गोविन्द कुमार	विकास मित्र	8789512445
5		छोटका नुआॅव	छोटका नुआॅव	मध्य विद्यालय, छोटका नुआॅव	100	कामेश्वर राम	विकास मित्र	8873126562
6		छोटका नुआॅव	बड़का नुआॅव	मध्य विद्यालय, बड़का नुआॅव	100	अजय नंदन राम	विकास मित्र	8539990222
7		छोटका नुआॅव	गोपनुआॅव	प्राथमिक विद्यालय, गोपनुआॅव	100	कंचल पुसकर	विकास मित्र	7392787942
8		छोटका नुआॅव	पुलियॉ	उच्च विद्यालय, पुलिया	100	सुशील राम	विकास मित्र	8825145974
9		छोटका नुआॅव	ठोरा	प्राथमिक विद्यालय, ठोरा	100	चन्द्रहास	विकास मित्र	9162966254
10		छोटका नुआॅव	हरिपुर	प्राथमिक विद्यालय, हरिपुर	100	संदीप कुमार	विकास मित्र	6201294482
11	इटाढ़ी	इटाढ़ी	इटाढ़ी	आदर्श म0 वि0 इटाढ़ी	100	श्रीमति अंकिता वर्मा	राजस्व कर्मचारी	9971158548
12		अतरौना	अतरौना	हाई स्कुल, अतरौना	200	श्री लालजी प्रसाद	राजस्व कर्मचारी	6299019245
13		हरपुर–जलवॉसी	बैरी	उत्क्रमित उ0 वि0, बैरी	200	श्री राजेन्द्र प्रसाद	राजस्व कर्मचारी	7739565474
14	चौसा	बनारपुर	कमरपुर	उच्च विद्यालय, बनारपुर	280	विकास कु0 पाण्डेय	प्र0 सांख्यिकी पदा0	8709992708
15		बनारपुर	बनारपुर	पंचायत भवन बनारपुर	90	कन्हैया प्रसाद	राजस्व कर्मचारी	8603534213
16		सिकरौर	सिकरौर	उच्च विद्यालय, सिकरौल	215	नारायण दत्त	पंचायत सचिव	8292635445
17		जलीलपुर	रोहनीभान	म0वि0, रोहनीभान	105	चन्द्रभूषण पाण्डेय	राजस्व पदाधिकारी	7042702189
18	ब्रह्मपुर	द0 नैनीजोर	द0 नैनीजोर	उ0वि0 नैनीजोर	250	सच्चिदा प्रसाद	प्र0अ0	8709121016
19		द0 नैनीजोर	द0 नैनीजोर	म0वि0 छोटकी नैनीजोर	100	अनिता कुमारी	प्र0अ0	7903844526
20		उ0 नैनीजोर	बड़की नैनीजोर	म0वि0उ0 नैनीजोर	400	सिद्धनाथ प्रसाद	प्र0अ0	9939865853
21		उ0 नैनीजोर	बड़की नैनीजोर	म0वि0 संजीवन डेरा	210	ब्रजेश तिवारी	प्र0अ0	9507116217
22		उ0 नैनीजोर	बड़की नैनीजोर	नैनीजोर बॉध	100	–	–	–
23		महुआर	महुआर	म0वि0 महुआर	210	रिना कुमारी	प्र0अ0	8709514156
24		महुआर	चन्द्रपुरा	म0वि0 चन्द्रपुरा	500	डिप्टी पाण्डे	प्र0अ0	8969649469
25		हरनाथपुर	हठिलपुर	म0वि0 चकनी	380	ऋषिमुनी यादव	प्र0अ0	9934614018
26		हरनाथपुर	जवही जगदिशपुर	उ0वि0 हठिलपुर	410	सुधीर सिंह	प्र0अ0	62099041956
27		हरनाथपुर	कपुरपुर	प्रा0वि0 कपुरपुर	180	सत्यनारायण पाडेय	प्र0अ0	7979819314
28		हरनाथपुर	जयपुर	प्रा0वि0 उमेदपुर	290	भोला सिंह	प्र0अ0	9939475171
29		निमेज	निमेज	उ0म0वि0 निमेज	440	सीमा ओझा	प्र0अ0	7004706387
30		निमेज	निमेज	म0वि0 निमेज	380	हरेन्द्र प्रसाद	प्र0अ0	9430879508
31		निमेज	निमेज	उ0वि0 निमेज	400	श्री गणेश सिंह	प्र0अ0	8521813374
32		गायघाट	गायघाट	म0वि0 गायघाट	250	रीना सिंह	प्र0अ0	7992304844
33		बैरियॉ	पांडेयपुर	म0वि0 पांडेयपुर	300	विरेन्द्र कुमार	प्र0अ0	9304422992
34		गहौना	कुआॅवन	प्रा0वि0 कुआॅवन	200	सूर्यनाथ राय	प्र0अ0	9135863030
35		योगियॉ	योगियॉं	म0वि0 योगियॉं	300	रमेश वर्मा	प्र0अ0	9955553137
36	चक्की	जवही दियर	जवही दियर	पंचायत भवन जवही दियर	200	श्वेता कुमारी	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चक्की	9431005140
37		जवही दियर	जवही दियर	उ0म0वि0 जवही दियर	800			
38		जवही दियर	जवही दियर	कन्या प्राथमिक वि0, जवही दियर	400			
39		जवही दियर	जवही दियर	मा0 वि0 महाजी जवही दियर	300			
40		जवही दियर	जवही दियर	सामुदायिक भवन, जवही दियर	200			
41		जवही दियर	जवही दियर	पैक्स गोदाम जवही दियर	300			
42	सिमरी	गंगौली	गंगौली	उत्क्रमित म0 वि0, गंगौली	1000	अख्तर हुसैन	रा0कर्मचारी	6202600062
43		राजापुर	राजापुर	रेफरल अस्पताल	800	परवेज अख्तर	आवस सहायक	7992386843
44		नियाजीपुर खुर्द	रघुवंश पाठक के डेरा नियाजिपुर	म0 वि0 नियाजीपुर	1000	कृष्ण कान्त ओझा	रा0कर्मचारी	7004560148
45		नियाजीपुर खुर्द	नियाजीपुर	उच्च वि0 नियाजीपुर	1200	शैलन्द्र राय	आवस सहायक	8789899740
46		राजपुर कला	बडका राजपुर	उच्च वि0 बड़का राजपुर	1200	राधाकिशुन	रा0कर्मचारी	7488317760
47		राजपुर कला	राजपुर कला आदर्श नगर	म0वि0 आदर्श नगर	800	अजय पाण्डेय	आवस सहायक	9122661733
48		राजपुर परसनपाह	छोटका राजपुर	म0 वि0 छोटका राजपुर	1200	अख्तर हुसैन	रा0कर्मचारी	6202600062
49		राजापुर	अर्जुनपुर	उच्च वि0 अर्जुनपुर	1200	रामेश्वर प्रा0 केशरी	पं0सेवक	9934094058
50		राजापुर	अर्जुनपुर	म0 वि0 अर्जुनपुर	800	राजीव मिश्रा	आवस सहायक	8825279908
51		बलिहार	नगपुरा	म0 वि0 नगपुरा	800	शैलेन्द्र चौबें	पं0सेवक	9490619235
52		केशोपुर	केशोपुर	म0 वि0 केशोपुर	1200	संजय कुमार	आवस सहायक	799259438
53		केशोपुर	मानिकपुर	म0 वि0 मानिकपुर	1000	सरोज कु0 सिंह	आवस सहायक	7488196276

श्रोतः– आपदा प्रबंधन शाखा, बक्सर

सारणीः– (3.10) बाढ़ 2022 : चयनित सामुदायिक रसोई एवं प्रभारी

क्र0 सं0	अंचल का नाम	पंचायत का नाम	गॉव का नाम	चिन्हित किए गए सामुदायिक रसोई केंन्द्र का नाम	बाढ़ शरणार्थियों को रखने की क्षमता (संख्या)	शिविर प्रभारी		
						नाम	पदनाम	मोबाईल नं0
1	बक्सर	अहिरौली	अहिरौली	धनवंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज, अहिरौली	250	श्री संजय कुमार यादव	राजस्व कर्मचारी	7903514882
2		छोटका नुऑव	छोटका नुऑव	मध्य विद्यालय छोटका नुऑव	200	श्री सुदामा सिंह	राजस्व कर्मचारी	8825243278
8	इटाढ़ी	इटाढ़ी	इटाढ़ी	आदर्श म0 वि0 इटाढ़ी	100	श्रीमति अंकिता वर्मा	राजस्व कर्मचारी	9971158548
9		अतरौना	अतरौना	हाई स्कुल, अतरौना	200	श्री लालजी प्रसाद	राजस्व कर्मचारी	6299019245
10		हरपुर–जलवॉसी	बैरी	उत्क्रमित उ0 वि0, बैरी	200	श्री राजेन्द्र प्रसाद	राजस्व कर्मचारी	7739565474
13	चौसा	बनारपुर	बनारपुर	उत्क्रमित म0 वि0, बनारपुर	280	विकास कु0 पांडेय	प्र0 सांख्यिकी पदा0	8707192708
14		जलीलपुर	रोहनीभान	मध्य विद्यालय रोहनीभान	105	चन्द्रप्रकाश पांडेय	राज्स्व पदा0	7042702189
20	ब्रह्मपुर	उ0 नैनीजोर	उ0 नैनीजोर	प्रा0वि, ढाबी	200	विक्रमा यादव	प्र0अ0	9905254872
21		द0 नैनीजोर	द0 नैनीजोर	उ0वि0 नैनीजोर	250	सच्चिदा प्रसाद	प्र0अ0	8709121016
22		महुआर	चन्द्रपुरा	म0वि0 चन्द्रपुरा	500	सिद्धनाथ प्रसाद	प्र0अ0	8969649469
23		हरनाथपुर	हठिलपुर	उ0वि0 हठिलपुर	410	सुधीर सिंह	प्र0अ0	6299041956
34	चक्की	जवही दियर	जवही दियर	पंचायत भवन जवही दियर	200	श्वेता कुमारी	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चक्की	9431005140
35		जवही दियर	जवही दियर	उ0म0वि0 जवही दियर	800			
36		जवही दियर	जवही दियर	कन्या प्राथमिक वि0, जवही दियर	400			
37		जवही दियर	जवही दियर	मा0वि0महाजी जवही दियर	300			
38		जवही दियर	जवही दियर	सामुदायिक भवन, जवही दियर	200			
39		जवही दियर	जवही दियर	पैक्स गोदाम जवही दियर	300			
40	सिमरी	गंगौली	गंगौली	उत्क्रमित म0 वि0, गंगौली	1000	अख्तर हुसैन	रा0 कर्मचारी	6202600062
41		राजापुर	राजापुर	रेफरल अस्पताल	800	परवेज अख्तर	आवस सहायक	7992386843
42		नियाजीपुर खुर्द	रघुवंश पाठक के डेरा नियाजिपुर	म0 वि0 नियाजीपुर	1000	कृष्ण कान्त ओझा	रा0कर्मचारी	7004560148
43		नियाजीपुर खुर्द	नियाजीपुर	उच्च वि0 नियाजीपुर	1200	शैलन्द्र राय	आवस सहायक	8789899740
44		राजपुर कला	बडका राजपुर	उच्च वि0 बड़का राजपुर	1200	राधाकिशुन	रा0कर्मचारी	7488317760
45		राजपुर कला	राजपुर कला आदर्श नगर	म0 वि0 आदर्श नगर	800	अजय पाण्डेय	आवस सहायक	9122661733
46		राजपुर परसनपाह	छोटका राजपुर	म0वि0 छोटका राजपुर	1200	अख्तर हुसैन	रा0कर्मचारी	6202600062
47		राजापुर	अर्जुनपुर	उच्च वि0 अर्जुनपुर	1200	रामेश्वर प्रा0 केशरी	पं0सेवक	9934094058
48		राजापुर	अर्जुनपुर	म0वि0 अर्जुनपुर	800	राजीव मिश्रा	आवस सहायक	8825279908
49		बलिहार	नगपुरा	म0वि0नगपुरा	800	शैलेन्द्र चौबें	पं0सेवक	9490619235
50		केशोपुर	केशोपुर	म0वि0 केशोपुर	1200	संजय कुमार	आवस सहायक	799259438
51		केशोपुर	मानिकपुर	म0वि0मानिकपुर	1000	सरोज कु0 सिंह	आवस सहायक	7488196276

श्रोतः– आपदा प्रबंधन शाखा, बक्सर

सारणीः— (3.11) गोताखोरों की संख्या		
क्र0सं0	अंचल का नाम	गोताखोरों की संख्या
1	बक्सर	8
2	चौसा	5
3	इटाढ़ी	0
4	ब्रह्मपुर	15
5	चक्की	10
6	सिमरी	10
कुल		48
समुदाय का प्रशिक्षण		
कार्य का नाम		अनुपालन की स्थिति
राहत एवं बचाव दल के रूप में आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित समुदाय के लोगों का उपयोग करना।		बाढ़ के समय एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 टीम को आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जिला में आवश्यकता अनुसार प्रतिनियुक्त किया जाता है।
		बाढ़ के समय राहत एवं बचाव दल का गठन अंचल स्तर पर की जाती है।

श्रोतः— आपदा प्रबंधन शाखा, बक्सर

- बाढ़ प्रबंधन हेतु सभी उपलब्ध संसाधनों की सूची BSDRN (http://bsdrn.bsdma.org/Frontend/equipDistrict) पर अद्यतन किया जाता है।

- जिला में बाढ़ राहत बचाव हेतु एन.डी.आर.एफ. / एस.डी.आर.एफ की प्रतिनियुक्ति की जाती है।

○ **जागरूकता कार्यक्रम**

- प्रतिवर्ष 01 से 07 जून के बीच **बाढ़ सुरक्षा सप्ताह** का आयोजन किया जाता है। इस सप्ताह के दौरान जिला भर में विशेष जन जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम यथा होर्डिंग, समाचार पत्रों में बाढ़ से बचाव के उपायो का प्रकाशन, रैली, पेंटिग प्रतियोगिता एवं मॉक ड्रिल आदि विशेष रूप से आयोजित किये जाते है।

3.2.2 भूकंप :– बक्सर जिला भूकम्पीय जोन III में अवस्थित है। भारत–नेपाल सीमा के नजदीक होने वाले भूकम्प से यह जिला भी प्रभावित होता रहा है।

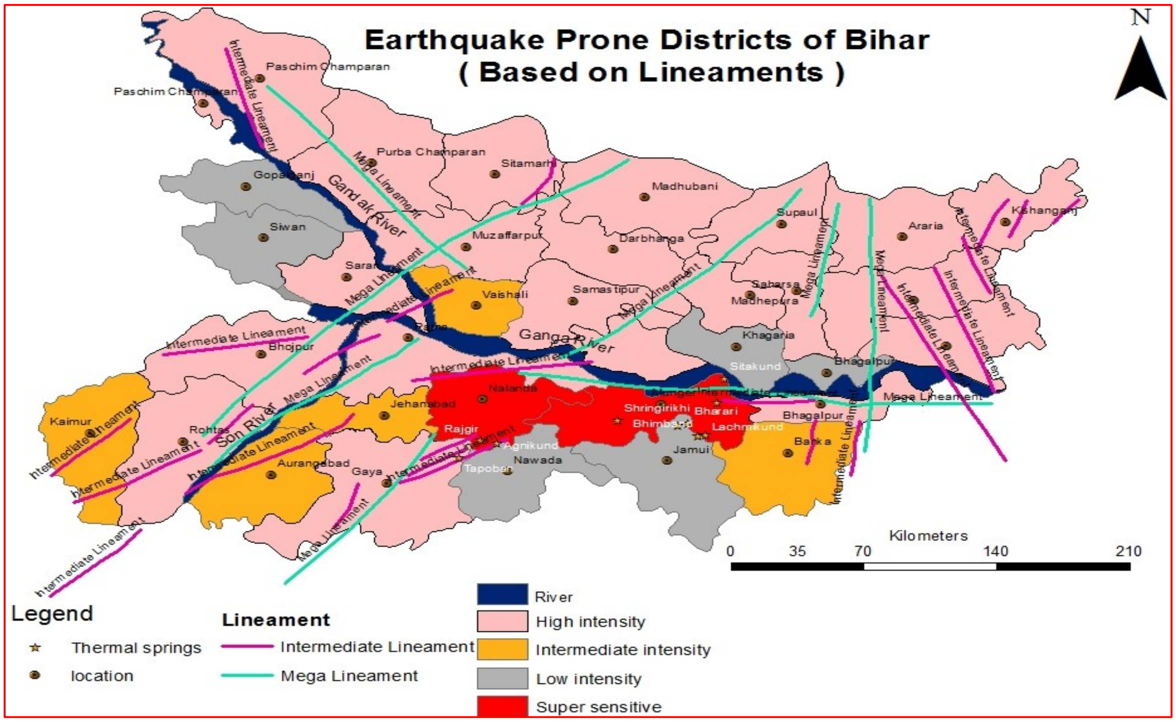

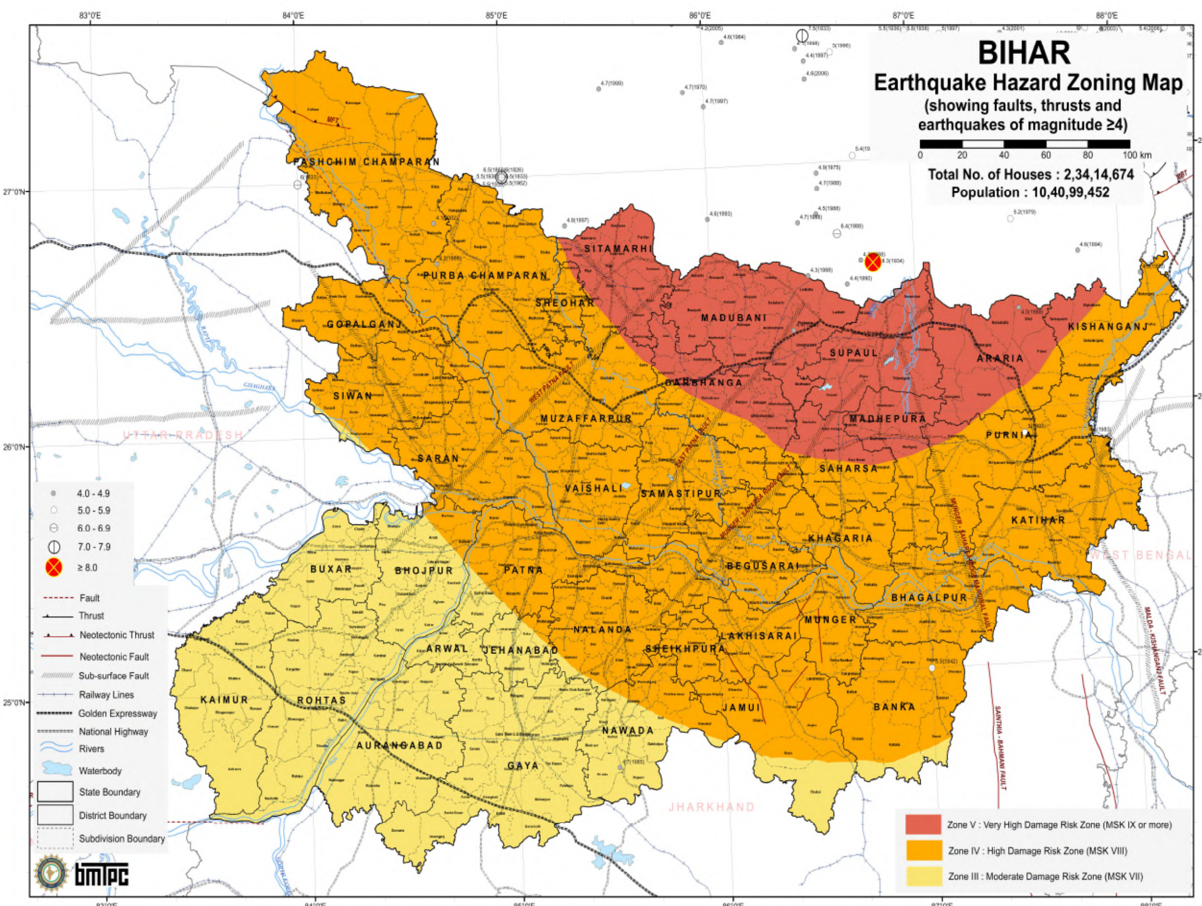

NDMA - BMTPC Earthquake Hazard Zoning Map; Map is Based on digitised data of SOI, GOI; Sub-Division Boundary as per Census of India 2011, GOI; Seismic Zones of India Map IS: 1893 (Part I) - 2002, BIS, GOI;Earthquake Epicentre from IMD, GOI;Seismotectonic Atlas of India and its Environs, GSI, GOI; Houses/Population as per Census 2011. "(First Edition, 2015)" Disclaimer: The maps are solely for thematic presentation. Note: For commercial use of the map, permission is required from NDMA. For other purposes, acknowledgement is to be given.

3.2.1.1 भूकंप में क्षति के कारक

जनसंख्या घनत्व में वृद्धि एवं भूकम्परोधी भवनों के निर्माण में तकनीकी ज्ञान में कमी, स्थानीय मिट्टी की विशेषता के कारण खतरे की संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। विगत कई भूकम्पों में ऐसा देखा गया है कि भूकम्प में जानमाल की क्षति होने के कई कारक हैं जिसमें से मुख्यतः इस प्रकार हैं : -

- भूकम्प आने का समय
- निर्माण का प्रकार
- मकान के छत का प्रकार

3.2.1.2 जिला में क्षति का अनुमान : बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना द्वारा प्रकाशित रिर्पोट (अगस्त 2013) के अनुसार 1934 के भूकम्प की तीव्रता की काल्पनिक पुनरावृत्ति के तहत जिला में क्षति का अनुमान निम्न प्रकार है।:

District (Seismic Zone IV)	Number of Census houses of different Types and their Vulnerability						Number of Houses (N) under various Damage Grades			Estimated Damages			
	nA (H)	nB (M)	nC1 (L)	nC2 (L)	Type X (VL)	Total	NG4	NG3	NG2	Loss of Human Lives		Re-construction	Repairing
										Unfavorable	Favorable		
Buxar	**90,788**	**198,459**	**1,344**	**2,308**	**29,664**	**322,563**	**9,079**	**87,937**	**106,404**	**333**	**107**	**9,079**	**194,341**
Simri	8,252	20,178	244	259	6,750	**35,683**	825	8,207	10,758	30	10	**825**	**18,965**
Chakki	1,399	3,641	8	31	1,371	**6,450**	140	1,413	1,929	5	2	**140**	**3,343**
Barhampur	8,338	19,955	311	186	4,240	**33,030**	834	8,249	10,653	31	10	**834**	**18,902**
Chaugain	2,870	6,342	14	33	466	**9,725**	287	2,787	3,391	11	3	**287**	**6,178**
Kesath	2,192	4,490	6	26	510	**7,224**	219	2,093	2,413	8	3	**219**	**4,506**
Dumraon	13,022	30,414	120	484	3,819	**47,859**	1,302	12,808	16,244	48	15	**1,302**	**29,052**
Buxar	10,369	39,120	265	737	4,309	**54,800**	1,037	11,689	20,438	38	12	**1,037**	**32,127**
Chausa	5,658	12,545	89	72	1,662	**20,026**	566	5,498	6,713	21	7	**566**	**12,211**
Rajpur	17,142	21,780	108	128	2,857	**42,015**	1,714	15,035	12,199	63	20	**1,714**	**27,234**
Itarhi	11,306	18,800	79	90	1,865	**32,140**	1,131	10,360	10,265	42	13	**1,131**	**20,624**
Nawanagar	10,240	21,194	100	262	1,815	**33,611**	1,024	9,799	11,401	38	12	**1,024**	**21,201**

Type-**A:** Mud/Un-burnt Brick, Stone not packed with Mortar, Stone Packed with Mortar.
Type-**B:** Burnt Brick
Type-**C1:** Wood
Type-**C2:** Concrete
Type-**X:** Grass/ Plastic/ Bamboo etc, Plastic/ Polythene, G.I./ Metal/ Asbestos sheets and 'any other material'.

Damage grades : Classification of Damage to Buildings

- **G5** : Grade 5 - *Total damage* (Total collapse of the buildings)
- **G4:** Grade 4 - *Destruction* (Gaps in walls; parts of buildings may collapse; separate parts of the buildings lose their cohesion; and inner walls collapse.)
- **G3** : Grade 3 - *Heavy damage* (Large and deep cracks in walls and plaster; fall of chimneys)
- **G2** : Grade 2 - *Moderate damage* (Small cracks in walls and plaster; Fall of fairly large pieces of plaster; Pantiles slip off; Cracks in chimneys; Parts of chimney fall down)
- **G1** : Grade 1 - *Slight damage* (Fine cracks in plaster; fall of small pieces of plaster)

Source: Damage scenario under hypothetical recurrence of 1934 earthquake intensities in various districts in Bihar, August 2013, BSDMA, Patna

3.2.1.3 बक्सर जिले में भूकम्प का इतिहास

बिहार में आये बड़े भूकम्पों यथा

- दिनांक 15.01.1934– केन्द्र भारत नेपाल सीमा,
- दिनांक 11.01.1962– केन्द्र भारत नेपाल सीमा,
- दिनांक 21.08.1988–केन्द्र भारत नेपाल सीमा एवं
- दिनांक 25, 26 अप्रैल 2015–केन्द्र भारत–नेपाल सीमा

से बक्सर जिला भी प्रभावित रहा है।

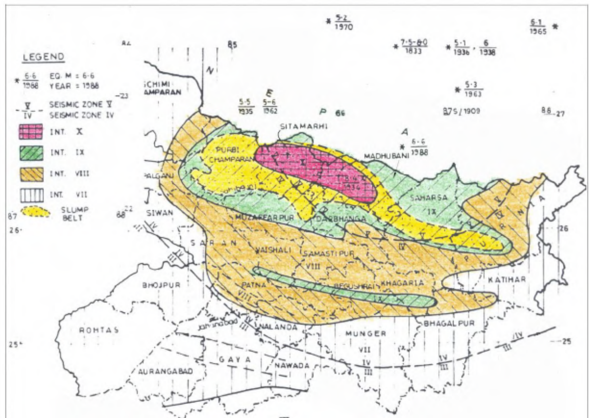

Fig. 1 : Iso-seismal map of 1934 Bihar-Nepal Earthquake

3.2.1.4 भूकम्प के संर्दभ में उपलब्ध संसाधन

बक्सर जिला भूकंप के पैमाने पर सिसमिक जोन–प्ट के अंतर्गत आता है। विभिन्न स्तरों से प्राथमिक एवं द्वितीय स्त्रोतों से जो आंकड़े एकत्रित किए गये हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि जिला भूकंप के दौरान कंपन तो महसूस करता है, किन्तु मानवीय या संरचनात्मक ढ़ाँचों का नुकसान बहुत कम होता है।

- **भूकम्प के संदर्भ में जिला स्तर पर क्षमता एवं क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम–**
  - भूकम्परोधी भवन निर्माण तकनीक से संबंधित जिला में कुल 75 असैनिक अभियंताओं एवं प्रखण्डवार कुल 498 अनुभवी राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जिसकी सूची बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
  - एनडीआरएफ/एसडीआरएफ वाहिनी टीम के सदस्यों ंदक द्वारा विद्यालयों में भूकम्प से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन कर विद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षकों, छात्रों, एनसीसी, एनएससी तथा अन्य समुहों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया गया है।
  - मुखिया, सरपंच एवं अन्य जन प्रतिनिधियों को एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है।
  - भूकंप से व्यापक पैमाने पर होने वाली जान–माल की क्षति से आमलोगों को बचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला के सभी अभियंत्रिकी महाविद्यालयों में भूकंप क्लिनिक स्थापित किये जा रहे हैं। जिला क्षेत्र के भूकंप जोन चार में होने से संभावित तीव्रतम झटकों से घरों को बचाने तथा आमलोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उक्त भूकंप क्लिनिक में नये भवनों को भूकंपरोधी बनाने और पुराने भवनों की सुरक्षा के लिये रेट्रोफिटिंग पद्धति के बाबत जानकारी देने के लिये भूकंप सुरक्षा क्लिनिक किए जाने हैं।
  - प्रत्येक वर्ष भूकंप सुरक्षा सप्ताह (15 से 22 जनवरी 2022) के अंतर्गत तिथिवार बक्सर प्रखंड के निजी, प्रारंभिक, माध्यमिक विद्यालय एवम कॉलेज के फोकल शिक्षकों को भूकंप से बचाव संबंधी मॉक ड्रिल की जानकारी व विद्यालय में इसके क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी दी जाती है। साथ ही नुक्कड–नाटक के माध्यम से भी आम जनों को भूकम्प के न्यूनीकरण एवं इससे बचने के तरीकों के बारे में विस्तृत जागरूक किया जाता है।
  - भूकम्परोधी कार्यों में प्रयुक्त किए जाने वाले संसाधनों की सूची बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीएसडीआरएन पोर्टल पर समय–समय पर अद्यतनीकरण किया जाता है।
  - भवन निर्माण सामग्री विक्रेताओं को भूकम्परोधी भवन निर्माण सामग्री के संर्दभ में जागरूकता कार्यक्रम।
  - जिला में उपलब्ध संसाधनों की सूची BSDRN (http://bsdrn.bsdma.org/Frontend/equipDistrict) पर अद्यतन किया गया है।

3.2.3 अग्निकांड

बिहार सरकार ने आग को स्थानीय आपदा के रूप में चिन्हित किया है। जोखिम एवं संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से अगलगी प्राकृतिक आपदा होने के साथ साथ मानव जनित आपदा भी है। जिला में अप्रैल से जून माह तक भीषण गर्मी पड़ती है। गर्मी के इन महीनों मे जब पछुआ हवा बहती है तो समान्यतः अगलगी की घटनाएं काफी बढ़ जाती है।

अगलगी की घटनाएं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में एक जैसे नहीं होते हैं। शहरों में अगलगी मुख्यतः शार्ट सर्किट एवं विद्युत उपकरणों के खराब रखरखाव के कारण जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः बढ़ते तापमान के दौरान पछुआ हवा के समय लोगों के द्वारा सावधानियों पर ध्यान न देने आदि से होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगलगी का प्रकोप मुख्यतः कच्चे घरों तथा झोपड़ियों में रहने वाले लोगों एवं खेत–खलिहानों पर पड़ता रहा है।

बक्सर जिला में आगलगी ऐसी गंभीर आपदा है, जिसके घटित होने पर न केवल सम्पति नष्ट होती है, अपितु बहुमूल्य जानें भी जा रही हैं। बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा चिन्हित अगलगी प्रवण जिलों में भले ही बक्सर का स्थान नहीं है परन्तु जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में अगलगी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जल स्त्रोतों यथा– पोखर, पईन आदि के अतिक्रमण अथवा सूखने के कारण आग की बुझाने के दौरान परेशानी होती है क्योंकि आग लगने पर उसे बुझाने हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। अगलगी की घटनाओं से जान–माल की क्षति के साथ–साथ संसाधनों, कृषि, आजीविका, तथा पर्यावरण भी प्रभावित होता है।

3.2.3.1 जिले में अगलगी के प्रमुख कारण : :

- ✓ बिजली का शॉर्ट सर्किट होना।
- ✓ चूल्हे की आग को नहीं बुझाना।
- ✓ बीड़ी/सिगरेट पीने के बाद बिना बुझाए यत्र–तत्र फेंक देना।
- ✓ जिन घरों में गैस चूल्हे पर खाना बनता है, वहॉं खाना पकाने के बाद गैस सिलिंडर की गैस का बंद नहीं होना/लीक होना।
- ✓ बिजली के उपकरणों के उपयोग में असावधानी।
- ✓ बिजली के लूज तारों के (हवा चलने से) टकराने से उत्पन्न चिंगारी।
- ✓ मवेशी घर में मच्छर भगाने हेतु धुऑं करने के लिए जलायी आग को बिना बुझाए ही छोड़ देना।
- ✓ फसल कटनी के बाद खेतों में छोड़े गए डंठलों में आग लगा देना।
- ✓ अवैध रूप से पटाखों का भंडारण एवं वितरण।
- ✓ पछुआ हवा चलते समय हवन आदि करते समय लापरवाही।
- ✓ भवनों (निजी, व्यावसायिक, सरकारी में अग्नि सुरक्षा के प्रावधानों का अभाव।

3.2.3.2 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षतिः

इस जिले के सभी प्रखण्ड अग्निकांड़ से प्रभावति होते है तथा प्रतिवर्ष ब्यापक क्षति होती है।

सारणी– (3.12) बक्सर जिला में अग्नि कांड से हुए क्षति का विवरण (वर्ष 2019–22) :

क्र०	वर्ष	कुल घटना	मृत व्यक्ति	मृत जानवर	घायल व्यक्ति	घायल जानवर
1.	2019	127	02	35	09	09
2.	2020	122	0	05	01	02
3.	2021	205	04	18	09	04
4.	2022 (अगस्त तक)	171	0	07	04	03

श्रोतः– अग्निशमन सेवा, बक्सर।

3.2.3.3 अग्निकांड के प्रबंधन के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन

■ **उपलब्ध संसाधन**

- अग्निशमन स्टेशन–02
- फयर टेंडर–04
- एम०टी० वाहन–09

■ **जागरूकता कार्यक्रम**

- प्रत्येक वर्ष दिनांक 14 से 20 अप्रैल तक **अग्नि सुरक्षा सप्ताह** के रूप में मनाया जाता है। अस दौरान जिला भर में बिहार अग्निशमन सेवाएं एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से जागरूकता के विशेष कार्यक्रम एवं मॉकड्रील किये जाते हैं।
- सोशल मिडिया एवं प्रिंट मिडिया के माध्यम से अगलगी से बचाव हेतु दिशा निदेशों का प्रचार–प्रसार किया जाता है।

3.2.4 वज्रपात / ठनका :

वज्रपात, वायुमंडल की विशेष परिस्थिति में बादलों एवं पृथ्वी की सतह के बीच होने वाला क्रमिक व लगातार विद्युत प्रवाह है। इस विद्युत प्रवाह की वजह से वायुमंडल में उपर से नीचे तक एक तीव्र प्रकाश के साथ तेज आवाज (गर्जन) उत्पन्न होती है। इस विद्युत प्रवाह को बिजली गिरना या ठनका के रूप में भी जाना जाता है। विद्युत प्रवाह की वजह से पास की वायुमंडलीय हवा का तापमान करीब 30,000 Kelvin (53,5400F - 29726,850F) तक हो जाता है। इतने ज्यादा तापमान की वजह से विद्युत प्रवाह के रास्ते में आने वाली हवा के आयतन में अचानक काफी विस्तार होने से तेज गर्जना के साथ आवाज उत्पन्न होती है। इस विद्युत प्रवाह के सम्पर्क में आने से जन–माल की क्षति हो सकती है।

वज्रपात जिसे सामान्य भाषा में ठनका भी कहा जाता है एक ऐसी प्राकृतिक आपदा उभर कर आयी है जिसके बिहार राज्य में प्रत्येक वर्ष बहुत अधिक संख्या में जान माल की क्षति हो रही है। मानसून के दौरान होने वाले प्रमुख आपदा, बाढ़, डूबने से मृत्यु, सर्पदंश एवं ठनका आदि में ठनका अधिक घातक हो रही है। ऐसे तो मानसून का आगमन खुशहाली लाती है और खेती से जुड़े लोग अपने कार्यों में लग जाते है। परंतु मौसम एवं सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी के अभाव से लोग खेतों में काम करने वाले लोग अक्सर ठनका के शिकार बन जाते हैं। अध्ययनकर्त्ताओं के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रहे Extreme Weather conditions का भी ठनका की घटनाओं में वृद्धि होने में अहम योगदान है।

वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग एवं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा कई पहल की गयी है, जिसमें 'इन्द्रवज्र' मोबाइल एप एवं समुदाय स्तर पर जन जागरूकता संबंधी विभिन्न कार्यक्रम शामिल है। 'इन्द्रवज्र' एक मोबाइल एप है जिसके माध्यम से लोगों को ठनका के संभावित समय/स्थल के बारे में पहले ही जानकारी मिल जाती है, जिससे कि वे ठनका गिरने के पूर्व सुरक्षित जगह पर पहुंच सकें। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अन्य संबंधित हितधारकों के सहयोग से मौसम एवं वज्रपात से बचाव के संबंध में (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में) लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ताकि जान–माल कर क्षति न हो।

3.2.4.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षति:

प्रत्येक वर्ष मानसून पूर्व एवं मानसून के दौरान सम्पूर्ण बक्सर जिला वज्रपात जैसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होता रहा है। माह अप्रैल से जुलाई तक वज्रपात की घटनायें होती रहती है, जिससे मानव एवं पशु दोनों मृत या घायल होते रहते है। विगत वर्षो में इससे हुई क्षति निम्न प्रकार से है :

सारणीः– (3.13) वज्रपात से हुई मृत्यु का विवरण (2017–22):

क्र०	वर्ष	मृतको की संख्या
1.	2017	3
2.	2018	5
3.	2019	4
4.	2020	7
5.	2021	4
6.	अगस्त 2022 तक	1

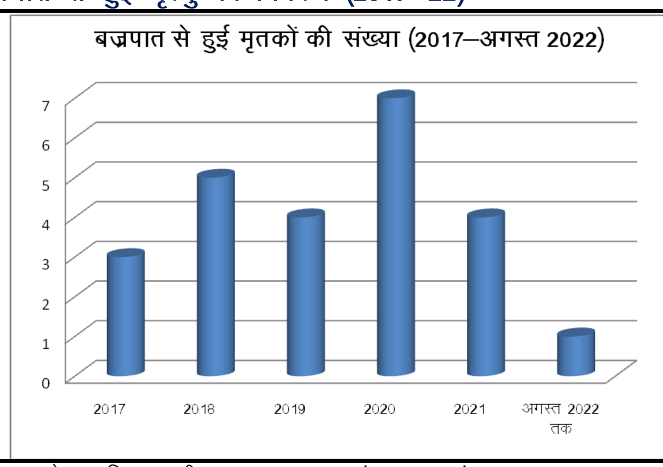

श्रोतः– बि०एस०डी०एम०ए०, पटना एवं आपदा प्रबंधन शाखा, बक्सर

3.2.4.2. वज्रपात से बचाव के उपाय

❖ **घर के अंदर वज्रपात से बचने के लिए क्या करें**

- यदि आप घर के अंदर हैं और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है तो तत्काल सभी इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें। केवल स्विच ऑफ करने से काम नहीं चलता। डिस्कनेक्शन जरूरी है।
- खिड़कियां एवं दरवाजे बंद कर दें। खुले बरामदे और छत पर ना जाएं।
- ऐसी हर चीज से दूर रहें जहां करंट आने की संभावना है। रबड अथवा प्लास्टिक की चप्पले पहने।
- धातु से बने पाइप, नल, फव्वारा, वाश बेसिन आदि के संपर्क से दूर रहे।

❖ **घर के बाहर आकाशीय बिजली से बचने के लिए क्या करें**

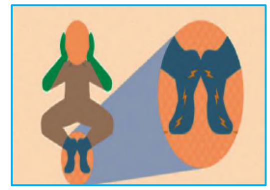

- वृक्ष बिजली को आकर्षित करते हैं। इसलिए मौसम खराब होने पर उनके पास ना जाएं।
- ऊंची इमारतों वाले क्षेत्र में आश्रय न लें।
- समूह में खड़े होने के बजाय अलग– अलग हो जाएं।
- किसी निर्मित भवन में आश्रय लेना बेहतर है।
- यदि आप किसी वाहन में है तो मौसम खराब होने पर भी उसी में बने रहे।
- खुली छत वाले वाहन की सवारी न करें।
- धातु से बने वस्तुओं का उपयोग न करें।
- बाइक, बिजली या टेलीफोन का खंभा तार की बाड़ और मशीन आदि से दूर रहें।
- तालाब और जलाशयों से दूर रहें।
- यदि आप पानी के भीतर हैं, अथवा किसी नाव में हैं तो तुरंत बाहर आ जाएं।

3.2.6.4. वज्रपात से संबंधित प्रश्नोत्तर

- वज्रपात का पूर्वानुमान कैसे लगाएं

  यदि आकाशीय बिजली चमक रही है और आपके सिर के बाल खड़े हो जाएं व त्वचा में झुनझुनी होने लगे तो फौरन नीचे झुककर कान बंद कर लें। क्योंकि यह इस बात का सूचक है कि आपके आसपास बिजली गिरने वाली है।

- वज्रपात के शिकार व्यक्ति का प्राथमिक उपचार कैसे करें

  बिजली का झटका लगने पर जरूरत के अनुसार व्यक्ति को सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेंशन यानि कृत्रिम सांस देनी चाहिए। तत्काल प्राथमिक चिकित्सा देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

- क्या मोबाइल फोन पर बिजली गिर सकती है

  मोबाइल फोन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और स्मार्टफोन में काफी पावरफुल एंटीना होता है जो तरंगों को अपनी और आकर्षित करता है। तकनीकी विशेषज्ञ की सलाह देते हैं कि बादलों की गड़गड़ाहट होने पर यदि आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां पर बिजली गिरने की संभावना है तो आपको तत्काल अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर देना चाहिए।

- आकाशीय बिजली कब गिरती है

  आकाशीय बिजली हमेशा धरती से ऊष्मा मिलने के बाद गिरती है। एक अध्ययन में पाया गया है कि जिन स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरी, वहां घटना से पहले तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। यानी कि यदि आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां पर उमस बहुत ज्यादा है और अचानक बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है तो समझ लीजिए कि आप खतरे में हैं।

3.2.5 सूखा

बक्सर जिला अपने भौगोलिक बनावट के कारण कभी कभी ही सूखा से भी प्रभावित होता है। जरूरत के महीनों में कम वर्षा होना सूखा का मुख्य कारण रहा है। जलवायु में परिवर्तन भी सूखे की गंभीरता को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही सिंचाई के साधनो यथा नहर, नलकूप आदि का उचित प्रबंधन नहीं होने से भी सूखे की स्थिति को बढ़ावा मिलता है।

सूखा के कारण प्रभावितों की आर्थिक एवं समाजिक व्यवस्था प्रभावित तो होती हैं।

3.2.5.1 सूखे के संकेतक

- वर्षा का कम होना, समय पर नहीं होना या वर्षा की अपर्याप्तता लगातार बने रहना।
- भू–जल स्तर में नियमित रूप से लगातार गिरावट आना।
- पानी के अभाव में फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ना और अंततः बर्बाद हो जाना।
- तालाबों एवं जलाशयों में पानी का कम होना तथा नित्य जल स्तर का गिरना।
- फसल लगाने पर प्रतिकूल स्थिति में फसल का नहीं लग पाना।

सारणीः– (3.14) बक्सर में सूखे की स्थिति (2018–22):

क्र०	वर्ष	कुल वर्ष	कारण
1.	2018 से 2022	कुल 05 वर्षो में 02 वर्ष सूखे से प्रभावित	अल्पवृष्टि

श्रोतः– जिला कृषि कार्यालय, बक्सर।

सारणीः– (3.15) विभिन्न वर्षो का वर्षापात आकड़ा (2017–22) :

क्र०	वर्ष	जून		जुलाई		अगस्त		सितम्बर	
		सामान्य	वास्तविक	सामान्य	वास्तविक	सामान्य	वास्तविक	सामान्य	वास्तविक
1.	2018	117.9	54.8	277.2	290.5	263	245.7	222.2	102.4
2.	2019	117.9	86.8	277.2	345.9	263	117.5	222.2	278.7
3.	2020	107.0	283.0	282	262.4	259.1	223.8	181.6	152.3
4.	2021	107.0	238.2	282	158.2	259.1	293.3	181.6	96.5
5.	2022	107.0	155.7	282	76.0	259.1	137.1	181.6	70.6

श्रोतः– जिला कृषि कार्यालय, बक्सर।

3.2.5.2 सूखे से प्रभावित क्षेत्र एवं प्रभावः

अपने भौगोलिक संचरना एवं उपलब्ध संसाधनों की स्थिति के कारण बक्सर जिले के दोनों अनुमण्डल सूखे से प्रभावित होते है। इस सूखे के कारण निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है।

1. पेयजल संकट
2. भू–जल स्तर में गिरावट
3. फसल क्षति

सूखे के कारण कई अंचलों में कुऑं, आहार, तलाब एवं नल सूख जाते है जिसके कारण पशु तथा फसल बूरी तरह से प्रभावित होते है। मैदानी ईलाका होने के कारण बक्सर जिले में भू–जल स्तर काफी निचे नहीं जाता हैं जिसके कारण मानव को पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। परन्तु सिंचाई की उचित साधन नहीं होने के कारण फसलों को व्यापक क्षति होती है।

3.2.5.3 सूखा के प्रबंधन के संर्दभ में उपलब्ध संसाधन

- नहर एवं नलकूप– इस जिले में सारण नहर प्रमण्डल, भोरे एवं सारण नहर प्रमण्डल, बक्सर के अन्तर्गत कुल मुख्य 09 नहरों का नेटवर्क है। सारण मुख्य नहर के अतिरिक्त 264.1 आर०डी० अन्य नहरों का नेटवर्क है। इनके द्वारा बड़े भू–भाग को सिंचित किया जाता है।
- बक्सर जिले के अन्तर्गत लघु सिंचाई प्रमण्डल, बक्सर के द्वारा कुल 287 नलकूपों का स्थापन किया गया है, जिसमें 130 चालू हालत में एवं 157 यांत्रिक एवं विद्युत दोष के कारण बंद है। नलकूप के माध्यम से लगभग 46.85 हेक्टेयर खरीफ/रबी फसल की सिंचाई की जाती है।

- जिले में अल्पवृष्टि के कारण फसल बचाने हेतु कृषि विभाग के माध्यम से डिजल अनुदान प्रदान किया जाता है। साथ ही अत्यधिक अल्पवृष्टि के स्थिति में कृषि विभाग द्वारा आकास्मिक फसल योजना का भी किसानों के मध्य क्रियान्वयन किया जाता है।

3.2.6 सड़क दुर्घटना

बक्सर को प्रभावित करने वाले मानव जनित आपदाओं में सड़क दुर्घटना एक प्रमुख आपदा है। सड़क दुर्घटना के कारण प्रतिवर्ष सैकड़ों लोग काल कल्वित हो जाते है। राज्य द्वारा तेज परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पक्का रोड घनत्व में तेजी से वृद्धि की गई है। ये नई सड़के घनी आबादी के बीच से गुजरती है। जिसके कारण इन सड़कों पर दुर्घटनायें हाल के दिनों में काफी बढ़ी है। सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण क्षमता से अधिक भार ढ़ोना (माल तथा पैसेंजर) वाहन चलाते समय जल्दबाजी और ओवरटेकिंग करना, बेतरतीब ढ़ग से गाड़ियों को चलाना, जहाँ—तहाँ गैर कानूनी ठोकर का निर्माण, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग नहीं करना, नाबालिग या युवाओं के द्वारा अनियंत्रित ढंग से मोटरसाईकिल का परिचालन, सड़क उच्चीकरण के बाद सड़क के दोनों किनारों पर 'फ्लैंक' का नीचा होना या गड्ढा होना, सड़कों पर अचानक मनुष्य या जानवर का पार करना है। इन सड़कों पर बढ़ती हुई सड़क हादसा अर्थव्यवस्था, जनस्वास्थ्य एवं जनकल्याण के कार्यों पर ऋणात्मक प्रभाव छोड़ती है।

बक्सर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग तथा मुख्य जिला सड़क में काफी वृद्धि की गई है। जिले में 100.90 कि०मी० राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—28, 56.41 कि०मी० राज्य उच्च पथ एवं 380.65 कि०मी० अन्य मुख्य जिला सड़क का नेटवर्क पूरे जिले में फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 537.96 कि०मी० है।

सारणी (3.16) जिले में सड़क नेटवर्क (2022 जुलाई तक/लंबाई कि.मी. में)

जिला	राष्ट्रीय उच्च पथ	राज्य उच्च पथ	मुख्य जिला पथ
बक्सर	—	51.898 कि०मी०	203 कि०मी०

श्रोतः पथ निर्माण विभाग, बक्सर

सारणी — (3.17) जिले में विभिन्न मुख्य सड़कों की लंबाई :

SN	Division	Name of Roads/Chainage	Total length(Km)
1	Buxar	Central Jail Approach Road (Km 0.00 to Km 1.40)	1.40 km
2		Internal Road of R.C.D. Campus (Km 0.00 to Km 0.27)	0.27 km
3		Old Bypass Road (Km 0.00 to Km 1.60)	1.60 km
4		Buxar-Itarhi Road (Km 0.00 to Km 10.00)	10.00 km
5		Itarhi - Dhansoi Road (Km 0.00 to Km 14.00)	14.00 km
6		Parari - Sonbarsa Road (Km 0.00 to Km 7.00)	7.00 km
7		Ara-Buxar Road (Km 0.00 to Km 2.60)	2.60 km
8		Approach to Chausa-Karmanasha Road (Km 0.00 to Km 0.735)	0.735 km
9		Approach Road to H.L. Bridge at Dewal Ghat(Km 0.00 to Km 0.950)	0.95 km
10		Chausa-Chunni-Pawani-Kamarpur Road (Km 0.00 to Km 10.690)	10.69 km
11		Dumraon Railway Station Road (Km 0.00 to Km 0.350)	0.35 km
12		D.K. College Road Cum S.D.O. Dumraon Residence Road (Km 0.00 to Km 2.10)	2.10 km
13		Bhojpur - Dumri Road (Km 0.00 to Km 6.950)	6.950 Km
14		Bhojpur - Simri Road (Km 0.00 to Km 9.30)	9.30 Km

15		Brahampur-Koransarai Road (Km 0.00 to Km 23.70)	23.70 km
16		Raghunathpur to Tulsi Ashthan Road (Km 0.00 to km 1.25)	1.25 Km
17		New Bye Pass Road (Km 0.00 to Km 2.20)	2.20 Km
18		ChausaGola-Buxar Road (SH-13)(Km 0.00 to Km 12.802)	12.802 Km
19		ChausaGola-Mohaniya Road(upto Pajroan Pul (SH-14) (Km 31.644 to Km 48.740)	17.096 Km
20		Nimej-Semra-Gayghat-Gangauli Road (Km 0.00 to Km 5.00)	3.152 Km
21		Nimej-Semra-Gayghat-Gangauli Road (Km 7.00 to Km 13.40)	6.40 km
22		ChausaGola-Kochas Road (upto Basahi Pul SH-17) (Km 0.00 to Km 22.00)	22.00 km
23		NH-30 Mohania-Ara (Parsathua Bazar) to Mahavir sthan SH-14 Mohania-Chausa Road Via Mukhraon (Ch.- Km 15.660 - 28.200)	12.54 Km
24		Chausa - Dhansoi Road (Km 0.00 to Km 17.30)	17.30 Km
25		Sarenja - Koransarai Road (Km 0.00 to Km 28.650)	28.650 Km
26		Left Over Part of NH-84 (NHAI) Road	6.25 Km
27		New Bazaar Road (Km 0.00 to Km 2.50)	2.50 Km
28		Station Ramrekha ghat Road (Km 0.00 to Km 1.825)	1.825 Km
29		Dinara Jalhara Road (Km 0.00 to Km 16.226)	16.226 Km
30		Dhansoi Dinara Road (Km 0.00 to Km 13.600)	13.600 Km
		Total Length (in KM)	255.436

3.2.6.1 दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र

बक्सर जिले से राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ एवं अन्य प्रकार के पथों का घनत्व ज्यादा होने के कारण सम्पूर्ण जिला सड़क दुर्घटना से प्रभावित रहता है। मुख्यतः राष्ट्रीय उच्च पथ एवं राज्यकीय उच्च पथ पर दुर्घटनाओं की संख्या ज्यादा पायी गयी है। सड़क दुर्घटनाओं में यह वृद्धि सड़क सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल देता है।

सारणी – (3.18) जिला में घटित सड़क दुर्घटनाएँ (2017–22) :

क्र० सं०	वर्ष	मृत
1	2019	02
2	2020	19
3	2021	30
4	अगस्त 2022	11

श्रोतः आपदा प्रबंधन शाखा, बक्सर

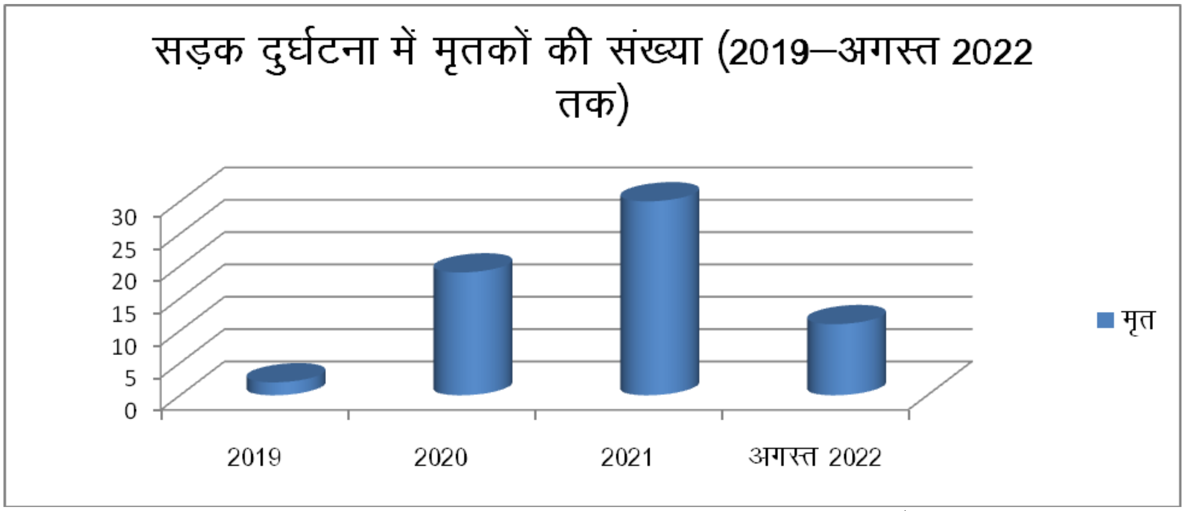

श्रोतः आपदा प्रबंधन शाखा, बक्सर

3.2.6.2 सड़क दुर्घटना के प्रबंधन के संदर्भ में क्षमता/क्षमतावर्द्धन

- प्रतिवर्ष जन जागरूकता हेतु आपदा प्रबंधन शाखा, बक्सर एवं परिवहन विभाग, बक्सर द्वारा निर्धारित समय पर **सड़क सुरक्षा सप्ताह** का आयोजन किया जाता है।
- पथ निर्माण विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा ब्लॉक स्पॉट के पास दुर्घटना के रोकथाम हेतु सूचना पटयों Zebra Crossing बनाया गया है।
- समय–समय पर गृह विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालकों को वाहन चालन के नियमावली का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- दो पहिया वाहनों के चालकों को हेमलेट एवं चार पहिया वाहन के चालकों में सीट बेल्ट के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

3.2.7 डुबने से होने वाली मृत्यु :

जिला में डूबने की घटना मुख्यतया नदियों, नहर तथा तालाबों में हुआ करता है। गंडक, झरही एवं दाहा आदि नदियों में नहाने/मच्छली पकड़ने के दौरान लापरवाही के कारण डुबने की घटनाएं होती रहती है। विगत कुछ वर्षों से देखा गया है कि जे॰सी॰वी॰ द्वारा काफी मात्रा में मिट्टी कटाई के कारण बड़े गढ्ढे बन जाते हैं। जिसमें डूबने की संभावना प्रबल है।

3.2.7.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षतिः

गंडक, झरही एवं दाहा आदि नदियों एवं सारण नहर एवं उसकी सहायक नहरों के तटवर्ती क्षेत्र, बक्सर, चौसा, इटाढ़ी, ब्रह्मपुर, चक्की, सिमरी प्रखण्डों के गॉवों में बड़े तलाब के नकटवर्ती क्षेत्र मानसून अवधि एवं बाढ़ के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्र।

विगत वर्षो में हुई मृत्यु के कारण हुई है।

सारणीः– (3.19) विगत 5 वर्षो में जिला में डुबने के कारण मृत्यु

2018	2019	2020	2021	सितम्बर 2022 तक	कुल
2	3	22	29	18	74

बक्सर जिला में विगत 3 वर्षो (2018 –2021) में डूबने से हुए मृत्यु का माहवार विवरण													
Year	*Jan*	*Feb*	*March*	*April*	*May*	*June*	*July*	*Aug*	*Sept*	*Oct*	*Nov*	*Dec*	*Total No.*
2018	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	**2**
2019	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	**3**
2020	–	–	–	–	3	–	3	3	7	5	1	–	**22**
2021	1	3	1	2	–	2	10	4	2	3	1	–	**29**

3.2.8 भगदड़ :

अनियंत्रित या उचित प्रबंधन के अभाव में भीड़ किसी अफवाह के फैलने से, असामाजिक तत्वों की सक्रियता के कारण, धैर्य के अभाव, शीघ्रता से भीड़ भरे स्थल को छोड़ने की मानसिकता, भीड़ से बच निकलने की जल्दी आदि मानसिक स्थिति के कारण भीड़, भगदड़ में बदल जाती है। भगदड़ की स्थिति में वृद्ध, बच्चे, महिला, कमजोर, बीमार, बच्चों को गोद में लिए लोग आदि संवेदनशील होते हैं। भगदड़ का दुष्परिणाम व्यापक जान–माल की क्षति के रूप में होता है। भगदड़ की स्थिति बनने के उपरान्त मरने एवं घायल होने वालों की संख्या का अन्दाजा लगाना कठिन हो जाता है। अपनी जान बचाने की मानसिकता के लोग दूसरों के जान की परवाह नहीं करती। यह एक अमानवीय गतिविधि है। प्रभावी भीड़ प्रबंधन एवं नियंत्रण का अभाव एवं समन्वय की कमी भीड़ को भगदड़ में बदल जाने का एक अहम् वजह है।

बक्सर जिला के प्रमुख पर्यटन स्थलों में रामरेखा घाट, श्रीनाथ बाबा मंदिर, नौलाख मंदिर, बक्सर किला मैदान, बाबा बरमेश्वरनाथ धाम, ब्रह्मपुर, डुमरेजनी माई, शहीद बाबा मैदान, नवरत्न के किला, बिहारी मंदिर, श्रीखाकी बाबा आश्रम आदि प्रमुख है। जिला में समय–समय पर बड़े धार्मिक मेले (छठ पूजा, दुर्गापूजा, महावरी अखाड़ा, मुहर्रम, कार्तिक पूर्णिमा–नहान आदि) का आयोजन किया जाता है। साथ ही बिहार राज्य पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें काफी भीड़ उमड़ती है।

जिला प्रशासन द्वारा भीड़/भगदड़ प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का निर्माण किया गया है।

3.2.9 महामारी (कोविड–19)

वैश्विक महामारी कोविड–19 से बक्सर जिला भी अछुता नहीं रहा है। वर्ष 2020 से कोविड–19 के संक्रमण की शुरूआत हो चुकी थी। इस महामारी ने जिले के आर्थिक, सामाजिक स्थितियों पर गहरा असर डाला है। मानक स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एवं अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व इसके संवेदनशीलता को और बढ़ा देते है। इस महामारी के कारण सम्पूर्ण जिला प्रभावित हुआ है।

सारणीः– (3.20) कोविड–19 से प्रभावितों एवं मृतकों की संख्याः

क्र०	वर्श	प्रभावितों की संख्या	मृतकों की संख्या
1.	2020	3833	15
2.	2021	4762	212
3.	जुलाई 2022 तक	1008	0

श्रोतः– सिविल सर्जन कार्यालय, बक्सर।

3.2.9.1 महामारी (कोविड–19) के प्रबंधन के संदर्भ में :

- उपलब्ध संसाधन–
    - जिला स्तरीय अस्पताल–1
    - अनुमंडलीय अस्पताल–2
    - रेफरल अस्पताल–0
    - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–11
    - अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र–28
    - स्वास्थ्य उप केन्द्र–160
- टिकाकरण– स्वास्थ्य विभाग बक्सर द्वारा सघन टिकाकरण अभियान चलाया जा रहा है।
- जन जागरूकता अभियान– सोशल मिडिया, प्रिंट मिडिया, इलेट्रॉनिक मिडिया, जन जागरूकता रथ एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महामारी (कोविड–19) से बचाव हेतु क्या करे क्या न करे की सूचना का प्रचार–प्रसार किया जाता है।
- बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति एवं जिला स्वास्थ्य समिति बक्सर के सहयोग से सभी हितधारकों को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

3.2.10 शीतलहर एवं इससे खतरे :

शीतलहर की स्थिति	तपमान
शीतलहर	जहाँ सामान्य न्यूनतम तापमान 10^0C या उससे अधिक पाया जाता हो वहाँ न्यूनतम तापमान यदि सामान्य न्यूनतम तापमान से 7^0C कम हो जाए।
	जहाँ सामान्य न्यूनतम तापमान 10^0C या इससे कम पाया जाता हो वहाँ न्यूनतम तापमान यदि सामान्य न्यूनतम तापमान स 5^0C से कम हो जाए।
पाला	जहाँ तापमान 0^0C से कम हो जाए या रबी फसल के लिए असामान्य स्थिति हो तो इसे पाला कहा जायेगा।

इस संबंध में भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र भी किसी भी क्षेत्र के सामान्य दिन (अधिकतम) और रात (न्यूनतम) के तापमान के अन्तर को, उष्णता/शीतलहर के लिए तापमान को परिभाषित करने का आधार मानता है। शीतलहर को मध्यम या तीव्र तब माना जाता है, जब वर्तमान न्यूनतम तापमान सामान्य से (6–7^0C) कम हो जाए अथवा 8^0C से अधिक कम हो जाए। अब इसके आकलन में स्थानीय जलवायु की स्थितियाँ और तापमान में हुए परिवर्तनों को भी महत्व देने की बात की जाती है।

जिले में शीतलहर का प्रकोप अधिकत्तर दिसंबर तथा जनवरी महीनों में महसूस किया जाता है। कच्चे मकान, झोपड़ी और खुले में रहने वाले लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। इन अवसरों पर जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रखंड़ों में अलाव जलाने की व्यवस्था की जाती है। सोशल मिडिया एवं प्रिंट मिडिया के माध्यम से शीतलहर/पाला से बचाव हेतु क्या करे क्या न करे की सूचना का प्रचार–प्रसार किया जाता है।

3.2.11 लू :

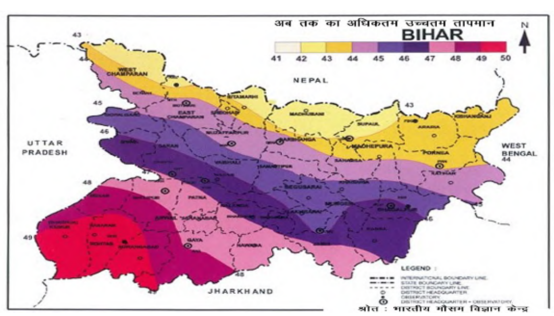

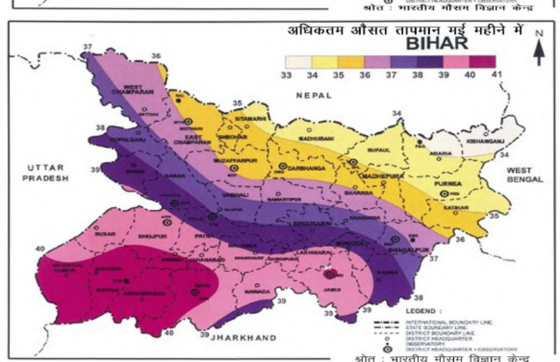

भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र द्वारा प्रकाशित बिहार का जिलावार तापक्रम मानचित्र यह दर्शाता है कि बक्सर जिला में अबतक संकलित अधिकतम उच्चतम तापमान 46 डिग्री सेन्टीग्रेट पाया गया है, तथा अधिकतम औसत तापमान 40 से 41 डिग्री सेन्टीग्रेट के बीच (मई महीने में) पाया गया है।

14वीं वित्त आयोग के प्रावधान के तहत राज्य सरकार ने कुछ अन्य आपदाओं समेत लू को स्थानीय आपदा घोषित किया है ताकि ऐसे मौकों पर विशेष कार्य योजना बनाने तथा विशेष सहायता देने में सुविधा हो सके।गर्मी

के मौसम में वातावरण में गर्मी एवं नमी का बदलाव होना स्वाभाविक है इसलिए भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र ने भीषण गर्मी या लू या उष्माघात को परिभाषित किया है। केन्द्र की परिभाषा के अनुसार

- *अगर किसी समय सामान्य तापक्रम से 4.5– 6.4 डिग्री अधिक हो तो उसे भीषण गर्मी या लू की संज्ञा दी जाती है।*
- *साथ ही मैदानी इलाकों में जब तापमान लगातार 40^0 सेन्टीग्रेड से ज्यादा बना रहे तो हम उसे भीषण गर्मी या लू की स्थिति कहते है।*

उपरोक्त स्थिति अगर दो–तीन दिनों तक बनी रहे तो एक कार्य योजना के तहत मौसम विभाग के पुर्वानुमान को आधार मानकर तैयारी की प्रक्रिया तुरंत शुरू करनी आवश्यक होगी।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, मौसम संबंधी संप्रेक्षण हेतु प्राधिकृत है तथा यह जलवायु–संवेदी क्रियाकलापों के संबंध में वर्तमान स्थिति एवं पूर्वानुमान उपलब्ध कराता है। यह मौसमी घटनाओं, जिसमें गर्मी के लहर अर्थात लू भी शामिल है के संबंध में चेतावनी देता है। यह समायोचित आंकड़ें, अधिकतम तापमान का मौसमी पूर्वानुमान, गर्म हवाओं की चेतावनी तथा भेद्य शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये हीट एलर्ट उपलब्ध कराता है।

भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र ने भीषण गर्मी या लू की स्थिति को 'कलर कोड' से चिन्हित किया है। इससे जनमानस को भी आसानी से समझने में सहुलियत होगी।

ग्रीष्म लहर की चेतावनी हेतु कलर कोड :

कलर कोड	ग्रीष्म लहर की स्थिति	तापमान
लाल रंग (गंभीर परिस्थिति)	अत्यन्त गर्म हवा से सचेत करने का दिन	सामान्य (अधिकतम) तापमान से लगभग 6^0 डिग्री सेंटीग्रेड या और ज्यादा होने पर
नारंगी रंग (मध्यम परिस्थिति)	गर्म हवा से सतर्क रहने का दिन	सामान्य (अधिकतम) तापमान से 4^0 से 5^0 डिग्री सेंटीग्रेड
पीला रंग (गर्मी की लहर की चेतावनी)	गर्म दिन	सामान्य (अधिकतम) के आसपास का तापमान
सफेद रंग (सामान्य)	सामान्य दिन	सामान्य से कम तापमान होने पर

3.2.11.1 खतरे का परिणाम :

- *घमौरी (गर्मी के कारण शरीर पर लाल दाने)।*
- *ऐठन (गर्मी के कारण क्रैम्प)।*
- *बेहोश हो जाना (गर्मी से मुर्छा)।*
- *गर्मी से थकावट ।*
- *उष्माघात (सनस्ट्रोक)।*
- *निर्जलीकरण (डिहाईड्रेशन)।*

इस स्थिति में व्यक्ति आपात स्थिति में जा पहुँचता है और प्राथमिक सहायता के साथ–साथ तुरंत चिकित्सीय सहायता की जरूरत होती है।

3.2.12 सर्पदंश

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना के ज्ञापांक 1213/आ०प्र० दिनांक 24.03.2022 के द्वारा बाढ़ के दौरान बाढ़ जनित कारणों से सर्पदंश से मृत्यु होने के अतिरिक्त सर्पदंश से हुई मृत्यु को राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदा के श्रेणी में सम्मलित किया गया है।

बक्सर जिला इस आपदा से प्रभावित होता रहा है। मानसून के समय नदियों एवं तलाबों में अतिरिक्त पानी के कारण सर्प अपने बिलों से बाहर आ कर उच्च और सूखी जगह के तलाश में रहता है, जिसके कारण सर्पदंश की घटनाएं बाढ़ जाती है।

मैदानी ईलाका होने के कारण सम्पूर्ण बक्सर सर्पदंश से प्रभावित होता है। मानसून अवधि के दौरान सर्पदंश के घटनाओं में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सर्पदंश की वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। सर्पदंश से दोनों मानव एवं पशुओं की क्षति होती है।

3.2.9.2 सर्पदंश के प्रबंधन के संदर्भ में क्षमता/क्षमतावर्द्धनः

- जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा सर्पदंश से होने वाली मृत्यु को कम करने हेतु प्रतिवर्ष आकलन कर प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र पर Anti Snake Venom उपलब्ध कराया जाता है।
- मानसून अवधि में सोशल मिडिया एवं प्रिंट मिडिया के माध्यम से सर्पदंश से बचाव हेतु **क्या करें ,क्या न करें** की सूचना का प्रचार–प्रसार किया जाता है।

===

अध्याय : 4

संस्थागत ढांचा

INSTITUTIONAL ARRANGEMENT

बक्सर जिला में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है। यहाँ अलग से जिला सड़क सुरक्षा भी गठित है। इसके साथ ही जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति का गठन किया गया है। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के प्रति संबंधित विभागों द्वारा आवश्यकतानुसार विशेष तैयारी की जाती है। जिला में आपदा प्रबंधन कोषांग एवं जिला आपातकालीन सेवा केन्द्र समाहरणालय भवन में अवस्थित है।

राज्य में आपदा प्रबंधन के संदर्भ में किये गए कार्यो की एक झलक :

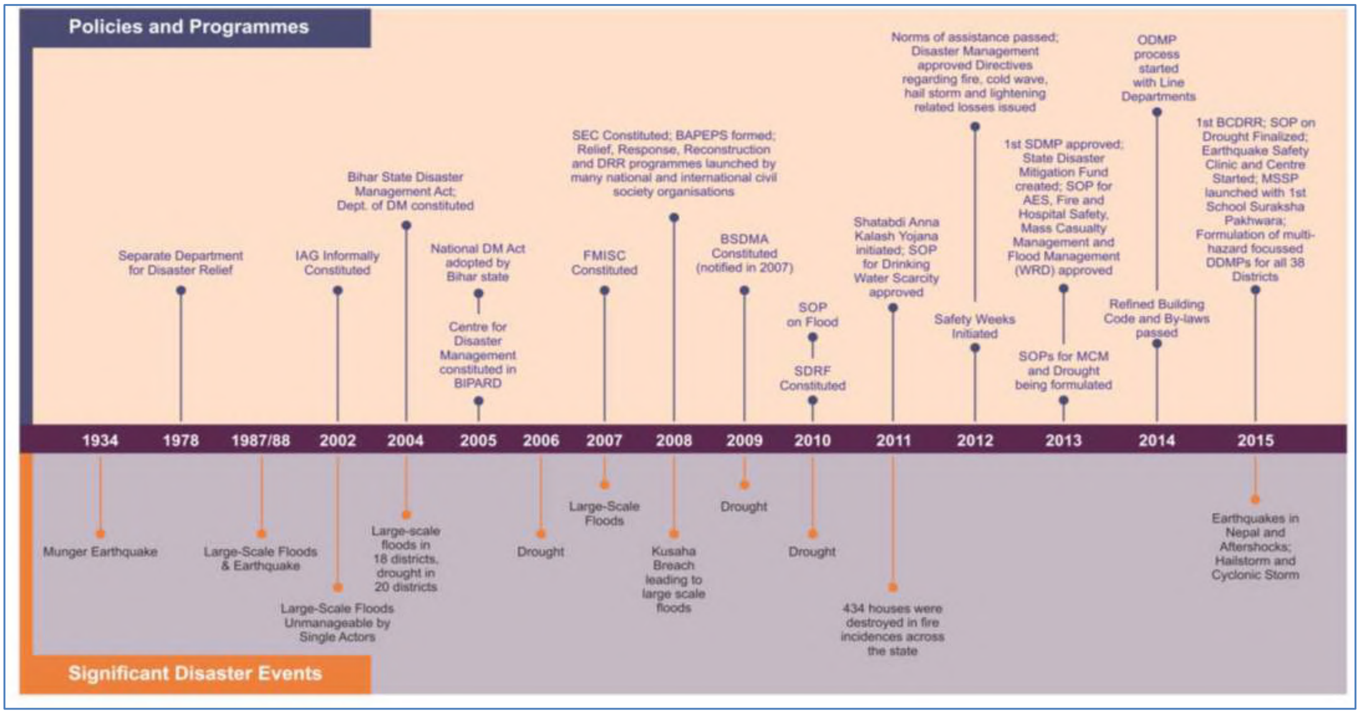

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा–41
स्थानीय प्राधिकारों के कृत्य :

41(1) स्थानीय प्राधिकारों, जिला प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन रहते हुए –

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित है।

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित संसाधनों का इस प्रकार अनुरक्षण किया जा रहा है जिससे कि वे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में सदैव उपयोग के लिए उपलब्ध रहेगा।

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसकी अधिकारिता के भीतर सभी सन्निर्माण परियोजनाएँ राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए अधिकथित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप हैं।

(घ) प्रभावित क्षेत्र में राज्य योजना और जिला योजना के अनुसार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के क्रियाकलाप करेगा।

41(2) स्थानीय प्राधिकार, ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे।

4.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन :

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25(1) में सन्निहित प्रावधान के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा दिनांक 30.06.2008 को निर्गत राज्यादेश से बिहार के सभी 38 जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस आदेश के अनुसार इस प्राधिकरण में निम्नलिखित अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है।

1.	*जिलाधिकारी*	–	*पदेन अध्यक्ष*
2.	*जिला परिषद् के अध्यक्ष*	–	*सह अध्यक्ष*
3.	*पुलिस अधीक्षक*	–	*सदस्य*
4.	*उपविकास आयुक्त*	–	*सदस्य*
5.	*असैनिक शल्य चिकित्सक*	–	*सदस्य*
6.	*वरीय अपर समाहर्ता*	–	*सदस्य/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी*
7.	*जिला वरीयतम अभियंता*	–	*सदस्य*

4.2 पंचायती राज संस्थाये :

भारत के संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से अपने अपने क्षेत्रों में योजना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप–2030 में ''रिजेलियेंट विलेज'' की कल्पना की है, अतः ग्रामीण स्तर पर ''फर्स्ट रिस्पॉडर'' मानते हुए आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण है।

चूँकि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत सबसे निचली स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था है इसलिए इसे आपदा प्रबंधन की दृष्टि से सशक्त बनाये जाने की जरूरत है। इससे आपदा के पूर्व, दौरान तथा बाद के कार्यो मे पंचायत अपनी अहम भूमिका निभा सकेगी। इन बातों को दृष्टिकोण में रखते हुए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बड़े पैमाने पर पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित कर उन्हें ''मास्टर ट्रेनर्स'' बनाया है। ''मास्टर ट्रेनर्स'' की सूची प्राधिकरण के बेवसाइट (http://bsdma.org/Training-Workshops.aspx?id=1) पर उपलब्ध है।

4.3 आपदा प्रबंधन से संबंधित संगठन :

- **नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेन्स)**

नागरिक सुरक्षा की अधिनियम जो 1968 में संसद से पारित है उसमें 2009 में बदलाव करते हुए नागरिक सुरक्षा को रक्षा मत्रांलय तथा गृह मत्रांलय से अलग करते हुए आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत लाया गया तथा इसे आपदाओं के प्रबंधन, न्यूनीकरण तथा आम लोगों में क्षमतावृद्धि के उद्देश्य से प्रशिक्षित करने का दायित्व सौपा गया। अधिनियम में नागरिक सुरक्षा की इकाईया जिला स्तर पर स्थापित किये जाने का प्रावधान है।

नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय कार्यालय, पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में राज्स के केवल चार जिले पटना, बेगूसराय, पूर्णिया एवे कटिहार में जिला कोर टीम कार्यरत है। बक्सर सहित अन्य 24 जिलों में कोर टीम का विस्तार विचाराधीन है।

- **बिहार राज्य नागरिक परिषद् –**

बिहार राज्य नागरिक परिषद् के संदर्भ में पूर्व के सभी संकल्पों को अवक्रमित करते हुए मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार ने अपने संकल्प सं॰ मं0मं.0–02/बिरा0रा0प0–502/03–1218/सी0 दिनांक 14.06.2007 के द्वारा को पुनर्जीवित हुए पुनर्गठित किया है। इसका लक्ष्य निम्नवत निर्धारित किया गया है –

(क) मानव जनित तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय सहयोग तथा
(ख) एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता एवं सदभाव कायम रखना।

इसके लिए बिहार राज्य नागरिक परिषद् का संगठन बनाते हुए त्रिस्तरीय संगठन के रूप में पुनर्गठित किया गया जो निम्नवत है :

- *राज्य स्तर पर बिहार राज्य नागरिक परिषद्*
- *जिला स्तर पर जिला नागरिक परिषद्*
- *थाना स्तर पर थाना नागरिक परिषद्*

जिले में तत्काल नागरिक सुरक्षा तथा जिला स्तर एवं थाना स्तर पर जिला नागरिक परिषद् सुदृढ़ करने की आवश्यकता है दोनों ही संस्थाए आपदा की दृष्टि से पूर्व तैयारी, कैम्प संचालन तथा खोज–बचाव के कार्यो में उपयोगी हो सकते है।

- **जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र:**

जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र जिला मुख्यालय में अवस्थित है। आपातकालीन संचालन केन्द्र में आपातकालीन सहायता कार्य (Emergency Support Function-ESF) हेतु टीम के सदस्यों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध है। टीम के सदस्य, निदेशानुसार सहयोगी एजेन्सियों के साथ जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर चल रहे आपदा प्रबंधन के कार्यों में सहयोग करते हैं। आपदा के दौरान जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र को बेहतर तरीके से काम करना अति आवश्यक है। इसके लिए समयानुसार नई तकनीक एवं इससे प्रशिक्षित लोग एवं सुविधाओं का होना आवश्यक है। वर्तमान में इस केन्द्र में निम्नलिखित संसाधन उपलब्ध है :

- Emergency Contact Number : 1
- Table with chair : (Workstation Table -4)
- Desktop – 2
- Printer - 2
- TV - Samsung LED 32" TV – 1
- Programmers – 03
- Data Entry Operators -03

- **इ॰ओ॰सी॰ की भूमिका** :

ई॰ओ॰सी॰ की प्राथमिक जिम्मेदारी है ससमय, सही चेतावनी जारी करना। जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र, जिला स्तर पर मौसम की पूर्वानुमान करने वाली एजेन्सियों से प्राप्त सूचना के आधार पर विभागों एवं आम लोगों के लिए चेतावनी जारी करती है। इस प्रकार इसके लिए आवश्यक है कि इसके संचार व्यवस्था सुचारू रूप से कार्यरत हो।

- **सामान्य समय में आपातकालीन संचालन केन्द्र के कार्य :**

जिलाधिकारी के आदेशानुसार, आपातकालीन संचालन केन्द्र में एक प्रशासनिक अधिकारी प्रतिनियुक्त रहते हैं। पदाधिकारी के देख–रेख में केन्द्र सामान्य समय में निम्नांकित कार्यों करता है।

- *सुनिश्चित करना कि आपातकालीन संचालन केन्द्र के सभी यंत्र सक्रिय है तथा कभी भी इसे चालू किया जा सकता है।*
- *लाईन डिपार्टमेन्टस से आपदा प्रबंधन हेतु नियमित तौर पर आकड़ा इकट्ठा करना।*
- *जिले में आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा शमन की गतिविधियों पर प्रतिवेदन तैयार करना।*
- *जिले के आपदा प्रबंधन योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।*
- *डाटा बैंक को नियमित अद्यतन करते हुए अभिलिखित करना तथा किसी आपदा की जानकारी/ चेतावनी मिलने पर आपदा मोचन तंत्र (ट्रिगर मेकेनिज्म) को सक्रिय करना।*

■ बिहार अग्निशमन सेवाएं :

अगलगी की घटनाओं की रोकथाम एवं उसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति, परिवार, समुदाय एवं विभिन्न हितधारकों द्वारा अगलगी की घटनाओं के प्रति सचेत रहें साथ ही इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। इस संदर्भ में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार अग्निशमन सेवाएं, सरकार के अन्य संबंधित विभागों, समुदाय एवं अन्य हितधारकों के सहयोग से अगलगी की आपदा की रोकथाम एंव न्यूनीकरण हेतु तैयारियों के लिए मार्गदर्शिका तैयार किया गया है।

बिहार अग्निशमन सेवाएं, आपदा प्रबंधन की एक मौलिक ईकाई है जिसे अग्नि आपदा से बचाव एवं राहत कार्यो के साथ–साथ इससे संबंधित आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम को भी प्रमुखता से करना है।

जिला में कुल 16 फायर स्टेशन है। स्टे"ानों पर विभिन्न प्रकार के वाहन उपलब्ध है। जिसकी सूची पृष्ट 36 पर उपलब्ण है।

■ राज्य आपदा मोचन बल :

राज्य के किसी भाग में आपदा के आने पर खोज, बचाव एवं राहत कार्यो के त्वरित निष्दान के उद्देश्य से आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या –2/स्था–17–26/2008/698/आ0प्र0, दिनांक 16.3.2010 के द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के पैटर्न पर राज्य आपदा मोचन बल (State Disaster Response Force – SDRF) की एक बटालियन का गठन किया गया है। इसका मुख्यालय बिहटा, पटना है। अपने गठन के पश्चात काफी कम अवधि में ही इसने अपने आप को विभिन्न उपकरणों के साथ एक सशक्त आपदा मोचन बल के रूप में स्थापित किया है। जिला में इसकी एक टीम कार्यरत है जिसमें 32 लोग होते हैं।

एस.डी.आर.एफ की टीम ने आपदाओं के दौरान, विशेष कर बाढ़ अवधि में, बचाव एवं राहत कार्यो का सफलतापूर्वक निष्पादन किया है। साथ ही छठ महापर्व, दुर्गा पूजा के दौरान मुर्ति विसर्जन एवं अन्य ऐसे आयोजनों, जहाँ काफी भीड़ एकत्रित होने के कारण भगदड़/डूबने आदि दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है के अवसरों पर भी इस टीम ने आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से सराहनीय कार्य किया है। इसके अलावे टीम ने आपदा प्रबंधन से संबंधित सामुदायिक प्रशिक्षण एवं जागरूकता के क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह बल शांति काल में विभिन्न समुदाय समूहों, संस्थानों तथा पदाधिकारियों को मॉक–ड्रिल के माध्यम से प्रशिक्षित करता है।

■ बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण :

बिहार राज्य की अधिसूचना स0 3449, दिनाकं 06.11.2007 द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठन किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा–18 के अधीन यथा उपबंधित तथा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर यथा विनिश्चित कृत्य प्राधिकरण के मुख्य कार्य हैं।

आपदा प्रबंधन की योजनाओं और नीतियों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग तथा सरकार के अन्य विभागों एवं गैर सरकारी संस्थाओं के साथ–साथ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न कार्य करता है। इस संदर्भ में विशेष जानकारी हेतु प्राधिकरण के वेबसाइट (http://bsdma.org/Home.aspx) को देखा जा सकता है।

■ आपदा प्रबंधन विभाग :

बिहार, एक बहु– आपदा प्रवण राज्य है। आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार का नोडल विभाग है, जिसे राज्य के प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं का प्रभावी प्रबंधन का दायित्व है। यह विभाग आपदाओं एवं इसके जोखिमों से निपटने हेतु तैयारी (Preparedness), रोकथाम (Prevention), शमन (Mitigation), प्रत्युत्तर (Response), सहाय्य (Relief), पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण (Rehabilitation & Reconstruction) हेतु उत्तरदायी है।

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार का मुख्य उद्देश्य :

- *आपदा प्रबंधन के संस्थागत ढाँचे को अधिक से अधिक सुदृढ़ करना।*
- *राज्य में होने वाले आपदाओं के जोखिम को कम करना एवं इससे होने वाले क्षति को कम करने हेतु आवश्यक कार्य करना।*
- *आपदा की स्थिति में बचाव एवं राहत कार्य तत्काल और पारदर्शी तरीके से करना।*

इस संदर्भ में विशेष जानकारी हेतु आपदा प्रबंधन विभाग के वेबसाइट (https://state.bihar.gov.in/main/CitizenHome.html) को देखा जा सकता है।

= = = = = =

अध्याय : 5

आपदा निवारण, शमन तथा पूर्व तैयारी के उपाय

PREVENTION, MITIGATION & PREPAREDNESS MEASURES

विभिन्न आपदाओं से होने वाली संभावित क्षति को कम करने हेतु निरंतर आपदा निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के लिए कार्य करना होगा ताकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के मुख्य उद्देश्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल किया जा सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि निषेधीकरण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के लिए कार्यों को चिह्नित कर लिया जाय, साथ हीं उसके लिए विभागों/संभागों की भी पहचान कर ली जाय। इस अध्याय में विभिन्न हितधारकों को कार्यों की पहचान की गयी है।

- **निवारण/रोक थाम (Prevention) :**

  वर्तमान अथवा संभावित आपदा जोखिमों के रोक–थाम हेतु किये जाने वाले कार्रवाई और उठाये गये कदमों को निषेधीकरण कहा जायेगा। यह खतरनाक घटनाओं के संभावित प्रतिकुल प्रभाव से पूरी तरह से बचने की अवधारणा एवं इरादा को व्यक्त करता है।

- **न्यूनीकरण (Mitigation) :**

  खतरों के प्रतिकुल प्रभावों, विशेष रूप से कुछ प्राकृतिक खतरों (Natural Hazards) को अक्सर पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन विभिन्न रणनीतियों (Strategies) तथा उपायों (Measures) द्वारा उसके पैमाने (scales) या गंभीरता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए किये जाने वाले प्रयास को न्यूनीकरण कहा जाता है।

- **तैयारी/तत्परता (Preparadness) :** तैयारी या तत्परता, आवश्यकता पड़ने पर यथा शीध्र और उचित रूप से प्रतिक्रिया करने की क्षमता को दर्शाता है। इसका उद्येश्य आपदा स्थितियों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए आवश्यक क्षमताओं का निर्माण करना होता है।

5.0 आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड–मैप

तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन सेंडई, जापान में दिनांक 14 से 18 मार्च 2015 तक में आयोजित किया गया जिसमें भारत सहित विश्व के 190 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सेंडई में हुए इस विश्व सम्मेलन से प्राप्त अनुभव एवं बिहार राज्य के बहु आपदा प्रवण होने के परिपेक्ष्य में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिनांक 10.05.2016 को **"बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप, 2015–2030"** का राज्यादेश अधिसूचीत किया गया। आपदा सुरक्षित बिहार (Disaster Resilient Bihar) की परिकल्पना के संदर्भ में रोड मैप में निम्नलिखित चार लक्ष्यों रखे गए हैं :

1. *वर्ष 2030 तक प्राकृतिक आपदाओं से मानव क्षति को मूलधार आँकड़ों (Base Line) की तुलना में 75 प्रतिशत कम करना।*
2. *वर्ष 2030 तक परिवहन संबंधी आपदाओं (सड़क, रेल एवे नाव दुर्घटना) में मूलधार आँकड़ों (Base Line) की तुलना में पर्याप्त (Substantial) कमी करना।*
3. *वर्ष 2030 तक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में मूलधार आँकड़ों (Base Line) की तुलना में 50 प्रतिशत कम करना।*
4. *वर्ष 2030 तक बिहार राज्य में आपदाओं से होने वाली क्षति में मूलधार आँकड़ों (Base Line) की तुलना में 50 प्रतिशत कम करना।*

उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को समयबद्ध (अल्पकालीन–2020 तक मध्यकालीन–2025 तक एव दीर्घकालीन–2030 तक) करते हुए रोड मैप में शामिल किया है। इन क्रियाकलापों को बेहतर क्रियान्वयन हेतु पाँच विभिन्न हिस्सों में बाँटा गया है।

जो इस प्रकार है :

- **सुरक्षित ग्राम** (Resilient Village)
- **सुरक्षित शहर** (Resilient City)
- **सुरक्षित आजीविका** (Resilient Livelihood)
- **सुरक्षित बुनियादी संवाएँ** (Resilient Basic Services)
- **सुरक्षित अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाएँ** (Resilient Critical Infrastructure)

- **सुरक्षित ग्राम :** सुरक्षित ग्राम से तात्पर्य है :

  – ग्रामिणों में लोचपूर्ण सुरिक्षत संव्यवहार एवं आदतों (Resilient and safe behaviour) का विकास करना,

  – आपदा जोखिम न्यूनीकरण की अवधारणा को गाँव की विभिन्न योजनाओं में शामिल करना

  – गाँवों में सामुदायिक संस्थाओं का क्षमतावर्द्धन तथा उसके माध्यम से ग्रामिणों में आपदा जोखिम का विश्लेषण,

  – संचार योजना की जानकारी एवं उसके उपयोग की समझ विकसित करना

  – पूर्व चेतावनी एवं आपातकालीन सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करना।

  – स्थानीय स्तर पर होने वाले विभिन्न आपदाओं से निपटने हेतु ग्रामिणों में लगातार क्षमता विकसित करना।

- **सुरक्षित शहर :** सुरक्षित शहर से तात्पर्य है :

  – शहरवासियों में लोचपूर्ण सुरिक्षत संव्यवहार एवं आदतों (Resilient and safe behaviour) का विकास करना,

  – आपदा जोखिम न्यूनीकरण की अवधारणा को शहर की विभिन्न योजनाओं में शामिल करना

  – शहरी में सामुदायिक संस्थाओं का क्षमतावर्द्धन तथा उसके माध्यम से शहर में आपदा जोखिम का विश्लेषण,

  – संचार योजना की जानकारी एवं उसके उपयोग की समझ विकसित करना

  – पूर्व चेतावनी एवं आपातकालीन सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करना।

  – स्थानीय स्तर पर होने वाले विभिन्न आपदाओं से निपटने हेतु शहरवासियों में लगातार क्षमता विकसित करना।

- **सुरक्षित आजीविका :**

  – यह साधनों, गतिविधियों और अधिकारों के परस्पर क्रिया के रूप में परिकल्पित है। जिसके द्वारा जीविकोपार्जन करने वाले लोग ;

    - जोखिमों के विश्लेषण, पूर्व चेतावनी, जोखिमों में कमी, जोखिमों का हस्तांतरण या साझाकरण के माध्यम से आपदाओं एवं इसके कारण तनावों का अनुमान लगा कर सुनियोजित तरीके से इसका सामना कर सकते हैं।
    - प्रभावी योजना के माध्यम से लोग बढ़ी हुई क्षमताओं और अवसरों के साथ उबरने में सक्षम हो सकेंगे।
    - लोग बेहतर रोकथाम के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और जोखिमों के अनुकूल होने में सक्षम हो सकेगें।
    - लोग आजीविका की दृष्टिकोण किसी प्रकार के आपदा जोखिम पैदा किये बिना वैकल्पिक आजीविका क्षमता और संपत्ति विकसित करने में सक्षम होंगे।

- **सुरक्षित बुनियादी संवाएँ :** सुरक्षित बुनियादी संवाएँ से तात्पर्य है :

  – स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पेयजल एवं बिजली आपूर्ति, स्वच्छता आदि से संबंधित सेवाओं को आपदारोधी (Disaster Resilient) बनाना एवं आपदाओं के समय इन सेवाओं को अनवरत जारी रखने के उपाय को बेहतर बनाना,

  – बुनियादी संवाएँ के प्रति आपदा जोखिमों की पहचान कर संबंधित हितधारकों /सेवाओं का आवश्यकतानुसार क्षमता विकास/निर्माण/वर्द्धन करना

- **सुरक्षित अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाएँ :** सुरक्षित अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाएँ से तात्पर्य है :

  – सड़क, पुल, पुलिया, विद्युत संरचना, तटबंध, दूरसंचार, परिवहन प्रणाली, शिक्षा एंव स्वास्थ्य सेवाएँ आदि महत्वपूर्ण सेवाएँ जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को आपदारोधी बनाने एवं आपदाओं के समय में, इन सेवाओं का अनवरत चालू रखने से है।

5.1 जिला स्तर पर आपदा निवारण, शमन तथा पूर्व तैयारी हेतु किए जाने वाले कार्य

उपरोक्त पाँच हिस्सों के अंतर्गत **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण** स्तर पर विभिन्न विभागों/संस्थाओं के सहयोग से आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले क्रियाकलापों की विवरणी इस प्रकार है:

सुरक्षित ग्राम

क्र0.	सुरक्षित ग्राम हेतू आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य	कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग/संस्थाएँ	कार्यान्वयन का स्तर
1	ग्राम स्तर पर आपदा एवं जलवायु परिवर्तन प्रेरित जोखिमों का ग्राम स्तर के हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ विश्लेषण करना।	यूनिसेफ, एन. जी. ओ., सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ग्राम स्तरीय फ्रंट लाइन विभाग/संस्थाएँ यथा – • *आपदा प्रबंधन विभाग,* • *राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,* • *शिक्षा विभाग,* • *ग्रामीण विकास विभाग,* • *जल संसाधन विभाग,* • *कृषि विभाग,* • *पशुपालन विभाग,* • *ऊर्जा विभाग,* • *पंचायती राज संस्थाएँ,* • *पुलिस विभाग* • *एस.डी.आर.एफ.,* • *स्वास्थ्य विभाग,* • *पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,* • *परिवहन विभाग* • *बिहार अग्निशमन सेवाएँ* • *समाज कल्याण विभाग* • *प्रशिक्षित स्वंयसेवक*	जिला, प्रखण्ड एवं ग्राम
2	सभी हितधारकों द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए चेकलिस्ट विकसित करना।		
3	स्थानीय आपदा जोखिम विश्लेषण के आधार पर ग्राम आपदा प्रबंधन योजना (Village Disaster Management Plan) तैयार करना तथा चेकलिस्ट के आधार पर इस योजना का मूल्यांकन करना।		
4	ग्राम चेकलिस्ट के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम स्तरीय फ्रंट लाइन विभागों, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन (CSO) के कार्यकर्त्ताओं को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं जोखिम सूचित विकास योजना (Risk Informed Development Plan) विषय पर प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन करना।		
5	सामुदायिक एवं सार्वजनिक भवन जैसे धार्मिक स्थल, पंचायत भवन, सामुदायिक केन्द्र, स्कूल, आगनवाड़ी केन्द्र, मोबाइल टावर आदि में वज्रपात/ठनका से बचाव हेतु कंडक्टरों की स्थापना को बढ़ावा देना।		
6	आपदाओं की तैयारियों के लिए नियमित रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन		
7	जागरूकता अभियान/कार्यक्रम को बढ़ावा देना		
8	राजमिस्त्रियों के लिए आपदारोधी भवन निर्माण, गोताखोरों के लिए खोज एवं बचाव, आगंनवाड़ी सेविकाओं के लिए आपदाओं में क्या करें क्या न करें, ए.एन.एम., के लिए सी.पी.आर, होमगार्ड के लिए अफवाह प्रबंधन जैसे विषय पर विशेष प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम को बढ़ावा देना		

<table>
<tr><th colspan="4">सुरक्षित ग्राम</th></tr>
<tr><th></th><th>सुरक्षित ग्राम हेतू आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य</th><th>कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग/संस्थाएँ</th><th>कार्यान्वयन का स्तर</th></tr>
<tr><td>9</td><td>ग्रामिणों के बीच जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति, फसल, पशुधन आदि के बीमा को लेकर गहन अभियान को बढ़ावा देना।</td><td rowspan="12">यूनिसेफ, एन. जी. ओ., सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ग्राम स्तरीय फ्रंट लाइन विभाग/संस्थाएँ यथा –
• आपदा प्रबंधन विभाग,
• राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
• शिक्षा विभाग,
• ग्रामीण विकास विभाग,
• जल संसाधन विभाग,
• कृषि विभाग,
• पशुपालन विभाग,
• ऊर्जा विभाग,
• पंचायती राज संस्थाएँ,
• पुलिस विभाग
• एस.डी.आर.एफ.,
• स्वास्थ्य विभाग,
• पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
• परिवहन विभाग
• बिहार अग्निशमन सेवाएँ
• समाज कल्याण विभाग
प्रशिक्षित स्वंयसेवक</td><td rowspan="12">जिला, प्रखण्ड एवं ग्राम</td></tr>
<tr><td>10</td><td>आपदाओं के दौरान प्रभावित समुदायों को अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए सुरक्षित स्थानों की पहचान करना।</td></tr>
<tr><td>11</td><td>बाढ़ को लेकर उच्च जोखिम (High Risk) वाले गाँवों की पहचान कर बेहतर योजना (Planning) तैयारी (Preparedness) एवं प्रतिक्रिया (Response) आदि के लिए परिदृश्य आधारित बाढ़ मानचित्र (Scenario based inundation map) विकसित करना।</td></tr>
<tr><td>12</td><td>आपदाओं, जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है जैसे बाढ़, वज्रपात, अगलगी, सड़क दुर्घटना, आदि को रोकने उसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए पहले से ही सुरक्षा के उपायों का अपनाने का कार्ययोजना तैयार करना।</td></tr>
<tr><td>13</td><td>गाँवों में (खास कर सूखा प्रभावित) मनरेगाा के अंतगर्त जल संरक्षण एवं जल संचयन प्रणाली के निर्माण को सुनिश्चित करना।</td></tr>
<tr><td>14</td><td>पौधारोपण को बढ़ावा देना एवं इसका सुरक्षा को सुनिश्चित करना।</td></tr>
<tr><td>15</td><td>वैकल्पिक खेती के रूप में बागवानी संबंधी गतिविधियों का बढ़ावा देना।</td></tr>
<tr><td>16</td><td>युवाओं, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और निःशक्तजन को शामिल करते हुए सड़क सुरक्षा समिति का गठन कर, सुरक्षा संबंधी कार्यो को बढ़ावा देना।</td></tr>
<tr><td>17</td><td>सुरक्षित यात्रा के लिए सड़क के किनारे उचित एवं मानक साइनेज का होना सुनिश्चित करना।</td></tr>
<tr><td>18</td><td>नाव दुर्घटना के कारण होने वाले क्षति के प्रति नाव चालकों और समुदाय के लोगों को मॉडल नाव सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूकत करना।</td></tr>
<tr><td>19</td><td>गर्मी के दिनों में पछुआ हवा चलने से पहले, आग की घटनाओं के रोकथाम एवं इसे नियंत्रित करने के लिए चेकलिस्ट के आधार पर उचित तैयारी सुनिश्चित करना।</td></tr>
<tr><td>20</td><td>आपदाओं के दौरान उचित देखभाल हो सके, इसके लिए बच्चों, बीमार, वृद्ध, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं की सूची तैयार कर उसे अद्यतन करते रहना।</td></tr>
<tr><td colspan="4">नोट : उपरोक्त कार्य के अलावे भी आवश्यकतानुसार अन्य कार्य भी किये जा सकते है।</td></tr>
</table>

सुरक्षित शहर

क्र0.	सुरक्षित ग्राम हेतू आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य	कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग/संस्थाएँ	कार्यान्वयन का स्तर
1	शहर स्तर पर आपदा एवं जलवायु परिवर्तन प्रेरित जोखिमों का ग्राम स्तर के हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ विश्लेषण करना।	यूनिसेफ, एन. जी. ओ., सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, शहर स्तरीय फ्रंट लाइन विभाग/संस्थाएँ यथा – • *आपदा प्रबंधन विभाग,* • *राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,* • *शहरी विकास एवं आवास विभाग,* • *शहरी विकास विभाग* • *शिक्षा विभाग,* • *लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,* • *ऊर्जा विभाग,* • *शहरी स्थानीय निकाय* • *योजना एवं विकास विभाग* • *पुलिस विभाग* • *एस.डी.आर.एफ.,* • *स्वास्थ्य विभाग,* • *पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,* • *परिवहन विभाग* • *बिहार अग्निशमन सेवाएँ* • *समाज कल्याण विभाग* • *प्रशिक्षित स्वंयसेवक*	• *शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र*
2	सभी हितधारकों द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए चेकलिस्ट विकसित करना।		
3	स्थानीय आपदा जोखिम विश्लेषण के आधार पर शहरी आपदा प्रबंधन योजना (City Disaster Management Plan) तैयार करना तथा चेकलिस्ट के आधार पर इस योजना का मूल्यांकन करना।		
4	चेकलिस्ट के आधार पर संबंधित विभागों/संस्थाओं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन (CSO), एन.जी.ओ. आदि के कार्यकर्त्ताओं को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं जोखिम सूचित विकास योजना (Risk Informed Development Plan) विषय पर प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन करना।		
5	सामुदायिक एवं सार्वजनिक भवन जैसे धार्मिक स्थल, कार्यालय भवन, सामुदायिक केन्द्र, स्कूल, कॉलेज, मोबाइल टावर, मॉल आदि में वज्रपात/ठनका से बचाव हेतु कंडक्टरों की स्थापना को बढ़ावा देना।		
6	आपदाओं की तैयारियों के लिए नियमित रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन		
7	जागरूकता अभियान/कार्यक्रम को बढ़ावा देना		
8	अभियंताओं, वास्तुविदों, संवेदकों, राजमिस्त्रियों, गृहस्वामियों के लिए आपदारोधी भवन निर्माण से संबंधित विषय पर विशेष प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम को बढ़ावा देना		
9	शहरी क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र (Ecosystem) के तंत्र के प्रमुख तत्वों जैसे प्राकृतिक जल निकाय (नदी, तालाब, पोखर, नाला आदि), वृक्षारोपण क्षेत्र, वन एवं आर्द्रभूमि आदि की पहचान करना एवं ये सुनिश्चित करना कि इसका अतिक्रमण न हो। ऐसे मृत हो चुके प्राकृतिक संसाधनों/तत्वों के रेस्टॉरेशन के लिए योजनाबद्ध तरीके से आवश्यक कार्य करना।		
10	शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खतरनाक उद्योगों (Hazardous Industries) को चिन्हित करना एवं कारखना स्थापना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार "ऑन साइट" और "ऑफ साइट" आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया हो तथा इस योजना के अनुमोदनापरांत सतत अभ्यास कार्य एवं समय समय पर मॉक ड्रील का आयोजन सुनिश्चित करना।		
11	शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एवं जल जमाव के खतरे, उपलब्ध जल संसाधन, जल निकासी प्रबंधन प्रणाली (Draniage Mgmt System) के साथ साथ प्राकृतिक जल निकासी पैटर्न (Natural Draniage System) तथा शहरी बाढ़ एवं जल जमाव पर इन सभी के प्रभाव का व्यापक अध्ययन एवं विश्लेषण करना।		

सुरक्षित शहर

क्र0.	सुरक्षित ग्राम हेतू आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य	कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग/संस्थाएँ	कार्यान्वयन का स्तर
12	बाढ़ को लेकर उच्च जोखिम (High Risk) वाले क्षेत्रों की पहचान कर बेहतर योजना (Planning) तैयारी (Preparedness) एवं प्रतिक्रिया (Response) आदि के लिए परिदृश्य आधारित बाढ़ मानचित्र (Scenario based inundation map) विकसित करना।	यूनिसेफ, एन. जी. ओ., सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, शहर स्तरीय फ्रंट लाइन विभाग/संस्थाएँ यथा – • *आपदा प्रबंधन विभाग,* • *राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,* • *शहरी विकास एवं आवास विभाग,* • *शहरी विकास विभाग* • *शिक्षा विभाग,* • *लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,* • *ऊर्जा विभाग,* • *शहरी स्थानीय निकाय* • *योजना एवं विकास विभाग* • *पुलिस विभाग* • *एस.डी.आर.एफ.,* • *स्वास्थ्य विभाग,* • *पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,* • *परिवहन विभाग* • *बिहार अग्निशमन सेवाएँ* • *समाज कल्याण विभाग* • *प्रशिक्षित स्वंयसेवक*	• *शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र*
13	आपदाओं के दौरान प्रभावित समुदायों को अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए सुरक्षित स्थानों की पहचान करना।		
14	बाढ़ एवं जल जमाव के जोखिम विश्लेषण (Risk Analysis) के आधार पर शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में वॉटर पंपस (Water pumps) और पम्पिंग स्टेशन की आवश्यकता का आकलन करना		
15	शहरी क्षेत्रों में उचित स्थानों पर वेस्ट वॉटर एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ साथ रिसाइक्लिंग प्लांट को स्थापित करना तथा प्राकृतिक जल निकासी पैटर्न (Natural Draniage System) के साथ इसे एकीकृत करना।		
16	जोखिम विश्लेषण (Risk Analysis) एवं जोखिम सूचित योजना (Risk Informed Planning) जैसे विषयों पर संबंधित विभाग/संस्थाओं के अधिकारियों की व्यापक प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन करना।		
17	नियमित अंतराल पर विभिन्न आपदाओं विशेषकर आग एवं भूकम्प का मॉक ड्रिल एवं विभिन्न एस.ओ.पी. और गाइडलाइंस का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। आवश्यकतानुसार, विभिन्न एस.ओ.पी. और गाइडलाइंस का समीक्षा कर संशोधन करना।		
18	शहरी क्षेत्रों में उपयुक्त अग्निशमन उपकरणों और दमकल गाड़ियों को सुनिश्चित करना।		
19	भूकम्प की घटना के बाद मानव एवं पशु शवों काएवं ढांचागत मलबे (Infrastructural Debris) का निपटान (Disposal) के लिए क्षेत्र विशेष की पहचान कर चिन्हित करना।		
20	शहरी क्षेत्रों में आपदा से बचाव हेतु प्रभावी सूचना एवं जन जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है : • *विभिन्न आपदाओं के लिए सुरक्षा सप्ताह का वृहद स्तर पर आयोजन।* • *समय समय पर समाचार पत्रों, टीवी, एफ.एम रेडियो और सोशल मीडिया पर जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा।* • *जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति (घर, वाहन आदि), वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों आदि के लिए समुदायों को बीमा कराने हेतु प्रोत्साहित करना।*		
21	आपदाओं, जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है जैसे बाढ़, वज्रपात, अगलगी, सड़क दुर्घटना, आदि को रोकने उसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए पहले से ही सुरक्षा के उपायों का अपनाने का कार्ययोजना तैयार करना।		
17	सुरक्षित यात्रा के लिए सड़क के किनारे उचित एवं मानक साइनेज का होना सुनिश्चित करना।		
22	पौधारोपण को बढ़ावा देना एवं इसका सुरक्षा को सुनिश्चित करना।		

नोट : उपरोक्त कार्य के अलावे भी आवश्यकतानुसार अन्य कार्य भी किये जा सकते है।

सुरक्षित आजीविका :

क्र0.	सुरक्षित ग्राम हेतू आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य	कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग/संस्थाएँ	कार्यान्वयन का स्तर
1	मौजूदा और संभावित आजीविका समूहों जैसे कि लीची, फूल, सब्जी, मखाना, मधुबनी पेंटिंग, कपास, रेशम, अगरबत्ती, मत्स्य पालन, पोल्ट्री आदि के लिए आपदा एवं जलवायु परिवर्तन प्रेरित जोखिमों का संबधित हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ आपदा जोखिम विश्लेषण करना।	यूनिसेफ, एन. जी. ओ., सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ग्राम स्तरीय फ्रंट लाइन विभाग/संस्थाएँ यथा – • *आपदा प्रबंधन विभाग,* • *राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,* • *शिक्षा विभाग,* • *ग्रामीण विकास विभाग,* • *जल संसाधन विभाग,* • *कृषि विभाग,* • *पशुपालन विभाग,* • *ऊर्जा विभाग,* • *पंचायती राज संस्थाएँ,* • *पुलिस विभाग* • *एस.डी.आर.एफ.,* • *स्वास्थ्य विभाग,* • *पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,* • *परिवहन विभाग* • *बिहार अग्निशमन सेवाएँ* • *समाज कल्याण विभाग* • *प्रशिक्षित स्वंयसेवक*	जिला, प्रखण्ड एवं ग्राम
2	आपदा जोखिम विश्लेषण के उपरांत संबंधित हितधारकों द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए चेकलिस्ट विकसित करना।		
3	आपदा के संदर्भ में विशिष्ट फसल पैकेज और तकनीकों के विकास में अनुसंधान एवं विकास (Research & Development) के कार्यो को समर्थन एवं बढ़ावा देना। ऐसे कार्यो को विश्वविद्यालयों की प्रायोगिक भूमि में न कर, किसानों की भूमि पर प्रदर्शित करने को प्रोत्साहित करना।		
4	आजीविका से संबंधित कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, कुक्कुट, बागबानी, पशुधन आदि के लिए नवाचारों एवं विस्तार प्रशिक्षण (Innovation & Extention training) के प्रदर्शन हेतु संबंधित हितधारकों द्वारा फील्ड स्कूल के स्थापना को बढ़ावा देना।		
5	कृषि उपज के भंडारण के लिए गोदामों के निर्माण, कोल्ड स्टोरेज की स्थापना एवं इसके उचित रख रखाव को बढ़ावा देना।		
6	संबंधित विभागों की वार्षिक योजनाओं को तैयार करते समय आपदा एवं जलवायु जोखिम विश्लेषण (Disaster and climate risk analysis) को अनिवार्य रूप से इसमें शामिल करना।		
7	बाढ़ या अत्यधिक वर्षा के दौरान मवेशियों की बीमारियों को रोकने के लिए मानसून पूर्व मवेशियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना।		
8	आपदाओं के दौरान प्रभावित समुदायों एवं पशुधन को अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए सुरक्षित स्थानों की पहचान करना।		
9	ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध पशुधन से संबंधित डेटाबेस को तैयार करना एवं इसे नियमित रूप से अपडेट करना।		
10	स्थानीय आपदा जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार ग्राम आपदा प्रबंधन योजना (Village Disaster Management Plan) तथा इसके चेकलिस्ट के आधार पर इस योजना का मूल्यांकन में आजीविका को सम्मिलित करना।		
11	चेकलिस्ट के आधार पर संबंधित विभागों/संस्थाओं के सहयोग से आपदारोधी आजीविका के संदर्भ में स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षण एवं उसका क्षमतावर्द्धन करना।		
12	सार्वजनिक बुनियादी ढाचे (Public Infrastructure) और सामुदायिक संपत्तियों (Community assets) की तत्काल मरम्मति को प्राथमिकता देना।		

<table>
<tr><th colspan="4">सुरक्षित आजीविका :</th></tr>
<tr><th>क्र0.</th><th>सुरक्षित ग्राम हेतू आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य</th><th>कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग/संस्थाएँ</th><th>कार्यान्वयन का स्तर</th></tr>
<tr><td>13</td><td>आपदा के संदर्भ में सुरक्षित आजीविका से संबंधित अच्छी प्रथाओं एवं सफल केस स्टडी को साझा करना एवं प्रोत्साहन देना।</td><td rowspan="11">यूनिसेफ, एन. जी. ओ., सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ग्राम स्तरीय फ्रंट लाइन विभाग/संस्थाएँ यथा –
• आपदा प्रबंधन विभाग,
• राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
• शिक्षा विभाग,
• ग्रामीण विकास विभाग,
• जल संसाधन विभाग,
• कृषि विभाग,
• पशुपालन विभाग,
• ऊर्जा विभाग,
• पंचायती राज संस्थाएँ,
• पुलिस विभाग
• एस.डी.आर.एफ.,
• स्वास्थ्य विभाग,
• पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
• परिवहन विभाग
• बिहार अग्निशमन सेवाएँ
• समाज कल्याण विभाग
प्रशिक्षित स्वंयसेवक</td><td rowspan="11">जिल, प्रखण्ड एवं ग्राम</td></tr>
<tr><td>14</td><td>बंजर भूमि (Wasteland) विकास, चारा विकास, चारागाह विकास, सामाजिक वानिकी और आर्द्र भूमि (Wetland) आदि से संबंधित गतिविधियों/कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।</td></tr>
<tr><td>15</td><td>अचानक बाढ़ (Flash flood) के जोखिमों को कम करने के लिए जल निकासी विकास योजनाओ को बढ़ावा देना।</td></tr>
<tr><td>16</td><td>राज्य कौशल विकास मिशन के सहयोग से युवाओं और महिलाओं के कौशल निर्माण और उद्यमिता विकास पर विशेष ध्यान देने हेतु कार्यक्रम को बढ़ावा देना।</td></tr>
<tr><td>17</td><td>उपनगरीय एवं शहरी क्षेत्रों में अपंजीकृत छोटे उत्पदाकों, विक्रेताओं और व्यापारियों के पंजीकरण हेतु तंत्र विकसित करना।</td></tr>
<tr><td>18</td><td>आजीविका के अवसरों के आकलन में ग्राम पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण, आजीविका मूल्यांकन तथा मुआवजे के प्रावधान के कार्यान्वयन और निगरानी को बढ़ावा देना।</td></tr>
<tr><td>19</td><td>आपदाओं, जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सके एवं जिससे आजीविका प्रभावित होती हो जैसे बाढ़, वज्रपात, अगलगी, सड़क दुर्घटना, आदि को रोकने उसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए पहले से ही सुरक्षा के उपायों का अपनाने का कार्ययोजना तैयार करना।</td></tr>
<tr><td>20</td><td>लोगों के बीच जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति, फसल, पशुधन आदि के बीमा को लेकर गहन अभियान को बढ़ावा देना।</td></tr>
<tr><td>21</td><td>जागरूकता अभियान/कार्यक्रम को बढ़ावा देना</td></tr>
<tr><td>22</td><td>पौधारोपण को बढ़ावा देना एवं इसका सुरक्षा को सुनिश्चित करना।</td></tr>
<tr><td>23</td><td>वैकल्पिक खेती के रूप में बागवानी संबंधी गतिविधियों का बढ़ावा देना।</td></tr>
<tr><td colspan="4">नोट : उपरोक्त कार्य के अलावे भी आवश्यकतानुसार अन्य कार्य भी किये जा सकते है।</td></tr>
</table>

सुरक्षित बुनियादी सेवाएँ :

क्र0.	सुरक्षित ग्राम हेतू आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य	कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग/संस्थाएँ	कार्यान्वयन का स्तर
1	बुनियादी सेवाओं से संबंधित संस्थानों जैसे कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, आदि के संरचना निर्माण के दिशानिर्देशों (Guidelines) एवं डिजाइनों की समीक्षा कर बहु आपदा जोखिम (Multi disaster risk) की दृष्टि से संरचनात्मक सुरक्षा तत्वों का शामिल होना सुनिश्चित करें।	यूनिसेफ, एन. जी. ओ., सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, शहर स्तरीय फ्रंट लाइन विभाग/संस्थाएँ यथा – • *आपदा प्रबंधन विभाग,* • *राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,* • *शहरी विकास एवं आवास विभाग,* • *शहरी विकास विभाग* • *शिक्षा विभाग,* • *लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,* • *ऊर्जा विभाग,* • *शहरी स्थानीय निकाय* • *योजना एवं विकास विभाग* • *योजना विभाग* • *पुलिस विभाग* • *एस.डी.आर.एफ.,* • *स्वास्थ्य विभाग,* • *परिवहन विभाग* • *बिहार अग्निशमन सेवाएँ* • *प्रशिक्षित स्वंयसेवक*	जिला, प्रखण्ड एवं ग्राम
2	स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का संबधित हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ जोखिम विश्लेषण करना।		
3	जोखिम विश्लेषण के उपरांत संबंधित हितधारकों द्वारा जोखिम न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए चेकलिस्ट विकसित करना।		
4	रेसिलिएंस इंडेक्स के आधार पर वर्तमान स्थितियों का निर्धारण करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं का आकलन करना।		
5	निर्माण के कार्य आपदारोधी (भूकम्प/आग/ठनका आदि) के साथ साथ दिव्यांगजनों एवं पर्यावरण के अनुकूल हो को सुनिश्चित करना।		
6	विभिन्न श्रेणी जैसे मैटरनिटी, आर्थोपेडिक्स, चाइल्ड हेल्थ, डायग्नोस्टिक्स आदि के अनुसार निजी, ट्रस्ट एवं सरकारी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की पहचान करना।		
7	वेक्टर जनित एवं जल जनित बीमारियों सहित जैविक खतरों के प्रबंधन हेतु एस. ओ. पी. तैयार कर उसके अनुसार कार्यान्वयन करना।		
8	संबंधित विभागों की वार्षिक योजनाओं को तैयार करते समय आपदा एवं जलवायु जोखिम विश्लेषण (Disaster and climate risk analysis) को अनिवार्य रूप से इसमें शामिल करना।		
9	आपदाओं दौरान प्रभावितों को पीने योग पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।		
10	आपदाओं के दौरान प्रभावित समुदायों एवं पशुधन को अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए सुरक्षित स्थानों की पहचान करना।		
11	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (Solid & Liquid Waste Mgmt) के लिए एक प्रभावी कार्य योजना सुनिश्चित करना।		
12	आपदा प्रबंधन के संदर्भ में मानदंडों (Norms), दिशानिर्देशों (Guidelines), एस. ओ. पी. आदि के कार्यान्वयन पर सेवा प्रदाताओं, तकनीशियनों, पी. आर.आई एवं यूएलबी के कर्मियों तथा एसएचजी एवं अन्य हितधारकों के प्रशिक्षण का संचालन सुनिश्चित करना।		
13	विभिन्न हितधारकों विशेष कर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एवं एन.जी.ओं के मदद से मॉक ड्रिल, आई.ई.सी. सामग्रियों, विज्ञापनों, नुक्कड़ नाटकों आदि के माध्यम से सुरक्षित बुनियादी सेवाओं पर सतत जन जागरूकता सुनिश्चित करना एवं इसे बढ़ावा देना।		
14	सार्वजनिक बुनियादी ढाचे (Public Infrastructure) और सामुदायिक संपत्तियों (Community assets) की तत्काल मरम्मति को प्राथमिकता देना।		

नोट : उपरोक्त कार्य के अलावे भी आवश्यकतानुसार अन्य कार्य भी किये जा सकते है।

सुरक्षित अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाएँ :

क्र0.	सुरक्षित ग्राम हेतू आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य	कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग/संस्थाएँ	कार्यान्वयन का स्तर
1	अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाओं को प्रभावित करने वाले मौजूदा एवं संभावित आपदा जोखिमों का संबधित हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ आपदा जोखिम विश्लेषण करना।	यूनिसेफ, एन. जी. ओ., सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, शहर स्तरीय फ्रंट लाइन विभाग/संस्थाएँ यथा – • *आपदा प्रबंधन विभाग,* • *राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,* • *शहरी विकास एवं आवास विभाग,* • *शहरी विकास विभाग* • *शिक्षा विभाग,* • *लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,* • *ऊर्जा विभाग,* • *शहरी स्थानीय निकाय* • *योजना एवं विकास विभाग* • *योजना विभाग* • *पुलिस विभाग* • *एस.डी.आर.एफ.,* • *स्वास्थ्य विभाग,* • *परिवहन विभाग* • *बिहार अग्निशमन सेवाएँ* • *प्रशिक्षित स्वंयसेवक सेवक*	जिल, प्रखण्ड एवं ग्राम
2	आपदा जोखिम विश्लेषण के आधार पर आधारभूत संरचनाओं के सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु सुधारात्मक उपाय जैसे पुनर्निर्माण, सुदृढ़ीकरण, पुनर्निर्माण आदि के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।		
3	आधारभूत संरचनाओं कार्यो (Operational functions) के लिए नियमित अंतराल पर परीक्षण एवं मॉक ड्रील का आयोजन सुनिश्चित करना।		
4	आधारभूत संरचनाओं के कार्यन्वयन (Execution) से पहले प्रस्तावित कार्य निर्माण का जोखिम प्रभाव विश्लेषण (Risk Impact Analysis) को अनिवार्य बनाना।		
5	आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्रों तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु वैकल्पिक मार्गो के साथ मौजूदा रोड नेटवर्क का मैप तैयार करना एवं लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाने के लिए वेब आधारित एप्लिकेशन विकसित करना।		
7	बाढ़ नियंत्रण एस.ओ.पी. तथा तटबंध प्रबंधन दिशानिर्देश को प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।		
8	बुनियादी ढांचे (Infrastructure) की बैकअप और पुनः कार्यक्षमता (regaining) सुनिश्चित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की निरंतरता योजना (Infrastructure continuity Plan) विकसित करने हेतु उद्योगों को प्रोत्साहित करना।		
9	खतरनाक उद्योगों (Hazardous Industries) को चिन्हित कर, कारखना स्थापना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार "ऑन साइट" और "ऑफ साइट" आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना तथा इस योजना के अनुमोदनापरांत सत्त अभ्यास कार्य एवं समय समय पर मॉक ड्रील का आयोजन सुनिश्चित करना।		
10	जागरूकता अभियान/कार्यक्रम को बढ़ावा देना		
11	पौधारोपण को बढ़ावा देना एवं इसका सुरक्षा को सुनिश्चित करना।		

नोट : उपरोक्त कार्य के अलावे भी आवश्यकतानुसार अन्य कार्य भी किये जा सकते है।

= = = = = =

अध्याय : 6

क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण

CAPACITY BUILDING & TRAINING

जिला आपदा प्रबंधन योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन तथा जोखिम निषेधीकरण एवं न्यूनीकरण के कार्यो को बनाये रखने के लिए इसके क्रियान्वयन में नियोजित सभी हितभागी/सह कर्मियों का प्रशिक्षण तथा क्षमतावर्द्धन करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य हितभागियों तथा नियोजित कर्मियों के कौशल को मजबूती प्रदान करना होगा तथा निपुणता में उत्तरोत्तर वृद्धि करनी होगी। सुचारू आपदा प्रबंधन के लिए सरकार, समुदाय तथा सहयोगी संस्थाओं सभी का प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन करने पर ही निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करना संभव हो सकेगा। प्रशिक्षण के माध्यम से आपदा के विभिन्न आयामों के प्रति अवधारणा (Concept), जानकारी (Information), कौशल (Skill), दृष्टिकोण (Attitude) तथा व्यक्तिगत गुणवत्ता (Personal Quaility) विकसित किया जा सकेगा।

6.1 संस्थागत क्षमतावर्द्धन (Institutional Capacity Building) :

यह सर्व विदित है कि किसी भी आपदा में स्थानीय समुदाय को ही 'फर्स्ट रिस्पॉडर' के रूप में देखा जाता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि स्थानीय समुदायों एवं इनसे जुड़े विभिन्न हितधारको का सतत क्षमतावर्द्धन होते रहें ताकि आपदा के दौरान कम से कम क्षति हो। सतत क्षमतावर्द्धन के कार्य करते रहना, आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी समझा जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न संस्थाओं के लोगों एवं उनके माध्यम संबंधितों का प्रशिक्षण एवं जागरूकता के कार्य होते रहे। संस्थागत क्षमतावर्द्धन के क्षेत्र में संबंधित विभागों/संस्थओं द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संदर्भ में विभिन्न हितधारकों का क्षमतावर्द्धन से संबंधित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्य लगातार किये जा रहे हैं। जो इस प्रकार हैं:

- मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (सुरक्षित शनिवार)
- भूकम्परोधी भवन निर्माण तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण (राजमिस्त्रियों/अभियंताओं/वास्तुविदों का)
- पंचायतीराज संस्थानों के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण
- शहरी निकायों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों का प्रशिक्षण
- सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम (डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु बालक/बालिकाओं का प्रशिक्षण।)
- सुरक्षित नौका परिचालन (नाविकों एवं नाव मालिकों का तथा नौकाओं के निबंधन हेतु सर्वेक्षकों एवं निबंधन पदाधिकारियों का प्रशिक्षण)
- जीविका दीदियों का प्रशिक्षण
- सामुदायिक स्वयंसेवियों का प्रशिक्षण (प्रत्येक पंचायत से चयनित 10–10 नवयुवकों/नवयुवतियों)
- बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण
- बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण
- ग्रामीण विकास सेवा एवं राजस्व सेवा के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण
- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पशुचिकित्सकों का प्रशिक्षण
- बिहार भूकंप दूरमापी तंत्र की स्थापना
- भूकंप सुरक्षा क्लीनिक सह परामर्श केंद्र की स्थापना
- राज्य आपदा संसाधन नेटवर्क

इसके अलावे विभिन्न आपदाओं से संबंधित मार्गदर्शिका एवं एडभाइजरी तैयार किए गए हैं।

उपरोक्त कार्यक्रमों के प्रि"ाक्षितों की सूची एवं प्रि"ाक्षण पुस्तिका प्राधिकरण के वेवसाइट (http://bsdma.org/Training-Workshops.aspx?id=1) पर देखी जा सकती है। ऐसे क्षमतावर्द्धन कार्यक्रमों से आपदाओं के न्यूनीकरण एवं रेस्पॉस में गति आयेगी। आपदा से प्रभावित होने वाले समुदायों का बचाव, आपदा के जोखिम का न्यूनीकरण तथा आपदा पीड़ितों को ससमय साहाय्य उपलब्ध कराने में सहूलियत हो।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जिला में कार्यरत संबंधित विभागों/संस्थाओं (सरकारी/गैर–सरकारी) के सहयोग से स्थानीय समुदायों का क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम कराते रहने की आवश्यकता बनी रहेगी।

6.2 क्षमतावर्द्धन हेतु प्रशिक्षण के विषय :

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमतावर्द्धन कार्यक्रत विभिन्न स्तरों पर होने वाली एक सतत प्रक्रिया है। इस हेतु विभिन्न स्तरों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

6.2.1 पंचायत स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम :

क्र॰	पंचायत स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
01	• मुखिया • वार्ड सदस्य • सामुदायिक संगठन	1. पंचायत स्तरीय खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधन (भौतिक एवं प्राकृतिक) का चित्रण। 2. पंचायत की विकास योजना/ मनरेगा योजना एवं निर्माण के कार्यो में पंचायत स्तरीय आपदा प्रबंधन गतिविधियों का समायोजन। 3. खोज, बचाव, प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित प्रशिक्षण। 4. आपदारोधी भवन निर्माण एवं अगलगी की रोकथाम संबंधी मुख्य जानकारी। 5. स्थानीय आपदा एवं इसने बचने के उपाय।
02	• स्कूल/कॉलेज	1. स्कूल आपदा प्रबंधन कार्य योजना विषय पर शिक्षकों का प्रशिक्षण। 2. आापदाओं से बचाव के उपाय 3. समय समय पर मॉक ड्रील के कार्यक्रम 4. सुरक्षित शनिवार एवं गुरूवार कार्यक्रम का संचालन ।
03	• आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका • आशा कार्यकर्त्ता	1. बच्चों का कुपोषण से बचाव। 2. आपदओं के दौरान महिलाओं का स्वास्थ्य सुरक्षा एवं एनेमिया से बचाव। 3. आपदा के दौरान कैम्प संचालन।
4	• स्थानीय राजमिस्त्री	भूकंपरोधी भवन निर्माण सतत जागरूकता, प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम

6.2.2 प्रखंड स्तरः प्रखंड स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रखंड तथा इसके क्षेत्र में पड़ने वाले पंचायतों/गाँवों के प्रबुद्ध लोगों को प्रशिक्षण में शामिल किया जा सकता है।

प्रखंड स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम :

क्र॰	प्रखंड स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
01	• प्राथमिक सहकारिता साख समिति (पैक्स) • कृषि सलाहकार	1. आपदा, आपदा के प्रभाव एवं आपदा प्रबंधन के उपाय पर प्रशिक्षण। 2. जलवायु परिवर्तन एवं इसके प्रभाव की जानकारी। 3. मौसमीय कृषि एवं वैकल्पिक कृषि कार्य। 4. फसल सुरक्षा/बीमा की जानकारी। 5. आपदा की दृष्टि से खेती की जाने वाली फसल की पहचान एवं इसके फायदें।
02	• पंचायत सचिव • विकास मित्र	1. विभिन्न समुदायो का आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण। 2. आंकड़ों का संधारण, नजरी नक्शा/जोखिम, संवेदनशीलता, एवं संभावित खतरों का आकंलन, क्षमतावर्द्धन के उपाय। 3. लेखा संधारण।
03	• ग्राम कचहरी/न्याय मित्र	आपदा प्रभावितों को अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार के साथ प्रशिक्षण।
04	• स्थानीय राजमिस्त्रिों, शटरींग मिस्त्रियों, बार बांईडर आदि	भूकंप रोधी भवन निर्माण संबंधी जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण ।

6.2.3 जिला स्तर :

जिला स्तर पर क्षमतावर्द्धन हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम :

क्र०	जिला स्तर	प्रशिक्षण का विषय
01	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	1. आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दायित्व एवं अधिकार। 2. इंसिडेन्ट रिस्पॉस सिस्टम। 3. आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयाम – बहु–आपदा, खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण। (HRVCA) 4. आपदा पूर्व तैयारी शमन, न्यूनीकरण, क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण के विषय। 5. संचार माध्यम। 6. राज्य एवं केन्द्रस्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं एन.डी.आर.एफ. / एस.डी.आर.एफ., पड़ोसी जिले आदि के साथ समन्वय। 7. बोट परिचालन रूल्स, बिल्डिंग वायलॉज, फॉयर सेफ्टी रूल्स, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आदि के संबंध में। 8. समय समय पर मॉक ड्रील के कार्यक्रम 9. स्थानीय स्तर पर विभिन्न पेशेवर समुदायों का विषयवार प्रशिक्षण। 10. अभियंताओं / राजमिस्त्रियों / संवेदकों / बार बाईन्डर / शटरींग मिस्त्रियों आदि का भूकंपरोधी भवन–निर्माण तकनीक एवं बिल्डिंग वायलॉज पर प्रशिक्षण। 11. विभिन्न आपदाओं के बारे संबंधित हितधरकों का प्रशिक्षण। 12. जिला में हो रहे एवं होने वाले विकास कार्यो में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के पहलूओं को समावेश करना। 13. जिला आपदा प्रबंधन योजना

6.5. प्रशिक्षित लोगों की सूची एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल (List of Trained Persons & Training Module):

जैसा की पूर्व में वर्णन किया गया है, लगातार प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम से आपदाओं के न्यूनीकरण, रोकथाम तथा पूर्व तैयारी के प्रति समाज के विभिन्न स्तरों पर सजगता लाई जा सकती है। ऐसे प्रशिक्षित लोगों की सूची जिला के बेवसाइट के साथ साथ प्रखण्ड कार्यालय में भी आम जनों के लिए उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का यह दायित्व है कि इन प्रशिक्षित लोगों से क्षमतावर्द्धन एवं रिस्पॉस संबंधी कार्यो में सहयोग लिया जाए।

■ **प्रशिक्षण मॉड्यूल (Training Module) :**

- बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियें का आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण पर व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु (हस्त पुस्तिका–1), बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण– 2018
- मैनेजमेंट ऑफ एनिमल–इन–इमरजेंसी– ए भेटनरी हैन्डबुक फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – 2018
- मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (सुरक्षित शनिवार) शिक्षकों / प्रशिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका–जनवरी 2018
- राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण के लिए सचित्र मार्गदर्शिका–नवम्बर 2017
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर (मुख्यिा, सरपंच एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की हस्त पुस्तिका) फरवरी 2018
- सुरक्षित नौका परिचालन हेतु नाविकों एवं नाव मालिकों के लिए प्रशिक्षण मोड्यूल–2017
- नौकाओं के सर्वेक्षण निबंधन हेतु सर्वेक्षकों एवं निबंधकों का प्रशिक्षण मॉड्यूंल ।

नोट : उपरोक्त संदर्भ में जिले में उपलब्ध प्रशिक्षित पदाधिकारियों एवं अन्यों सूची तथा विभिन्न विषयों पर तैयार की गई मॉड्यूल बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाईट (www.bsdma.org) के Our Activities विषय को क्लिक करने के बाद Training शीर्षक पर क्लिक करके देखा जा सकता है। भविष्य में जिले में आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई प्रशिक्षण मॉडयूल का सहारा लिया जायेगा, साथ हीं प्रशिक्षित व्यक्तियों की सूची वेबसाईट पर डालना अपेक्षित होगा।

6.6 जागरूकता सृजन (Awareness Generation) :

जागरूकता अभियान के द्वारा आपदा प्रबंधन के विभिन्न सहभागियों, समुदाय सहित को चिन्हित आपदा के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाया जा सकता है। इस माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण बहुत सुलभ तरीके से संभव है। बिहार के संदर्भ में स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली छात्रों एवं शिक्षकों को विभिन्न आपदाओं के प्रति जागरूक बनाते हुए आपदा जोखिम न्यूनीकरण का कार्य बहुत व्यापक तरीके से किया गया है। जागरूकता अभियान विभिन्न आपदा के लिए तैयार आई॰ई॰सी॰ सामग्री, नुक्कड़ नाटक, विद्यार्थियों के बीच वाद–विवाद प्रतियोगिता, अखबार, होर्डिंग, पैम्पलेट, इंटरनेट, वाट्सएप, रेडियो, चलचित्र आदि के माध्यम से चलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य जोखिम यथा सड़क सुरक्षा, डूबने की घटना, अग्नि, शीतलहर, लू आदि से बचाव हेतु समय–समय पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने लाईन विभाग के सहयोग से विभिन्न जागरूकता अभियान (एडवाईजरी) जारी करेगें।

विभिन्न आपदाओ के प्रति संवेदनशील जिला, प्रखंड तथा पंचायत में गठित आपात्कालीन संचालन दल की यह जवाबदेही होगी कि वे हितधारक समूह के प्रतिनिधियो तथा सहायक एजेसिंयों के नोडल पदाधिकारियों को जन–जागरूकता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए प्रेरित तथा प्रशिक्षत करें। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न आपदाओं के संदर्भ में जोखिम न्यूनीकरण तथा सुरक्षात्मक उपाय बचाव एवं राहत से संबंधित सुझाव–सलाह चक्र चलित (Circulate) किये गये है।

= = = = = =

अध्याय : 7
प्रत्युत्तर योजना
RESPONSE PLAN

आपदा की शुरूआत होने पर इससे निपटने के लिए एक प्रभावी प्रत्युतर योजना का उपलब्ध रहना अत्यंत हितकारी तथा श्रेयस्कर होगा। इस प्रत्युत्तर योजना में ठोस प्रत्युत्तर के संभावित उपाय, क्रियाविधि, सहायक उपस्करो, प्रशिक्षित कर्मियों तथा समन्वित प्रयासो का जो वास्तविकता के धरातल पर सफलता प्रदान करने वाले हो, स्पष्ट उल्लेख रहना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्यत्तरदाता संगठन के दायित्व तथा भूमिका का भी इस योजना में स्पष्ट उल्लेख रहना अत्यंत आवश्यक हैं। प्रत्यत्तरदाता संगठन के दायित्व तथा भूमिका का भी इस योजना में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। आपदा के पूर्व सूचना तथा इसकी व्रीवता तथा विस्तार का अनुमान होते ही मोचन तंत्र स्वतः स्फूर्त कार्रवाई प्रारंभ करे एवं पूर्व निर्धारित भूमि का अदा करने में प्रवृत हो जाय, यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। आपदा मोचन योजना में जिले में जिन आपदाओं की आशंका प्रबंल हो उन सभी आपदाओं के लिए आपदावार सभी आवश्यक गतिविधियों तथा उनके प्रारंभर करने, जारी रखने तथा पुनर्वापसी के समय का निर्धारण भी किया गया है ताकि कोई चूक न हो जाये।

आपदाऐं, विकास में बाधा डालती है। आपदाओं के प्रबंधन में कार्य करने के लिए प्रशासनिक ढांचे, नागरिक समाज एवं इसके विविध संस्थानों की आवश्यकता होती है। आपदा प्रबंधन में शामिल होने वाले क्रियाकलाप आपदा की प्रकृति एवं प्रकार पर भी निर्भर होते हैं। यह देखा गया है कि आपदाओं के समय में, संसाधनों की कमी के अलावा, विविध एजेंसियों के बीच समन्वयन की कमी होती है तथा विविध हितधारकों के बीच भूमिकाओं की स्पष्टता के अभाव में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यदि कार्रवाई सुनियोजित हो साथ ही हितधारक प्रशिक्षित हों, तो कार्रवाई सहज एवं प्रभावी होगी।

उपरोक्त के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकरा द्वारा Incident Response System (IRS) विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य विविध कार्यभारों (डयूटियों) को पूरा करने के लिए अधिकारियों को पूर्व–पदनामित करना तथा साथ ही साथ उनको उनकी संबंधित भूमिकाओं में प्रशिक्षित करना है।

यह वास्तविक घटना प्रबंधन के दौरान अव्यवस्था तथा संभ्रम/व्याकुलता को कम करने में मदद करता है। यह प्रणाली परिकल्पना करती है कि भूमिकाओं एवं कार्यों को पहले से ही निर्धारित किया जाएगा, कार्मिकों को चिन्हित किया जाएगा तथा उन्हें उनकी संबंधित भूमिकाओं एवं कार्यों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रणाली की कई लाभप्रद विशेषताएं हैं जैसे

- कमांड की एकता एवं श्रृंखला,
- संगठनात्मक लचीलापन,
- व्यक्तिगत उत्तरदायित्व / जवाबदेही,
- एकीकृत संचार,
- योजना एवं व्यापक संसाधन संग्रहण, परिनियोजन एवं असंग्रहण,
- सूचना प्रबंधन,
- गतिविधियों का समुचित प्रलेखन,
- मीडिया प्रबंधन एवं
- एजेंसी समन्वयन।

जिला स्तर पर Incident Response System (IRS) के अनुरूप कार्य हेतु Framework

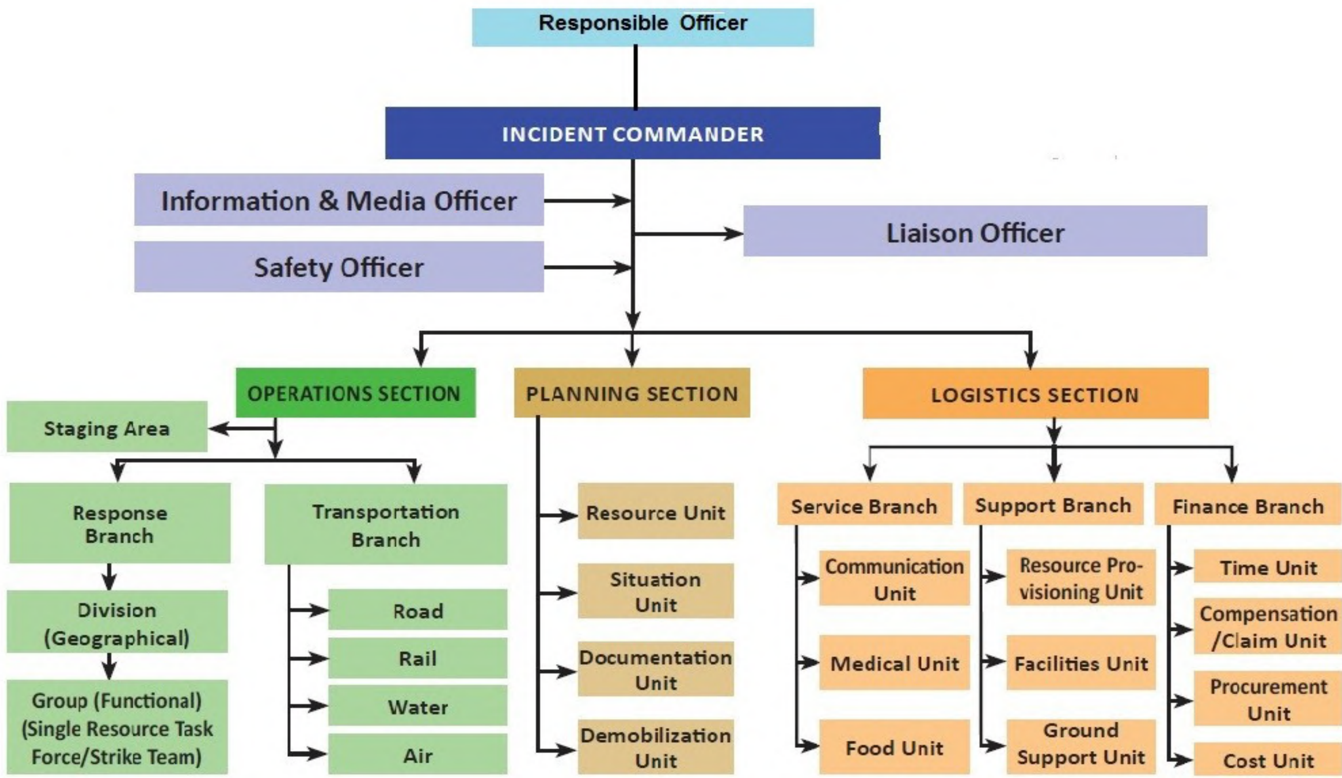

7.1 प्रत्युत्तर प्रक्रिया – आपदा कार्यो के संचालन की जबावदेही जिले के जिलाधिकारी को दी गई है। जिलाधिकारी हीं Incident Commander के रूप में कार्यरत होते है। हादसे से जुड़ी कोई भी गतिविधि वगैर जिलाधिकारी के पूर्वानुमति के आरम्भ नहीं किया जा सकता तथा समापन के उपरान्त मानव बल एवं सामग्री की सलामती की सूचना जिलाधिकारी अर्थात Incident Commander को देकर ही हादसा क्षेत्र से बाहर जाना होता है।

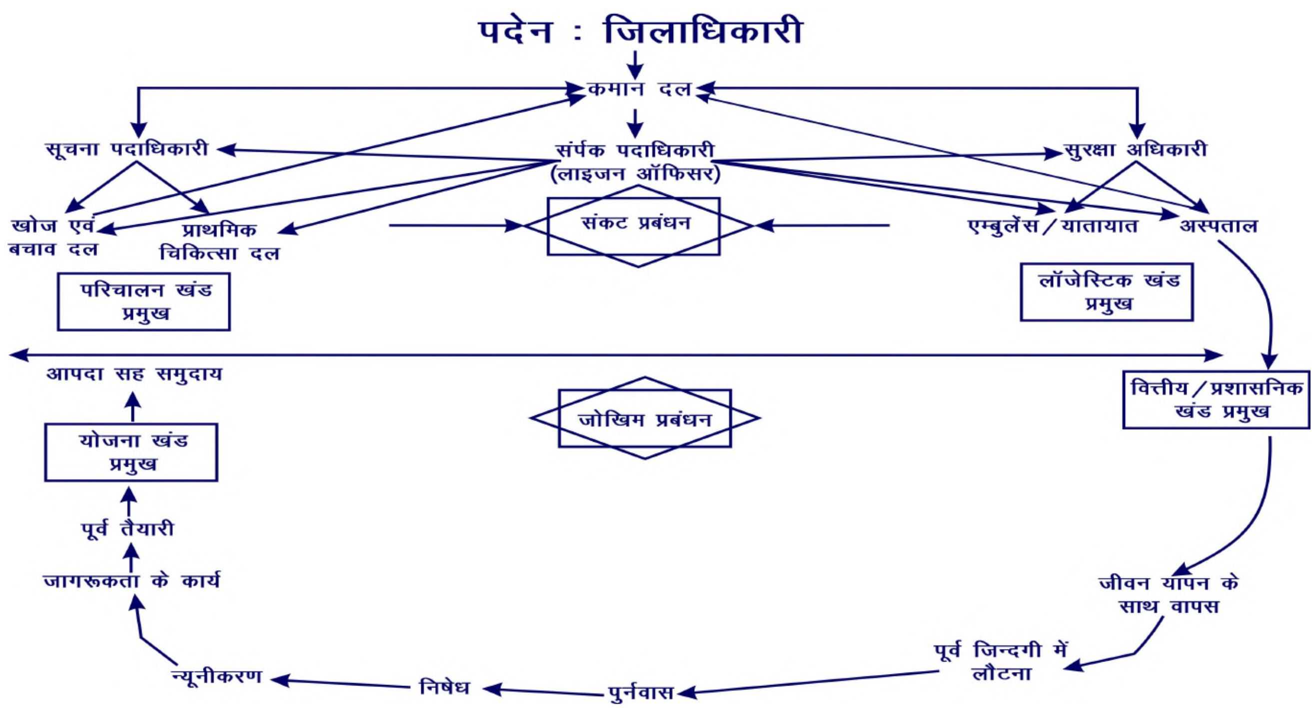

Incident Commander

आवश्यकता के अनुरूप, यदि जिलाधिकारी जरूरी समझे तो, उनके द्वारा किसी वरीय समाहर्त्ता को Incident Commander नियुक्त किया जा सकता है। यदि जिले में आपदा कई जगह हो गयी है तो जिलाधिकारी जिले की गंभीरतम तथा सबसे ज्यादा क्षति वाले हादसा स्थल के कमान अधिकारी होंगे, जबकि अन्य वरीय समाहर्त्ता को दूसरे हादसा स्थल का कमान अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।

ज्यों ही Incident Commander के रूप में जिलाधिकारी या प्रतिनियुक्त वरीय समाहर्त्ता काम करने लगेगें, त्योंही सभी लाईन डिपार्टमेंट तथा गठित नोडल एजेन्सी सीधे Incident Commander के निर्देश में काम करने लगेगी। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हादसा हो जाने की स्थिति में हादसा कमांडर द्वारा क्षेत्राधीन किसी भी संसाधन को आपदा से निपटने में लगाया/आदेशित/प्रतिनियोजित किया जा सकता है। **(आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65 द्रष्टव्य)**

Incident Commander द्वारा अपने अधीन कई गतिविधियों के लिए पदाधिकारी या प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जा सकते है। प्रत्युत्तर के लिए कई प्रकार के दल तैयार किये जाते है उन्हें यथास्थान प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है। ये दल हादसा स्थल पर अपनी पहुँच की सूचना देते हैं, किये गये कार्रवाई की अद्यतन स्थिति की सूचना देते है और कार्य समापन के बाद सही सलामती एवं कार्य समापन की सूचना देने के उपरांत कमांड अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही हादसा स्थल को छोड़ते है।

विभिन्न सहायक प्रभागों के अंतर्गत कार्य संचालन प्रभाग (उपप्रभाग– खोज एवं बचाव, प्राथमिक सहायता), उपस्कर एवं रसद प्रभाग (एम्बुलेंस एवं अस्पताल सेवा, राहत आदि), योजना प्रभाग एवं वित्त सह प्रशासनिक प्रभाग होंगे। ये प्रभाग स्वतः काम पर लग जाएगे। इन प्रभागों के प्रभारी अधिकारी को मात्र Incident Commander ही नियुक्त कर सकता है। ये सभी प्रभाग त्वरित गति से काम करने लग जाएगे।

सहायक प्रभाग/उपप्रभाग के प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति अपर जिला समाहर्त्ता, जिलास्तरीय लाईन डिपाटमेंट के प्रभारी अधिकारी, जिले के वरीय अधिकारी या समकक्ष पदधारक पदाधिकारी के बीच से करेगें। इनकी नियुक्ति के समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अनुमण्डल या प्रखण्ड के सर्वोच्च पदाधिकारियों को इनपदों पर नियुक्त नहीं किया जाए क्योंकि ये ही अपने–अपने स्तर के Incident Commander होते है।

प्रत्येक स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र एक आपातकाल प्रबंधन दल से युक्त होगा ताकि जोखिम न्यूनीकरण के रणनीतियों के अनुरूप त्वरित कार्रवाई वे कर सके।

7.1.1 Incident Commander का दायित्व :

- आपदा के दौरान अबाधित संचार प्रणाली एवं संचार प्रवाह को बनाये रखना तथा उसके एकीकरण की व्यवस्था को भी सुनिश्चित रखना,
- आपदा के सम्पूर्ण परिदृश्य को सामने रखते हुए, इसका पूर्ण प्रबंधन करना, सहयोगी एवं सहभागी इकाईयों के एकीकृत एवं समन्वित योजना का नियंत्रण करना एवं प्रतिवेदन की तैयारी,
- विभिन्न हितधारक विभागों/एजेन्सियों को वो चाहे जिला, राज्य या केन्द्र स्तर के ही क्यों न हो निर्धारित प्रोटोकॉल एवं मानक प्रक्रिया के अन्तर्गत उन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराना ताकि वे अपने कार्यों का निष्पादन सुविधानुरूप कर पाए,
- आपदाओं के दौरान सूचना तंत्र जिसके अन्तर्गत सूचनाओं का आदान–प्रदान शामिल है को इस प्रकार दुरूस्त और नियमित रखना ताकि सभी प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त किया जा सके उन्हें रिकार्ड के तौर पर सुरक्षित रखा जा सके तथा इसके आधार पर स्वीकृति पत्र दिया जा सके,
- आपदा के दौरान खोज एवं बचाव दल को बुलाते हुए उनसे उनके प्रतिनियुक्ति एवं कार्य प्रगति पर सूचना प्राप्त करना,
- राहत शिविर एवं आश्रय स्थल के सम्बन्ध में पूरी जानकारी रखना तथा समयानुसार दिशानिर्देश जारी करना,

- आपातकाल के दौरान समुदाय के प्रभावित लोगो के बीच उपलब्ध राहत सामग्रियों के वितरण हेतु प्रबंधन इस प्रकार करना ताकि जरूरत मन्दो तक यह सामग्री पहुँच जाए,
- आपदा के दौरान सभी प्रकार के सम्पादित कार्यों का अनुश्रवण करना तथा आपदा के उपरांत भी सम्पन्न हुए कार्यों का अनुश्रवण करना तथा इसके संबंध में प्रतिवेदन तैयार रखना,
- Incident Response Commander को स्थिति का जायजा लेने हेतु, आपदा प्रभावित क्षेत्र का आकलन करना/स्थिति की गंभीरता का अनुमान लगाना,
- प्रभावित क्षेत्र में जोखिम का भी पूर्वानुमान करना तथा प्रभावित होने वाले समुदाय को सूचित करना/संदेश देना,
- आपदाओं के वक्त समुदाय के लिए किए जाने वाली आवश्यक कार्यों की सूची बनाना ताकि आपदाओं का शमन पुरी तरह किया जा सके,
- आपदाओं के प्रत्युत्तर हेतु पर्याप्त आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने हेतु आदेश देना तथा उपरोक्त सूची संबंधी सूचना उपयुक्त एजेन्सी/व्यक्तियों को देना ताकि प्रत्युत्तर कारवाई किया जा सके,
- तात्कालिक कार्ययोजना का निर्धारण कर आवश्यक तंत्रों को समुचित निर्देश देना,
- एक प्रारम्भिक तात्कालिक कोर कमिटी बनाना,
- आपदा शमन हेतु जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिन प्रत्युत्तर योजनाओं का निर्धारण हुआ वह किस सीमा तक अपने उद्देश्यों में सफल रहा की समीक्षा, सुधार, बदलाव तथा आवश्यकतानुसार इसे जिले की कार्ययोजना में शामिल करना, एवं
- प्रत्युत्तर के कार्य समापन के उपरांत सभी संलग्न एजेन्सियों से कार्य समाप्ति एवं सलामती का संदेश प्राप्त कर कार्य समापन की अनुमति को स्वीकृति प्रदान करना।

7.1.2 जिला में हितधारकोंएवं उनकी कार्ययोजना : हितधारकों को उनके कार्य के अनुसार तीन श्रेणीयों में रखा जा सकता है – सरकारी, सामुदायिक, निजी तथा स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन।

1. **सरकारी लाईन डिपार्टमेंट:** जिले के लिए निर्धारित सरकारी लाईन डिपार्टमेंट की इकाई जिले में है। जिले में कई योजनाएँ चलायी जाती है। ये योजनाएँ केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों की होती है। जिला आपदा प्रबंधन योजना के अन्तर्गत बनायी गयी पुस्तिकाओं में सभी सरकारी हितधारकों की कार्ययोजनाओं तथा दायित्वों को दर्शाया गया है, ये सरकारी हितधारक/सभी विभाग जिला प्रशासन के प्रति उत्तरदायी बनाए गए है।

2. **समुदाय आधारित समूह :** समुदाय का सीधा संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न टोलों या गाँव में बसे लोगों तथा शहरी क्षेत्रों में विभिन्न मुहल्लों में बसे लोगों से होता है। सामुदायिक समूह इस प्रकार ग्राम पंचायत के प्रति जबावदेह होते है जो सीधे जनता के प्रति जबावदेह होते हैं। चुँकि, ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति से होती हुई जिला परिषद से जुड़ी होती है जो त्रिस्तरीय एकीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत आती है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में स्थापित शहरी निकायों के प्रतिनिधि आपदा की रोकथाम के विभिन्न चरणों में सहयोगी हो सकते है।

3. **स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन :** विभिन्न प्रकार के गैर सरकारी हितधारक/स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन, जिले के लोगो के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक जीवन में उत्थान के लिए लगी हुई है। यह एजेन्सियाँ ग्राम पंचायत से लेकर समाज में रहने वाले विभिन्न समुदायों यथा शहरी/ग्रामीण, विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के हितों के प्रति सचेष्ट रह कर क्रियाशील होती है। ऐसे कई ग्रुप, जो इस जिले में कार्यरत तो हैं, किन्तु अपने इण्टर समूह ग्रुप से एकीकृत नहीं है तथा सीधे जिले के सम्पर्क में है।

4. व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व निर्माण में उपर वर्णित हितधारक अहम भूमिका निभाते है। उनके जीवन की गुणवता, उनकी गरिमाएँ उनका समाजीकरण, राजनीतिकरण, आर्थिक विकास में काफी बदलाव आ जाता है। चुंकि सामाजिक आर्थिक घटकों को इसके अन्दर शामिल करने के फलस्वरूप संवेदनशीलता में कमी आती है, इस कारण भी सारे के सारे हितधारक का जुड़ाव जोखिम न्यूनीकरण से स्वतः हो जाता है।

आपदा से निपटने वाले लोगों का ऐसे समूहों से जुड़ाव होता है। जुड़ाव इस कारण हो जाता है क्योंकि ऐसे हितधारक समूह लोगों की क्षमता वृद्धि में ऐसे लोगों का प्रयोग करते है, अतः वे इनके सम्पर्क में होते है। इनसे आपदा प्रत्युत्तर में भी मदद ली जा सकती है।

ये हितधारक एजेन्सियाँ, आपदा प्रत्युत्तर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा पुर्नस्थापन का प्रयास करती है। अतः उनके कार्यों की भी व्याख्या यहाँ की जाती है। हितधारक एजेन्सियों के लिए दिशा निर्देशिका है। यदि ये हितधारक चाहे तो इससे आगे जाकर भी काम कर सकते है, वहीं और वृहद विकास की योजनाएँ तैयार कर सकते है। वे चाहे तो तत्काल मौजूद आपदा प्रबंधन योजना अपनी जरूरत को ध्यान में रख कर बना सकते है। हितधारकों से अपेक्षा की जाती है कि उनके लिए निर्धारित आदेश के आलोक में वे अपनी कार्ययोजना बनाएँ तथा इसे समुदाय हित में लागू की जाए। जिला आपदा प्रबंधन मार्गनिर्देशिका सर्वसुलभ होना चाहिए ताकि इसका सार्थक उपयोग हो सके। ऐसा करना इस लिए आवश्यक है क्योंकि समय अंतराल में नये हितधारक जिले में आते रहते है।

7.2 आपदा की स्थिति में सामान्य कार्य :

आपदा कि स्थितियों से निपटने के लिये किसी भी आपदा में किए जाने वाले सामान्य कार्य निम्नवत् हो सकते है :–

- पूर्व चेतावनी मिलने पर/आपदा प्रभावित समुदाय से प्राप्त सूचना मिलने पर की स्थिति में जिला के इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा आपदा की तीव्रता का आकलन किया जायेगा। यदि स्थिति असामान्य है तो इससे विभिन्न विभागों एवं सामान्य लोगों को अवगत कराया जायेगा।

(ख) इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा प्रत्युत्तर कार्य हेतु आपदा संचालन मानक प्रक्रिया सक्रिय कर नियमित रूप से 24 घंटे कार्य करने वाले आपातकालीन संचालन केन्द्र को सक्रिय किया जायेगा। इसके लिए तीन शिफ्ट में कार्य करने के लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।

(ग) आपातकालीन संचालन केन्द्र, आपदा से संबंधित उसकी गंभीरता, स्थान, परिभाग आदि के संबंध में सूचना प्रसारित करेगा तथा संबंधित विभागों को इसकी जानकारी देगा। संबंधित विभाग का भी यह दायित्व होगा कि वह इस आशय की सूचना अपने स्वयं से प्रयास कर आपातकालीन संचालन केन्द्र से प्राप्त कर लें।

(घ) यदि ऐसा प्रतीत हो कि आपदा की स्थिति अत्यधिक गंभीर है तो इससे संबंधित जानकारी प्रतिदिन दो बार से ज्यादा भी ली जा सकती है।

(ङ) यदि आपदा का संबंध पड़ोसी जिले/राज्य से है तो वहाँ से इस संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सम्पुष्ट कर लिया जायेगा।

(च) इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा जिला आपदा प्रबंधन समिति (डी॰डी॰एम॰सी॰), आपातकालीन सेवा कार्य (इ॰एस॰एफ॰) में लगी टीम के प्रतिनिधि, आपातकालीन परिचालन केन्द्र (इ॰ओ॰सी॰) के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाकर स्थिति की गंभीरता की समीक्षा, अद्यतन स्थिति तथा आवश्यक कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी।

(छ) आपदा से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में इंसिडेन्ट कमाण्ड दल और संबंधित अधिकारियों को तैयार रहने के लिए सचेत कर दिया जायेगा।

(ज) प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी और आपदा प्रबंधन दल आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्र में पूर्व सूचना, सलाह तथा चेतावनी का प्रचार–प्रसार करेंगे ताकि समुदाय मानसिक तौर पर तैयार हो सके।

(ट) इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा खतरे की गंभीरता की समीक्षा करते हुए तत्काल आपातकालीन परिचालन केन्द्र (ई॰ओ॰सी॰), आपदा प्रबंधन दल, प्रथम प्रत्युत्तर दल तथा आपातकालीन सेवा कार्य आदि को सक्रिय कर दिया जायेगा।

(ठ) सभी प्रकार की आपदाओं में आपदा विशेष से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप राहत, खोज एवं बचाव कार्य, Slow Onset तथा Fast Onset दोनों प्रकार की आपदाओं में प्रारंभ किया जायेगा।

(ड) इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा सूचना प्राप्त कर संतुष्ट हो लेने के बाद आपदा के तत्काल प्रत्युत्तर हेतु सक्षम एजेन्सियों/विभागों को सक्रिय किया जायेगा। इसके अन्तर्गत –

- अपातकालीन संचालन केन्द्र, आपदा प्रबंधन दल, त्वरित रिस्पॉस दल (क्यू॰आर॰टी॰) को तुरंत सक्रिय करना। समुदाय स्तर के त्वरित रिस्पॉस दल और आपदा प्रबंधन दल को तुरंत ही सक्रिय कर डालना। ग्राम पंचायत को सक्रिय करना।
- अपातकालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष एवं प्रभारी के दूरभाष की संख्या बताते हुए स्थानीय आपदा संबंधी सूचनाओं का संवाद शुरू करना ताकि प्रत्युत्तर बेहतर हो सके।
- अपातकालीन संचालन केन्द्र से सूचनाओं की जानकारी एवं निर्देश प्राप्त करना तथा इस क्रम में आपदा प्रबंधन टीम से भी समन्वय एवं संवाद बनाए रखना।
- सूचनाओं का प्रवाह नीचे से उपर तक के पदाधिकारियों तक बनाए रखना।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा अपातकालीन संचालन केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से सभी सूचनाओं की प्राप्ति के बाद विश्लेषण करना तथा तय करना कि आपदा, ग्राम, प्रखण्ड, अनुमंडल या जिला स्तर का है। इससे आपदा की गंभीरता का आकलन हो पाएगा।

(ढ) आपदा की गंभीरता एवं स्तर के निर्धारण के उपरांत :

- यदि आपदा प्रखण्ड स्तरीय हो तो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आपदा प्रत्युत्तर के लिए उत्तरदायी होंगे तथा त्वरित प्रत्युत्तर दल (क्यू॰आर॰टी॰), आपदा प्रबंधन दल (डी॰एम॰टी॰), आपातकालिक समर्थक कार्य (ई॰एस॰एफ॰) और प्रथम प्रत्युत्तर दल (एफ॰आर॰टी॰) आदि के सहयोग से प्रत्युत्तर का कार्य करेंगे।
- प्रभावित अंचल के अंचलाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं अपातकालीन संचालन केन्द्र के नियमित सम्पर्क में रहेंगे तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से समन्वय बनाते हुए प्रत्युत्तर के कार्य करेंगे।
- यदि आपदा की प्रभावकता जिला स्तर की होगी तो :– जिला के वरीय उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन प्रभारी को आपदा प्रत्युत्तर के समन्वय की जबाबदेही होगी। प्रभारी दण्डाधिकारी, अपातकालीन संचालन केन्द्र, जिला आपदा दल, क्यू॰आर॰टी॰, एफ॰आर॰टी॰, कार्य प्रत्युत्तर दल, ई॰एस॰एफ॰ आदि को समन्वित कर कार्य करेंगे।

(ण) इस मौके पर एक संयुक्त समन्वय बैठक बुलाना जिसमें जिला इंटर एजेन्सी ग्रुप के सदस्य (यदि हो तो) तथा अनिवार्य सेवा कार्य दल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह बैठक आपदा प्रभावित इलाके में हो तो ज्यादा बेहतर होगा । इसमें जिले में कार्यरत इंटर एजेन्सी ग्रुप के लोग भी शामिल किए जायेगें ताकि जमीनी हकीकत का पता चल सके। आवश्यकता पड़ने पर प्रान्तीय/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से आवश्यक संसाधन प्राप्त करने हेतु संपर्क किया जायेगा।

(त) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिले के बाहर के एजेन्सियों से प्राप्त होने वाली सहायता के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा तथा बाहर से वैसी ही राहत सामाग्रियां प्राप्त की जायगीं जिनकी जरूरत महसूस हो। इन सामग्रियों का आवश्यकतानुरूप विवरण तैयार कर योजनाबद्ध वितरण एवं आपूर्त्ति की जायेगी।

(थ) सभी आपदा सहायतार्थ इच्छुक एजेंसियां उस जिले के आपदा से संबंधित जरूरत की चीजों की जानकारी जिला प्रशासन से प्राप्त करेंगी तथा उसी अनुरूप सहायतार्थ सामान इस कार्य हेतु चिह्नित पदाधिकारी को सौपेगी।

7.3 प्रत्युत्तर कार्यों का अनुश्रवण :

इस बात की नियमित निगरानी करना कि समाज के दुर्बलतम समूह तक सहयोगी संस्थाओं की नजर जरूर हो तथा वे राहत सहायता से वंचित न रह जाए। यह भी सुनिश्चित करना कि प्रत्युत्तर कार्य सही दिशा में चलाया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इंटर एजेन्सी समूह तथा अन्य हितधारकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का मिलान एवं विश्लेषण कर इसका अभिलेख तैयार करेगा ताकि भविष्य में इसमें हुई खामियाँ को दूर किया जा सके।

- कार्यक्रम का कार्यान्वयन, समय पालन तथा संसाधन का नियमित अनुश्रवण किया जाना।
- हितधारी समूह, प्रभावित लोगों, प्रखण्ड अधिकारी, डी॰एम॰टी॰ आदि से सम्पर्क एवं परामर्श कर आपदा से संबंधित प्रत्युत्तर कार्य को बदलती हुई आपदा परिस्थिति के अनुरूप समन्वय करना।
- प्रभावित समुदाय में किए गए कार्यों के दौरान अनुभवों को संग्रहित करना तथा उन्हें संयुक्त आकलन प्रपत्र में अंकित करना।
- अनुश्रवण से प्राप्त प्रतिवेदन, अनुश्रवण के परिणाम, मूल्यांकन आदि के संबंध में सभी जानकारियाँ, सभी हितधारकों को उपलब्ध करायी जानी चाहिए। इसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाईट पर भी डाला जाना चाहिए ताकि परिणाम सार्थक हो।

○ 7.3.1 संचार एवं पूर्व चेतना प्रणाली (Communication & Early Warning System) :–

आपदा का प्रकार	उत्तरदायी विभाग/एजेसी	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
भूकंप, बाढ़, सुखाड़, अग्नि, चक्रवात, भीड़– भगदड़, आँधी, ओलावृष्टि, सड़क, रेल, नाव दुर्घटना	• जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण • जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र/ राज्य आपातकालीन केन्द्र • जिला पदाधिकारी के समन्वय से संबंधित विभाग। • दूरसंचार निगम, • आकाशवाणी, • दूरदर्शन, • पुलिस बेतार, हैम रेडियो, तथा एच. एफ./भी.एच.एफ. • मोबाईल सेवा प्रदाता/दूरभाष	○ आपदा की पूर्व सूचना का संज्ञान लेना तथा चेतावनी प्रसारित करना। ○ संचार सुविधा की स्थापना तथा प्रबंधन । ○ अस्थाई संचार की आवश्यकता के साथ समन्वय। ○ मौसम विभाग से संपर्क। • बाढ़ आने की सूचना आम जन तक पहुचाना। • तटबंधों के टूटने की सूचना राज्य सरकार को देना। • क्षतिग्रस्त संपर्क पथो को यथासंभव यथाशीघ्र चलायमान बनाने का कार्य। • बाढ़ के कारण ठप पड़ी विद्युत एंव दूरसंचार व्यवस्था का पुनर्स्थापन । • वर्ग एवं समूह चिह्नित करना जिनके माध्यमों से चेतावनी पहुँचाना है।	आपदा की पूर्व सूचना प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र (आपदा घटित होने या टल जाने तक)।
अग्नि	• अग्निसेवा • पुलिस • पंचायत	• अग्निकांड में बचाव में लगे लोग तथा अन्य को जानकारी हासिल कराना तथा पूर्व की तैयारी हेतु बुनियादी काम हेतु प्रयत्न करना।	
सूखा	• आपदा प्रबंधन विभाग/कृषि विभाग	• मौनसून तथा मौसम संबंधी जानकारी।	

7.3.2 कार्यो का निदेशन तथा समन्वय (Operational Direction and Co-ordination) :–

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
• जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	प्राकृतिक एवं मानव जनित	○ आपातकालीन संचालन केन्द्र को सक्रिय करना (24X7 कार्य करने वाले)। ○ जिला आपदा प्रबंधन समिति आपातकालीन सेवा कार्य तथा आपात कालीन संचालन केन्द्र के अधिकारियों / नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा की गंभीरता की समीक्षोपरान्त आवश्यक दिशा निर्देश देना । ○ आपदा से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया को सक्रिय करना। ○ नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करना।	आपदा की पूर्व सूचना प्राप्ति से प्रत्युत्तर कार्य जारी रहने तक।
• अंचलाधिकारी, जिला के वरीय पदाधिकारी। • जिला पदाधिकारी के अनुरोध पर आपदा प्रबंधन विभाग। • जिलाधिकारी के अधियाचना तथा आपदा प्रबंधन विभाग / गृह विभाग की अनुशंसा पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण / गृह मंत्रालय से अनुरोध किया जायेगा। • राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति।	**बाढ़ / भूकम्प**	○ स्थिति की गंभीरता का आकलन। ○ क्षति का प्रारंभिक आकलन। ○ राष्ट्रीय आपदा मोचन दल / राज्य आपदा मोचन दल की माँग। ○ सेना की माँग। ○ हवाई सर्वेक्षण, राहत कार्य व्यवस्था, खोज एवं बचाव तथा निष्क्रमण हेतु ○ मिडिया में प्रकाशित खबरों का सघन अनुश्रवण तथा सत्यापन के उपरांत कार्रवाई। ○ राहत एवं बचाव कार्यो का जिला / प्रखंड / नगर / पंचायत स्तरीय राहत अनुश्रवण सह निगरानी।	
• जिलाधिकारी । • पुलिस ।	**अग्नि**	• भीषण अग्निकांड की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा स्वयं पहुँचकर सहाय्य कार्य को निदेशित करना। ○ कंट्रोल रूम को चालू रखना। ○ अग्नि स्थल को घेरकर रखना तथा जाम एवं भीड़ं को दूर रखना। ○ डिवाईडर वाली सड़कों पर, एक हिस्से से अप एवं डाउन गाड़ी को अवाधित रखना तथा दूसरे हिस्से से एम्बुलेंस एवं अधिकारियों के गाड़ी को तेज गति बनाये रखने की सुविधा देना।	
• जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण / जिला टास्क फोर्स • आपदा प्रबंधन विभाग	**सूखा**	○ अनुश्रवण। ○ सूखा राहत कार्यों में व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र।	

• 7.3.3 खोज, बचाव, राहत कार्य (Search & Rescue Operation) :–

<table>
<tr><th>उत्तरदायी विभाग / एजेंसी</th><th>आपदा का प्रकार</th><th>मुख्य गतिविधियाँ</th><th>पूर्ण करने का समय</th></tr>
<tr><td rowspan="3">• जिला प्रशासन,
• अंचलाधिकारी,
• अग्निशमन दल,
• नागरिक सुरक्षा समिति,
• पुलिस,
• होमगार्ड
• राज्य आपदा मोचन दल,
• राष्ट्रीय आपदा मोचन दल,
• लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
• स्वयंसेवी संगठन
• रेड क्रॉस सोसाइटी
• एन.जी.ओ.
• एवं अन्य हितधारक</td><td rowspan="3">भूकंप, बाढ़, अग्नि, डुबने की घटना, नाव दुर्घटना, भीड़–भगदड़, व्रजपात आदि</td><td>○ खोज एवं निष्क्रमण(Evacuation) करने की पूर्व योजनानुसार सभी उपकरणों के साथ निष्क्रमण दल (Evacuation Team) की आपदा प्रभावित स्थल की ओर रवाना करना।
○ खतरों के बीच घिर गये व्यक्ति, समुदाय संपत्ति को खतरे के दायरे से बाहर निकालने का प्रयास करना। बच्चों, बुढ़ों, महिलाओं, दिव्यागों को प्राथमिकता प्रदान करना।
○ सुरक्षित राहत शिविरों तक पहुँचाना।
○ प्रभावितों के लिए भोजन, पानी, दवा इत्यादि पहुँचाने की व्यवस्था करना।
○ अस्थाई राहत शिविरों की स्थापना।
○ राहत शिविरों में रहने, खाने, पीने का पानी तथा अन्य जीवन रक्षक सुविधा मुहैया कराना।</td><td rowspan="3">आपदा घटित होने के तुरंत बाद से आपदा की समाप्ति / सामान्य स्थिति बहाल होने तक।</td></tr>
<tr><td>• बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नाव का नियोजन, नाव परिचालन पर नियंत्रण (बाढ़ आपदा के दौरान नाव–नाविकों को नियोजित करने संबंधी दिशा निर्देश (देखें परिवहन विभाग का वेबसाईट)
○ बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से आबादी का निष्क्रमण राहत शिविरो तक स्थानान्तरण।
○ बाढ़ पीड़ितों के बीच मुफ्त खाद्यान्न एवं नगद अनुदान के साथ आवश्यकतानुसार सूखा राशन, पोलीथीन शीट का वितरण।
○ राहत शिविरों में अस्थाई शौचालय तथा शुद्ध पेयजल का प्रबंध।
○ तटबंधों के रिसाव या टूट से प्रभावित होने वाली आबादी का तुरंत निष्क्रमण तथा सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरण।</td></tr>
<tr><td>• राहत एवं बचाव कार्य में संलग्न होना।
• मृतक एवं घायल को अनुदान प्रदान करना।
• अग्निकांड स्थल पर पहुँचना, राहत एवं बचाव कार्य।
• सहायता केन्द्र स्थापित करना।
• क्षतिग्रस्त संपत्ति की सूची बनाना।
• अग्निशमन दल तथा उससे संबंधित लोग एवं पदाधिकारी का शीघ्र पहुँचना।</td></tr>
</table>

• कृषि विभाग • आपदा प्रबंधन विभाग / कृषि विभाग • सहकारिता विभाग • वित्त विभाग / कृषि विभाग • सहकारिता विभाग • पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग • समाज कल्याण विभाग • शिक्षा विभाग / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग • ग्रामीण विकास विभाग • आपदा प्रबंधन विभाग	**सूखा**	○ आकस्मिक फसल योजना का युद्धस्तर पर क्रियान्वयन। ○ फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान वितरण। ○ फसल बीमा से आच्छादित फसलों के लिए बीमा लाभ भुगतान। ○ किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को ऋण का वितरण। ○ बैंक ऋणों का पुनर्निधारण। ○ पशु संसाधन की देखभाल ○ सामाजिक सुरक्षा ○ मध्याहन भोजन की व्यवस्था ○ रोजगार सृजन। ○ मुफ्त साहाय्य।	

• 7.3.4 शव एवं मलवा निपटान (Disposial of Dead Bodies & Debris) :–

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
• जिला पुलिस • जिला पशु एवं मत्स्य संसाधन पदाधिकारी।	• शवों का फोटो रखना। • मृत व्यक्तियों की पहचान कर संबंधियों को सौपना। पहचान न होने पर जिम्मेदार कर्मी के देखरेख में धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का पालन करते हुए शव का निपटान। • आपदा के कारण मृत पशुओं के शवो का निर्धारित विभागीय प्रक्रिया के अनुसार निपटान।	शव के खोज समाप्ति तथा मलवा निपटान होने तक।
• नगर निकाय • ग्राम पंचायत • पुलिस प्रशासन • रेड क्रॉस सोसाईटी • स्वयंसेवी संगठन • जिला पशु एवं मत्स्य संसाधन पदाधिकारी	○ आपदा से क्षतिग्रस्त मकान सड़क पुल–पुलिया, जमा ठोस तरल अपशिष्ट का निपटान।	शव के खोज समाप्ति तथा मलवा निपटान होने तक।

★ क्षति आकलन बिहार सरकार के निर्धारित मानक प्रारूप प्रपत्रों में हो तथा प्रभावित प्रखंड, पंचायत, गाँव, जनसंख्या , जनहानि, पशुहानि तथा सरंचनात्मक ढांचे के साथ फसल बाग बगीचे की हानियों को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

★ पीड़ितो को राहत केन्द्र में रहते वक्त यह सुनिश्चित करना कि एक दण्डाधिकारी की नियुक्ति हो जो स्थिति पर तीक्ष्ण दृष्टि रखे और आवश्यक निर्देश दे ताकि सुचारू कानून व्यवस्था बनी रहे।

अध्याय : 8

पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्प्राप्ति

RECONSTRUCTION, REHABILITATION & RECOVERY

आपदायें विध्वंशकारी होती हैं, जिसमें बुनियादी संरचनाएँ नष्ट हो जाती हैं और उससे काम काज में बाधा उत्पन्न होती है। इस घटना में मनुष्यों और पशुओं का भी क्षति होता है। आपदा के टलने के पश्चात् उसकी विभिषिका के अनुसार बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्प्राप्ति की आवश्यकता पड़ती है। इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि उपरोक्त कार्य को सम्पन्न करने के लिये क्षति आकलन के तरीके क्या होगें तथा आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में किस प्रकार पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापन किया जायेगा।

भीषण आपदाओं के दौरान संरचनाओ में व्यापक क्षति होने के कारण अत्यंत संवेदनशील संरचनाये यथा बिजली, सड़क संपर्क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, रोजगार इत्यादि ठप हो जाती है। जीवन–यापन को सामान्य बनाने हेतु पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन द्वारा पुनर्प्राप्ति की आवश्यकता पड़ती है। इन कार्यो को पूरा करने की कार्रवाई प्रारंभ कर इसे पूरा करने में अच्छा खासा संसाधन एवं समय लगता है।

***यूएनआईएसडीआर* द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएँ निम्नवत है :–**

- **पुनर्निर्माण (Reconstruction) :** आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त जीवन प्रदायी संवेदनशील अंतः संरचना सेवा, मकान, जन सुविधा तथा जीविका के साधन जो आपदाग्रस्त किसी समुदाय या समाज के पूर्ववत् क्रियाशील बनाये रखने के लिए आवश्यक हों, की जगह एक मजबूत (Resillient) संरचना का मध्यकालीन या दीर्घकालीन पुनर्निर्माण जो 'टिकाउ विकास' (Sustainable Development) तथा 'पूर्व से बेहतर निर्माण' (Build-Back-Better) की अवधारणा के अनुरूप हो तथा जो भविष्य में आपदा जोखिम न रहे। उसे हम पुनर्निर्माण कहेंगे।
- **पुनर्स्थापन (Rehabilitation) :** किसी समुदाय अथवा समाज के सामान्य क्रियाकलापो के लिए उपलब्ध प्राथमिक जन सुविधा, सेवा जो आपदा से ध्वस्त हो गई हो का त्वरित पुनर्निर्माण को पुनर्स्थापन कहा जायेगा।
- **पुनर्प्राप्ति (Recovery) :** आपदा पीड़ित किसी समुदाय या समाज के जीविकोपार्जन के साधन एवं सवास्थ्य और आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरण से जुड़े संपत्तियों व्यवस्थाओं की स्थिति में सुधार अथवा पुनर्स्थापन जो "पूर्व से बेहतर निर्माण" एवं टिकाउ विकास की अवधारणा के अनुरूप हो तथा जिसे भविष्य में आपदा जोखिम की श्रेणी से बाहर हो, को पुनर्प्राप्ति कहेंगे।

- **पुनर्निर्माण (Reconstruction) :** चूंकि यह एक लम्बी प्रक्रिया है इसलिए यह उचित होगा कि तात्कालीन तथा मध्यकालीन/दीर्घकालीन प्रक्रिया अपनाया जाय। तात्कालीन क्रिया–कलाप में संबंधित दल सर्वप्रथम क्षति का आकलन करेगा। साथ हीं संबंधित ऐजेंसियों के माध्यम से राहत व्यवस्था सनिश्चित किया जा सकेगा। सिविल सर्जन तथा नगर पालिका के माध्यम से आपदा पश्चात् संभावित महामारी की रोकथाम के लिए सभी उपाय किये जायेगें। अति आवश्यक क्षतिग्रस्त ढ़ांचों की मरम्मती हेतु भवन निर्माण विभाग तथा विभिन्न आधारभूत संरचना निकायों की मदद से मरम्मती का कार्य कराया जा सकेगा।

  इसके अलावा मध्यकालीन/दीर्घकालीन कार्य के तहत पक्का निर्माण, सामान्य सुविधा को पुनः बहाल करना, शिक्षण कार्य को बहाल करना, जल एवं स्वच्छता की इकाइयों का निर्माण तथा बिजली की अबाधगति को बहाल करना मुख्य कार्य होगा।

- **पुनर्स्थापन द्वारा पुनर्प्राप्ति (Recovery through Rehabilitation) :** आपदा पश्चात् यह आवश्यक है कि लोगों को कैम्प या अन्य शरण स्थल से वापस उने रहने के नियत स्थल पर वापस भेजा जा सके। इस कार्य हेतु जो कार्य योजना बनायी जायेगी उसमें प्रभावित लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जायेगा। जीविका के संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार की चालू योजनाओं का भी उपयोग किया जायेगा। आपदा में ट्रॉमा से ग्रसित व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सक तथा सलाहकार की व्यवस्था की जायेगी ताकि वह व्यक्ति हादसा से उबरने में सफल हो सके।

8.1 क्षति आकलन (Damage Assessment) : आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या–3601 दिनांक–30.09.2014 के अनुसार "प्राकृतिक आपदा/गैर प्राकृतिक आपदा के मामले में क्षति आकलन हेतु विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी एवं अनुदान स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी का निर्णय जिला दण्डाधिकारी को ही करना है। जिला दण्डाधिकारी अपने अधीनस्थ के बीच शक्ति का प्रत्योजन (Power Delegate) कर सकते है। *खंड–2 में अनुलग्नक–32* पर द्रष्टव्य है।

आपदा के पश्चात् क्षति आकलन मुख्यतः संवेदनशील आबादी, अंतसंरचना, संपत्ति तथा पर्यावरण की ओर केन्द्रित होनी चाहिये तथा प्रत्युत्तर एंव विकास कार्यो से संवेदनशीलता को क्रमशः घटाने में सहायक होना चाहिये। इसे मुख्यतः दो खंड़ों में विभक्त किया जा सकता है।

(क) स्थिति का आकलन

(ख) आवश्यकता का आकलन

स्थिति आकलन में आपदा की तीव्रता तथा प्रभावित आबादी/क्षेत्र पर इसके आघात का आकलन किया जाता है। वहीं आवश्यकता आकलन में प्रभावित आबादी/क्षेत्र के लिए कितना कुछ करना जरूरी है। इसे तय किया जाता है।

क्षति आकलन में आपदा की प्रकृति एवं विस्तार तथा प्रभावित समुदाय खासकर संवेदनशील समुदाय की इस संघात से उबरने के लिए आवश्यकता का आकलन किया जाना चाहिये। तात्कालिक क्षति तथा इसके दीर्घकालिक प्रभाव की भरपाई के लिए संवेदनशील आबादी को अनुदान एवं सार्वजनिक संपत्ति तथा पर्यावरण की क्षति की भरभाई टिकाउ विकास कार्यो द्वारा की जानी चाहिये।

- आपदा क्षति के विभिन्न आयामों में निम्नांकित प्रमुख है –
- मनुष्यों की मृत्यु एवं संपत्ति का विनाश
- आवासीय भवन तथा सार्वजनिक संरचनाओ की क्षति
- जीविका के संसाधनों की क्षति
- पर्यावरण को क्षति
- मनो–सामाजिक संघात

संभाग वार आपदा क्षति आकलन की पद्धति तथा उत्तरदायी एजेंसी –

क्र.सं.	प्रभावित संभाग	पद्धति	उत्तरदायी एजेंसी
1	मानव क्षति	• मृतको के शव की शिनाख्त करने के उपरांत नजदीकी संबंधियो को सौंपना। • अंतिम क्रिया के लिए निर्धारित मानक मानदर का भुगतान। • लावारिस शवों का सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा से अंतिम क्रिया।	समुदाय, मुखिय, वार्ड पार्षद, निकट संबंधी अंचल पदाधिकारी जिला पुलिस द्वारा प्राधिकृत जिम्मेवार नागरिक
2	घायल	• घायलो को राहत शिविर स्थानीय विशिष्ट अस्पताल तक पहुँचाना। • घायलों की समुचित देखभाल तथा चिकित्सा।	पुलिस, चौकीदार, समुदाय, स्वयंसेवी संगठन जिला स्वास्थ्य समिति
3	आधारभूत संरचना	• आपदा के उपरांत सरकारी भवनो में हुई क्षति की मापी भवन निर्माण प्रमंडल के अभियंता लेगे तथा आवश्यक मरम्मती का प्राक्कलन के साथ जिलाधिकारी को समर्पित करेगें।	भवन निर्माण प्रमंडल
4	जीवनदायी संरचनाओं का मरम्मत/पुनर्निर्माण,	• संबंधित विभाग के पदाधिकारी क्षति का फोटोग्राफ तथा मापी के साथ मरम्मति का प्राक्कलन जिलाधिकारी को समर्पित करेगें।	संबंधित विभाग
5	निजी मकान	• निजी मकानो को उनकी बनावट तथा छत की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कर आंशिक क्षति या पूर्णक्षति का ब्योरा एकत्र करना।	अंचलाधिकारी
6	कृषि/	• फसल की पूर्ण क्षति या आंशिक क्षति का आंकड़ा,	प्रखंड कृषि पदाधिकारी

	पशु संसाधन	रकबा एवं भू–मालिकों के व्योरा का संकलन। • पीड़ित व्यक्तियों के पशुओं की क्षति की जानकारी हासिल कर आर्थिक मुल्याकंन करना।	बीमा कम्पनी
7	मेडिकल (भौतिक, मनोवैज्ञानिक)	• चिकित्सा के क्षेत्र में मृतकों एवं घायलों की सूची तैयार कर उन्हें तथा उनके परिवार को समुचित सुविधा मुहैया कराई जायेगी। • आपदा के कारण मानसिक आघात से ग्रसित लोगों की पहचान करना तथा उन्हें मनोचिकित्सक से कांउसलिंग कराया जाए।	सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य समिति
8	जीविका के साधन बहाल करना	• जीविका के साधन या उद्योग धंधे जो आपदा प्रवण क्षेत्र में स्थापित/संचालित हो उनको बीमित करना तथा उनके पुर्नवापसी हेतु आकलन तैयार करना।	बीमा कम्पनी, ग्रामीण विकास संभाग

8.2 पीड़ितो को राहत (Relief to the Victims) : भूकंप, बाढ़, सुखाड़, अग्नि दहन आदि आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को दिये जाने वाले राहत के संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार द्वारा समय–समय पर मार्गदर्शन, स्पष्टीकरण तथा निर्देश निर्गत किये गये है इसका संक्षिप्त विवरण का नीचे उल्लेख करते हुये आपदा प्रबंधन विभाग का संदर्भित पत्र/अधिसूचना इस योजना के साथ अनुलग्नक है।

- वर्ष 2015–2020 तक के लिए दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एस॰डी॰आर॰एफ॰एवं एन॰डी॰आर॰एफ॰) द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर मुहैया कराने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1973 दिनांक 26.05.2015 को निर्गत।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के द्वारा सभी प्रकार की आपदाओं के दौरान स्थापित किये जोन वाले राहत शिविरों में आपदा पीड़ितों के शरण स्थल, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा एवं स्वच्छता के संबंध में राहत उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित न्यूनतम मापदंड़ों के अनुरूप कार्रवाई करने एवं आपदा के दौरान विधवा और अनाथ हो गए लोगों की विशेष व्यवस्था करने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1202 दिनांक 17.03.2016 को निर्गत। राहत केन्द्र के सफल संचालन के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 2493 दिनांक 05.09.2008 को निर्गत।
- पत्रांक 1418 दिनांक 17.04.15 के द्वारा वज्रपात (Lightning) लू (Heat Wave) अतिवृष्टि(सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना (Boat Tragedies) नदियों/तालाबों/गड्ढ़ों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा–सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्रकृति आपदा (Local Disaster) के रूप में अधिसूचित करने एवं इन आपदाओं से होने वाली जानमाल की क्षति में दिनांक 20.03.15 से SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रिया या मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/ अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- पत्रांक 76 दिनांक 12.01.2009 के द्वारा प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक का शव बरामद नहीं होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की मान्यता की प्रक्रिया अधिसूचित की गई है।
- कुछ विशेष परिस्थितियों में अग्निकांड से प्रभावित पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित राहत का प्रावधान किया है–
  - आग से क्षतिग्रस्त दुकान/माल के लिए मुआवजा,
  - अग्निकांड पीड़ितों के लिए विशेष राहत केन्द्र का संचालन,
  - अग्निकांड से होने वाले फसल क्षति के विरूद्ध अनुदान,
  - गैस लीक से अग्निकांड से पीड़ित को अनुदान,
- ओलावृष्टि/चक्रवाती तूफान/भूकंप से प्रभावितो को राहत वितरण के संबंध में अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया गया है।

8.3 आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन (Restoration of Basic Infrastructures) : आधारभूत सरंचना यथा प्रशासनिक भवन, अस्पताल भवन, स्कूल भवन, विद्युत संचार, सड़क संपर्क, दूर संचार, पेयजल आपूर्ति इत्यादि से संबंधित आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन प्राथमिकता के तौर पर किया जायेगा। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग संबंधित कार्यान्वयन एजेसियों को निधि उपलब्ध करायेगी तथा संबंधित एजेंसी युद्ध स्तर पर इसका पुनर्स्थापन सुनिश्चित करेगे।

8.4 जीवन प्रदायी भवनो की मरम्मति (Repair/Reconstruction of Life Line Building) : बाढ़ एवं भूकंप से प्रभावित एवं क्षतिग्रस्त वैसे भवन जो किसी समुदाय अथवा समाज के दैन्दिनी कार्य के लिए अति महत्वपूर्ण हो उन भवनों को यथाशीघ्र मरम्मति कर उपयोग में लाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। आपातकालीन संचालन केन्द्र, अस्पताल तथा राहत शिविरों के लिए उपयोगी भवनों की मरम्मति युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति/पुनर्निर्माण : अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति तथा पुनर्निर्माण इस प्रकार से की जायेगी की वे भविष्य में किसी आपदा के दौरान जोखिम से सुरक्षित हो।

जीविका का पुनर्स्थापन : आपदा के दायरे में पड़ने वाले क्षेत्र के निवासियों के जीविका साधन भी नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। फसल मारी जाती है। पशुपालन के व्यवसाय पर कुप्रभाव पड़ता है। आवागमन प्रभावित होते है। आर्थिक गतिविधियाँ ठप पड़ जाती हैं। ऊर्जा की समस्या कुटीर उद्योग का उत्पादन प्रभावित करती है। इस तरह की कई समस्यायें वहाँ के समुदाय अथवा समाज की जीविका पर आपदाओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे पुनः पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जाने चाहिये तथा प्रभावितों को अनुदान कर्ज, बीमा इत्यादि उपलब्ध कराकर उनके जीविका के साधन को पुनर्स्थापित किया जा सकता है।

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्रक्रिया में वर्तमान में राज्य सरकार के कृषि विभाग, समाज कल्याण, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन तथा ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में तरजीह दी जा सकती है।

चिकित्सीय पुनर्स्थापन : आपदा के संघात से घायल व्यक्ति के जल्द से जल्द स्वस्थ्य होने के लिए हर प्रकार की चिकीत्सीय सहायता उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। कभी–कभी इन हादसो के प्रत्यक्षदर्शी शारीरिक रूप से घायल न भी हो तो भी उन्हें गहरा मानसिक आघात लगता है जिसके चपेट में आने के उपरांत उनका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। वे सामान्य काम–काज करने से असमर्थ पाये जाते हैं। इन मनो–सामाजिक संघातो से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सा का भी समुचित प्रबंध किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

दीर्घकालिक पुनर्वापसी : बहु–आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विगत आपदाओं के दौरान हुई व्यापक क्षति की भरपाई अल्पकालीन पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण के कार्यो से करना संभव नहीं है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दीर्घकालीन पुनर्वापसी की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जायेगा। बड़ी आपदा झेलने के बाद विशेषकर महिलाएँ तथा बच्चे मानसिक त्रासदी से गुजर रहे होते है। ऐसी परिस्थिति में समुदायों को चिह्नित कर मनोवैज्ञानिक 'कॉउसेलिंग' करने की आवश्यकता होगी ताकि उनकी पीड़ा को कम किया जा सके।

= = = = = =

अध्याय : 9

बजट एवं वित्तीय संसाधन

BUDGET & FINANCIAL RESOURCE

गोपालगंज जिला आपदा प्रबंधन योजना के अंतगर्त बहु–आपदा जोखिम में कमी लाने हेतु पूर्व तैयारियों की आवश्यकता है, साथ हीं इनके प्रभावों को कम करने के लिए न्यूनीकरण का सतत् प्रयास किया जाना है। इसके अलावा आपदा घटित हो जाने पर प्रशासन को ढेर सारी प्रत्युत्तर (रिस्पाँस) कार्य करना होता है। इन सभी परिस्थितियों में वित्त की आवश्यकता होगी। इस हेतु निधि के कौन–कौन से संभाव्य तरीके हो सकते है जिसकी पहचान करने की जरूरत है। इस अध्याय में विभिन्न कार्य–कलापों हेतु, निधि के श्रोत के बारे में उल्लेख किया गया है।

9.1 अधिनियम में प्रावधान : आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा–48 में इस बात का उल्लेख है कि राज्य सरकार द्वारा निधियों की स्थापना की जायेगी। धारा –48(1) के अनुसार राज्य सरकार, "जिला प्राधिकरणों............ के लिए निम्नलिखित निधियों की स्थापना करेगी"– (ख) जिला आपदा मोचन निधि; (घ) जिला आपदा शमन निधि। उसी प्रकार धारा–48(2) में वर्णन है कि उपधारा–(1) के खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन स्थापित निधियाँ जिला प्राधिकरण को उपलब्ध है।

9.2 विभिन्न निधि स्त्रोत : इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (फंड) तथा राज्य स्तर पर राज्य आपदा मोचन निधि(फंड) का प्रावधान किया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर आपदा न्यूनीकरण निधि(फंड) का प्रावधान का जिक्र है। इन निधियों से 'रिस्पॉस एवं मिटिगेशन' कार्यों हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकेगा। उपरोक्त कार्यो के लए अधिनियम में जिला स्तर पर भी निधि जारी करने का प्रावधान रखा गया है।

इसके अतिरिक्त बिहार सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आपदाओं हेतु तय की गयी क्षतिपूर्ति राशि (मानदर 2015–20) को अपनाया है जिससे भुगतान किया जाता है। 14वीं वित्त आयोग के निदेश के अनुरूप राज्य सरकार ने कुछ स्थानीय आपदाएँ घोषित कर रखी है जिस हेतु 'रिस्पॉस फंड' में प्राप्त कुल राशि 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति खर्च में उपयोग किया जा सकता है।

आपदा के प्रभाव को कम करने हेतु प्रधानमंत्री राहत कोष तथा मुख्यमंत्री राहत कोष से भी निधि उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही आपदा के उपरांत पुनर्निर्माण प्रक्रिया में यदा–कदा स्थानीय सांसदो हेतु उपलब्ध (प्रति सांसद/प्रतिवर्ष 5 करोड़ रूपये) निधि का भी उपयोग किया जा सकता है।

आपदा प्रबंधन योजना के तहत् निम्नलिखित शीर्षो में निधि की आवश्यकता पड़ सकती है। वे है –

- आधारभूत संरचना का निर्माण
- आवर्ती गतिविधियाँ
- खोज बचाव व राहत उपकरण की आपूर्ति एवं स्थापन
- मरम्मत एवं रखरखाव
- स्थापना खर्च ।

9.3 केन्द्रीय/राज्य योजना एवं गैर योजना कार्यक्रम (Central Govt. Plan & Non Plan Schemes) :–

क्र. सं.	संपोषित योजना का नाम	आपदा शमनीकरण कार्य में उपयोग होने वाली राशि	लागू करने वाल विभाग/संभाग/एजेंसी
1	**कृषि रोड मैप**	इसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के चलते होने वाली फसलों पर असर तथा उसमें लाये जाने वाली बदलाव के कार्य को बढ़ावा दिया जा सकता है।	कृषि विभाग
2	**मनरेगा**	• पंचातय स्तर तक आधारभूत संरचना खड़ी करना एवं विभिन्न विभागों के काम का अभिमुखीकरण (Convergence)। इस निधि से पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन आदि गतिविधियों के कार्य किये जा सकते है।	ग्रामीण विकास एंव पर्यावरण एवं वन

		• सामाजिक वानिकी।	
3	**सात निश्चय कार्यक्रम**	गली–नाली का स्थापन एंव हर घर नल का जल अंतगर्त पाईप से पानी की आपूर्त्ति।	ग्रामीण विकास, पंचायत राज एवं पेयजल एवं स्वच्छता
4	**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना**	फसल क्षति होने पर किसान कुछ विनित राशि देकर क्षतिपूर्ति पा सकते हैं।	कृषि विभाग
5	**बिहार राज्य फसल सहायता योजना**	20 प्रतिशत या उससे अधिक फसल क्षति होने पर किसानों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि।	सहकारिता
6	**शताब्दी अन्न कलश योजना–2011**	निर्धन, बुढ़े, विधवा, निराश्रित को सहायता।	आपदा प्रबंधन/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
7	**बिहार संकटग्रस्त किसान सहायता योजना**	आपदा की स्थिति में फसल के बर्बाद होने के कारण छोटे किसानों या बटाईदारों द्वारा मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या करने पर उनके परिवारों को अनुग्रह अनुदान एवं अन्य लाभ प्रदान करना।	आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार
8	**दीनदयाल अंत्योदय योजना जीविका**	महिला सशक्तिकरण । स्वयं सहायता समूह के द्वारा लोगो को संबल बनाना।	ग्रामीण विकास विभाग, (रूरल लाईवलीहुड मिशन)
9	**आंगनवाड़ी**	इस माध्यम से छोटे बच्चे को तथा गर्भवती महिलाओं को पौश्टिक आहार उपलब्ध कराना।	कल्याण –आई.सी.डी.एस.
10	**लोहिया स्वच्छ बिहार योजना**	इस योजना के तहत ग्रामीण इलाको में सामुहिक व्यवहार परिवर्तन तथा स्वच्छता विषयक सुरक्षित आचार्य सुनिश्चित करने हेतु समुदाय स्तर पर प्रयत्न।	ग्रामीण विकास विभाग
11	**राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम**	पंचायत स्तर तक शुद्ध पेयजल हेतु संरचना निर्माण का स्थापन।	पेयजल एवं स्वच्छता
12	**राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन**	चिकित्सालयों का निर्माण।	जिला स्वास्थ्य समिति
13	**मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम**	शिक्षक, स्कूली बच्चों आदि को आपदा जोखिम के विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित करना।	शिक्षा विभाग तथा बिहार शिक्षा परियोजना
14	**सर्व शिक्षा अभियान**	स्कूल तथा उसमें शौचालय एंव चापाकल स्थापन।	शिक्षा विभाग तथा बिहार शिक्षा परियोजना
15	**प्रधानमंत्री सिंचाई योजना**	सुखाड़ के दौरान सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना।	जल संसाधन
16	**आशा कार्यकर्त्ता**	गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं उनके स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सीय जरूरत पूरी करना।	जिला स्वास्थ्य समिति
17	**मिड–डे–मील योजना**	स्कूली बच्चों को मध्याहन भोजन उपलब्ध कराना।	मिड–डे–मील जिला कार्यक्रम
18	**प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण**	गरीबों के लिए (आपदा क्षति के तहत) आवास उपलब्ध कराना।	
19	**सांसद आदर्श ग्राम योजना**	सांसदो द्वारा अपने क्षेत्र के तीन गॉव को 2019 तक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना तथा 05 गॉवों का 2024 तक विकसित करना।	ग्रामीण विकास विभाग
20	**सड़क सुरक्षा निधि**	राज्य द्वारा विभिन्न वाहनों से कर/दंड शुल्क का कुछ अंश जिले में सड़क दुर्घटना के शमनीकरण हेतु उपयोग।	परिवहन विभाग
21	**चौदहवी वित्त**	प्राप्त निधि में से क्षमतावर्द्धन तथा स्थानीय आपदा	आपदा प्रबंधन विभाग

	आयोग(2015–20)	हेतु क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराना।	
22	**पांचवी राज्य वित्त आयोग(2015–20)**	पंचायत एवं स्थानीय निकाय के विकास हेतु उपलब्ध निधि से आपदा शमनीकरण का उपयोग।	पंचायती राज/नगर पालिका
23	**आपदा मोचन (Responce) निधि**	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा–48(1) एवं (2) के अनुरूप उपलब्धता।	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
24	**जिला आपदा शमन (Mitigation) निधि**	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा–48(1) एवं (2) के अनुरूप उपलब्धता।	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
25	**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम**	गरीबों को अनाज मुहैया कराना।	खाद्य एवं आपूर्ति

9.4 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदओंसे प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के लिए निर्धारित साहाय्य मानदर।

पत्रांक 1प्रा0आ0–17/2015/1973/आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक– 26/5/15

विषयः **वर्ष 2015–2020 तक के लिए दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं (Local Disasters) से प्रभावित व्यक्तियों/ परिवारों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एस0डी0आर0एफ0 एंव एन0डी0आर0एफ0) द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप साहाय्य मुहैय्या कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन डिविजन), जयसिंह रोड, नई दिल्ली के पत्रांक 32–7/2014–एन0डी0एम0–1 दिनांक–08.04.2015 के द्वारा राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (एस0डी0आर0एफ0) तथा नेशनल डिजास्टर रिस्पौंस फंड (एस0डी0आर0एफ0) से वर्ष 2015–2020 तक अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं तथा राज्य सरकार के अधिसूचना संख्या 1418 दिनांक–17.04.15 द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं (Local Disasters) से प्रभावित परिवारों के बीच साहाय्य वितरण हेतु मदों की सूची तथा मानदर निर्धारित किया गया है। इसमें माह फरवरी एवं मार्च 2015 में ओलावृष्टि से फसल क्षति को भी सम्मिलित करते हुए नये मानदर के अनुसार अनुमान्य भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।

2. उपर्युक्त संशोधित मानदर पर राज्य कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 32–7/2014–एन0डी0एम0–1 दिनांक–08.04.2015 द्वारा निर्धारित निम्नांकित सहाय्य मानदर को दिनांक 01.04.2015 से राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। ***यह मानदर दिनांक 01.04.2015 तथा उसके उपरान्त घटित प्राकृतिक आपदाओं तथा माह फरवरी एवं मार्च 2015 में ओलावृष्टि से फसल क्षति के लिए लागू होगा।***

D:\2015\Mandar 2015\New Mandar letter 2015-2020 (With English).doc

Page 1

	(घ) जिन परिवारों का वस्त्र एवं बर्तन/घरेलु सामान बह गया हो/ पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुआ हो/ गंभीर रूप से एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जलप्लावित रहा हो।	**₹ 1,800.00 प्रति परिवार वस्त्र की क्षति के लिए** **₹ 2,000.00 प्रति परिवार वर्त्तन/घरेलु सामान की क्षति के लिए**
	e) Gratuitous relief for families whose livelihood is seriously affected.	**Rs.60** per adult and **Rs. 45** per child, not housed in relief camps. State Govt. will certify that (i) these persons have no food reserve, or their food reserves have been wiped out in the calamity, and (ii) identified beneficiaries are not housed in relief camps. Further State Government will provide the basis and process for arriving at such beneficiaries district-wise. Period for providing gratuitous relief will be as per assessment of the State Executive Committee (SEC) and the Central Team (in case of NDRF). The default period of assistance will upto to 30 days, which may be extended upto 60 days in the first instance, if required, and subsequently upto 90 days in case of drought/ pest attack. Depending on the ground situation, the State Executive committee can extend the time period beyond the prescribed limit subject to that expenditure on this account should not exceed 25 % of SDRF allocation for the year.
	(ड़) प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् अति जरूरतमंद परिवारों को तत्काल अनुग्रह अनुदान।	**₹ 60.00 प्रति व्यस्क एवं ₹ 45.00 प्रति बच्चा जो राहत शिविर में नहीं है।** राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित किया जाएगा कि चिन्हित लाभार्थी राहत शिविर में नहीं रहे हैं। साथ ही, राज्य सरकार वैसे लाभार्थियों तक जिलावार पहुँचने के लिए आधार एवं प्रक्रिया तय करेगी। ➢ अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने की समय सीमा एस0डी0आर0एफ0 के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा तथा एन0डी0आर0एफ0 के लिए केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार तय होगी। ➢ सामान्य स्थिति में सहायता 30 दिनों के लिए दिया जा सकता है जिसे जरूरत पड़ने पर पहली बार 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है तथा सूखा/ कीट आक्रमण के मामले में आवश्यकतानुसार इसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य कार्यकारिणी समिति समय सीमा में वृद्धि किया जा सकता है। परन्तु कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 25 % से अधिक नहीं होना

		चाहिए।
2	**SEARCH & RESCUE OPERATIONS / खोज एवं बचाव कार्य**	
	(a) Cost of search and rescue measures/ evacuation of people affected/ likely to be affected	As per actual cost incurred, assessed by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF). - By the time the Central Team visits the affected area, these activities are already over. Therefore, the State Level Committee and the Central Team can recommend actual/near-actual costs.]
	(क) खोज एवं बचाव उपायों की लागत/आपदा प्रभावित/आपदा प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों का निष्कासन।	वास्तविक खर्च के अनुरूप। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा आकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जाएगा। ➢ जिस समय केन्द्रीय दल द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया जाता है उस समय सहाय्य संबंधी गतिविधियाँ समाप्त हो चुकी होती है। इसलिए राज्य स्तरीय समिति और केन्द्रीय दल वास्तविक/लगभग वास्तविक लागत की अनुशंसा कर सकते हैं
	(b) Hiring of boats for carrying immediate relief and saving lives.	As per actual cost incurred, assessed by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF). The quantum of assistance will be limited to the actual expenditure incurred on hiring boats and essential equipment required for rescuing stranded people and thereby saving human lives during a notified natural calamity.
	(ख) जीवन रक्षा एवं तत्काल राहत पहुँचाने हेतु भाड़े के नाव की व्यवस्था	वास्तविक लागत के अनुरूप। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा आकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जाएगा। ➢ सहाय्य की मात्रा आपदा में फसे लोगों के निष्कासन तथा उनके जीवन रक्षा के लिए नाव के भाड़े एवं आवश्यक सामग्रियों पर वास्तविक व्यय तक सीमित होगी।
3	**RELIEF MEASURES/ राहत कार्य**	
	a) Provision for temporary accommodation, food, clothing, medical care, etc. for people affected/ evacuated and sheltered in relief camps.	As per assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF), for a period up to 30 days. The SEC would need to specify the number of camps, their duration and the number of persons in camps. In case of continuation of a calamity like drought, or

		widespread devastation caused by earthquake or flood etc., this period may be extended to 60 days, and upto 90 days in cases of severe drought. Depending on the ground situation, the State Executive committee can extend the time period beyond the prescribed limit subject to that expenditure on this account should not exceed 25 % of SDRF allocation for the year. Medical care may be provided from National Rural Health Mission (NRHM).
	(क) आपदा प्रभावित / निष्कासित / राहत शिविरों में आश्रय लिए लोगों के लिए अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्रा, चिकित्सा सेवा आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था।	30 दिनों तक के लिए एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा आकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जाएगा। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा राहत शिविरों की संख्या, उनकी अवधि एवं शिविर में लोगों की संख्या निर्दिष्ट किया जाएगा। सूखे की तरह निरंतर आपदा की स्थिति / भूकम्प / बाढ़ से बड़े पैमाने की तवाही की स्थिति में सहाय्य की अवधि 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है तथा गंभीर सूखे के मामले में 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा समय सीमा में वृद्धि किया जा सकता है। परन्तु कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 25 % से अधिक नहीं होना चाहिए। चिकित्सा सुविधा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0) द्वारा दिया जा सकता है।
	b) Air dropping of essential supplies	As per actual, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF). - The quantum of assistance will be limited to actual amount raised in the bills by the Ministry of Defence for airdropping of essential supplies and rescue operations only.
	(ख) आवश्यक राहत सामग्रियों का वायुयान के माध्यम से वितरण।	➢ एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा । ➢ सहायता की मात्रा (Quantum) सिर्फ आवश्यक आपूर्ति हेतु air dropping और सिर्फ बचाव कार्य में प्रयुक्त वायुसेना / अन्य एयरक्राफ्ट प्रदान करने वाले के वास्तविक बिल तक ही सीमित रहेगी।
	c) Provision of emergency supply of drinking water in rural areas and urban areas	As per actual cost, based on assessment of need by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF), up to 30 days and may be extended upto 90 days in case of drought. Depending on the ground situation, the State Executive committee can extend the time

D:\2015\Mandar 2015\New Mandar letter 2015-2020 (With English).doc

Page 5

		period beyond the prescribed limit subject to that expenditure on this account should not exceed 25 % of SDRF allocation for the year.
	(ग) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक पेय जलापूर्ति	एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा । 30 दिनों के लिए और सूखे की स्थिति में 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा समय सीमा में वृद्धि किया जा सकता है। परन्तु कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 25 % से अधिक नहीं होना चाहिए।
4	**CLEARANCE OF AFFECTED AREAS/ प्रभावित क्षेत्रों की सफाई**	
	a) Clearance of debris in public areas.	As per actual cost within 30 days from the date of start of the work based on assessment of need by SEC for the assistance to be provided under SDRF and as per assessment of the Central team for assistance to be provided under NDRF
	(क) सार्वजनिक क्षेत्रों में मलवा की सफाई	सहाय्य की मात्रा 30 दिनों के अन्तर्गत हुए वास्तविक खर्च के अनुरूप होगी। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा ।
	b) Draining off flood water in affected areas	As per actual cost within 30 days from the date of start of the work based on assessment of need by SEC for the assistance to be provided under SDRF and as per assessment of the Central team(in case of NDRF).
	(ख) बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जल की निकासी	सहाय्य की मात्रा 30 दिनों के अन्तर्गत हुए वास्तविक खर्च के अनुरूप होगी। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा ।
	c) Disposal of dead bodies/ Carcases	As per actual, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF).
	(ग) मानव शवों / एवं मृत पशुओं का निष्पादन।	वास्तविकता के अनुरूप एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा ।
5	**AGRICULTURE/ कृषि**	
(i)	**Assistance farmers having landholding upto 2 ha ./ 2**	

	हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि धारक कृषकों को साहाय्य।	
I	**Assistance for land and other loss/ भूमि एवं अन्य क्षति हेतु सहाय्य**	
	a). De-silting of agricultural land (where thickness of sand/ silt deposit is more than 3", to be certified by the competent authority of the State Government.)	**Rs. 12,200/-** per hectare for each item. (Subject to the condition that no other assistance/ subsidy has been availed of by/ is eligible to the beneficiary under any other Government Scheme)
	b) Removal of debris on agricultural land in hilly areas	
	c) De-silting/ Restoration/ Repair of fish farms	
	(क) कृषि योग्य भूमि का डिसिल्टिंग (जहाँ बालू/सिल्ट का जमाव 3 इंच से अधिक हो और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा सत्यापित हो)	₹ 12,200.00 प्रति हेक्टर प्रत्येक मद के लिए (बशर्ते कि किसी सरकार के किसी अन्य योजना द्वारा सहायता पाने योग्य न हों या सहायता / सब्सिडी न प्राप्त कर लिया हो)
	(ख) पहाड़ी क्षेत्रों के कृषि योग्य भूमि से डेबरिस (मलवा) हटाने के लिए	
	(ग) मछली फार्मों का डिसिल्टिंग/ पुनर्स्थापना/ मरम्मति	
	d) Loss of substantial portion of land caused by landslide, avalanche, change of course of rivers.	**Rs. 37,500/-** per hectare to only those small and marginal farmers whose ownership of the land is legitimate as per the revenue records.
	(घ) भूस्खलन/बर्फ का पहाड़ से खिसकना, नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण भूमि के बड़े हिस्से की क्षति।	₹ 37,500.00 प्रति हेक्टर सहायता उन्हीं लघु एवं सीमांत कृषकों को प्रदान किया जाएगा, जो राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रभावित भूमि के वैध मालिक हैं।
B	**Input subsidy (where crop loss is 33% and above)/ इनपुट सब्सिडी (जहाँ फसल क्षति 33%) या उससे अधिक हुआ हो।)**	
	a) For agriculture crops, horticulture crops and annual plantation crops	**Rs. 6,800/-** per ha. in rainfed areas and restricted to sown areas . **Rs. 13,500/-** per ha. in assured irrigated areas, subject to minimum assistance not less than Rs.1000 and restricted to sown areas.
	(क) कृषि फसल/ रोपने वाले फसल (Horticulture crops) एवं वार्षिक वृक्षारोपण वाले फसल आदि के लिए	₹ 6,800/– प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए। बुआई वाले क्षेत्र तक सीमित। ₹ 13,500/– प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए। बुआई वाले क्षेत्र के लिए साहाय्य राशि 1000/–रू0 से कम नहीं दी जाएगी ।

	b) Perennial crops	**Rs. 18,000/-** ha. for all types of perennial crops subject to areas being sown and subject to minimum assistance not less than Rs 2000/- and restricted to sown areas
	(ख) शाश्वत फसल (Perennial crops) के लिए	₹ 18,000/– प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत) फसल के लिए। बुआई वाले क्षेत्र के लिए साहायय राशि 2000/–रू0 से कम नहीं दी जाएगी । बुआई वाले क्षेत्र तक सीमित।
	c) Sericulture	**Rs. 4,800/-** per ha. for Eri, Mulberry, Tussar **Rs. 6,000/-** per ha. for Muga.
	(ग) सेरीकल्चर (रेशम) के लिए	₹ 4,800/– प्रति हेक्टेयर "इरी" "मलवेरी" एवं "तसर" के लिए ₹ 6,000/– प्रति हेक्टेयर मूंगा के लिए
(ii)	**Input subsidy to farmers having more than 2 ha of landholding.**	**Rs.6,800/-** per hectare in rainfed areas and restricted to sown areas. **Rs.13,500/-** per hectare for areas under assured irrigation and restricted to sown areas **Rs. 18000/-** per hectare for all types of perennial crops and restricted to sown areas - Assistance may be provided where crop loss is 33% and above, subject to a ceiling of 2 ha. per farmer.
(ii)	कृषकों को कृषि इनपुट सब्सिडी जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि उपलब्ध हो।	₹ 6,800/– प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए। ₹ 13,500/– प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए। ₹ 18,000/– प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत) फसल के लिए। 33 % एवं अधिक फसल क्षति होने पर 2 हेक्टेयर प्रति कृषक।
6	**ANIMAL HUSBANDRY - ASSISTANCE TO SMALL AND MARGINAL FARMERS/ पशुपालन – लघु एवं सीमान्त कृषकों को सहायता**	
	i) Replacement of milch animals, draught animals or animals used for haulage.	***Milch animals -*** **Rs.30,000/-** Buffalo/ cow/ camel/ yak/Mithun etc. **Rs.3,000/-** Sheep/ Goat/Pig

		Draught animals - **Rs.25000/-** Camel/ horse/ bullock, etc. **Rs.16,000/-** Calf/ Donkey/ Pony/ Mule - The assistance may be restricted for the actual loss of economically productive animals and will be subject to a ceiling of 3 large milch animal or 30 small milch animals or 3 large draught animal or 6 small draught animals per household irrespective of whether a household has lost a larger number of animals. (The loss is to be certified by the Competent Authority designated by the State Government). ***Poultry:-*** Poultry **@ 50/- per bird** subject to a ceiling of assistance of **Rs 5000/-** per beneficiary household. The death of the poultry birds should be on account of a natural calamity. *Note:* - Relief under these norms is not eligible if the assistance is available from any other Government Scheme, e.g. loss of birds due to Avian Influenza or any other diseases for which the Department of Animal Husbandry has a separate scheme for compensating the poultry owners.
	i) अदुग्धकारी/ दुग्धकारी या ढुलाई के कार्यों में उपयोग में आने वाले पशुओं का प्रतिस्थापन।	दूध देने वाला जानवर भैंस/गाय/ऊँट/याक/मिथुन इत्यादि ₹ 30,000/- की दर से भेंड़/बकरी ₹ 3,000/- की दर से अदुग्धकारी जानवर ऊँट/घोड़ा/बैल इत्यादि ₹ 25,000 की दर से बछड़ा/गदहा और टट्टू ₹ 16,000 की दर से सहाय्य आर्थिक रूप से उत्पादक जानवरों की वास्तविक क्षति के अनुसार सीमित होगी और यह 3 बड़े अदुग्धकारी जानवर या 30 छोटे अदुग्धकारी जानवर या 3 बड़े अदुग्धकारी जानवर या 6 छोटे अदुग्धकारी जानवर प्रति परिवार तक सीलिंग के अंतर्गत होगी। चाहे जानवरों की क्षति की संख्या बड़ी क्यों न हो (क्षति राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाएगी) पॉल्ट्री ₹ 50/– प्रति चिड़ियों की दर से यह सहायता प्रत्येक लाभुक परिवारों को 5000/– रू0 की अधिकतम सीमा

		के अंतर्गत। पॉल्ट्री चिड़ियों की मृत्यु प्राकृतिक आपदा के कारण होने पर अनुदान देय होगा। **टिप्पणीः–** इन मानदरों के अंतर्गत सहाय्य अनुमान्य नहीं होगा यदि किसी अन्य सरकारी योजना यथा चिड़ियों की क्षति पक्षी इन्फ्लुएंजा के कारण या किसी अन्य बीमारियों के कारण हुई हो जिसके लिए पशुपालन विभाग द्वारा पॉल्ट्री मालिको को क्षति पूर्ति करने हेतु कोई अलग योजना हो।
	ii) Provision of fodder / feed concentrate water Supply and medicines in cattle camps.	Large animals- **Rs. 70/-** per day Small animals- **Rs. 35/-** per day, Period for providing relief will be as per assessment of the State Executive Committee (SEC) and the Central Team (in case of NDRF). The default period for assistance will be upto 30 days, which may be extended upto 60 days in the first instance and in case of severe drought up to 90 days. Depending on the ground situation, the State Executive Committee can extend the time period beyond the prescribed limit, subject to the stipulation that expenditure on this account should not exceed 25% of SDRF allocation for the year. Based on assessment of need by SEC and recommendation of The Central Team, (in case of NDRF) consistent wih estimates of cattle as per Livestock Census and subject to the certificate by the competent authority about the requirement of medicine and vaccine being calamity related.
	ii) पशु शिविरों में पशुचारा/feed concentrate सहित जलापूर्ति एवं औषधि हेतु।	बड़ा पशु ₹ 70/– प्रतिदिन की दर से । छोटा पशु ₹ 35/– प्रतिदिन की दर से । साहाय्य प्रदान करने हेतु समय सीमा राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा एवं केन्द्रीय दल द्वारा (एन0डी0आर0एफ0 से सहायता हेतु) आंकलन किया जाएगा। सहायता के लिए सामान्य अवधि 30 दिनों की होगी जिससे पहली बार में 60 दिनों तक एवं गंभीर सूखे की स्थिति में 90 दिनों तक विस्तारित किया जा सकता है। जमीनी स्थिति के आधार पर राज्य कार्यकारिणी समिति समय सीमा का अवधि विस्तार कर सकती है। कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा जरूरत के आकलन एवं केन्द्रीय दल की सिफारिश (एन0डी0आर0एफ0 के मामले

		में) पशुधन की गणना के अनुसार एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र के अनुसार आवश्यक दवा एवं टीकाकरण संबंधित आपदा के अनुरूप दिया जायेगा।
	iii) Transport of fodder to cattle outside cattle camps	As per actual cost of transport, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF) consistent with estimates of cattle as per Livestock Census.
	iii) पशु शिविर के बाहर पशुचारे का परिवहन	वास्तविक परिवहन लागत के अनुरूप, राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा अनुशंसा किया जाएगा । यह अनुदान पशु गणना के आकलन पर आधरित होगा।
7	**FISHERY/ मत्स्य पालन**	
	i) Assistance to Fisherman for repair / replacement of boats, nets – damaged or lost -- Boat -- Dugout-Canoe -- Catamaran -- net (This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible or has availed of any subsidy/ assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme.)	**Rs. 4,100/-** for repair of partially damaged boats only **Rs.2,100/-** for repair of partially damaged net **Rs.9,600/-** for replacement of fully damaged boats **Rs.2,600/-** for replacement of fully damaged net
	(i) मछुआरों के लिए नाव, जाल, आदि का मरम्मती / पुर्नस्थापन– क्षतिग्रस्त या खो जाने पर – • नाव • डोगी • कटमरैन • जाल (यदि लाभुक सरकार के किसी अन्य योजना के तहत अच्छादित है तो उन्हें यह सहायता नहीं दिया जायेगा।)	₹ 4,100/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नाव के लिए ₹ 2,100/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जाल के लिए ₹ 9,600/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त नाव के प्रतिस्थापन के लिए ₹ 2,600/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त जाल के प्रतिस्थापन के लिए

	ii) Input subsidy for fish seed farm	**Rs. 8,200** per hectare. (This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible or has availed of any subsidy/ assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme, except the one time subsidy provided under the Scheme of Department of Animal; Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture.)
	(ii) मछली जीरा फार्म के लिये इनपुट सब्सिडी	₹ 8,200/- प्रति हेक्टर (यदि लाभुक सरकार के किसी अन्य योजना के तहत अनुदान/सहायता प्राप्त कर लिए है तो उन्हें यह सहायता नहीं दिया जायेगा। अपवाद –यदि किसी ने एक बार पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय के योजना के तहत एक बार अनुदान प्राप्त किया है।)
8	**HANDICRAFTS/HANDLOOM – ASSISTANCE TO ARTISANS/** हस्तशिल्प/ हस्तकरघा– कारीगरों के लिए सहायता	
	i) For replacement of damaged tools/ equipment	**Rs. 4,100** per artisan for equipments. - Subject to certification by the competent authority designated by the Government about damage and its replacement.
	(i) क्षतिग्रस्त उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए	₹ 4,100/– प्रति शिल्पी बशर्त्ते यह क्षति/ प्रतिस्थापन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाणित हो।
	ii) For loss of raw material/ goods in process/ finished goods	**Rs. 4,100** per artisan for raw material. - Subject to certification by Competent Authority designated by the State Government about loss and its replacement.
	(ii) कच्चे माल/ प्रकियाधीन माल/ तैयार माल के क्षति के लिए	₹ 4,100/– प्रति शिल्पी कच्चे माल के लिए बशर्त्ते यह क्षति/ प्रतिस्थापन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाणित हो।
9	**HOUSING/** अवास/मकान	
	a) **Fully damaged/ destroyed houses**	
	i) Pucca house ii) Kutcha House	Rs. 95,100/- per house, in plain areas. Rs. 95,100/- प्रति मकान, मैदानी क्षेत्रों के लिए
	(क) पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकान	Rs.1,01,900/- per house, in hilly areas

	(i) पक्का मकान (ii) कच्चा मकान	including Integrated Action Plan (IAP) districts. **Rs.1,01,900/- प्रति मकान, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए,** आई०ए०पी० जिलो सहित
	b) **Severely damaged houses**	
	i) Pucca House ii) Kutcha House	
	(ख) अत्यधिक क्षतिग्रस्त मकान	
	(i) पक्का मकान (ii) कच्चा मकान	
	(c) **Partially Damaged Houses –**	
	(i) Pucca (other than huts) where the damage is a at least 15%	**Rs. 5,200/-** per house
	(ii) Kutcha (other than huts) where the damage is a at least 15%	**Rs. 3,200/-** per house
	(ग) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान ।	
	(i) पक्का (झोपड़ी को छोड़कर) जहाँ मकान की क्षति न्यूनतम 15% हो	₹ 5,200/– प्रति मकान
	(ii) कच्चा (झोपड़ी को छोड़कर) जहाँ मकान की क्षति न्यूनतम 15% हो	₹ 3,200/– प्रति मकान
	d) **Damaged / destroyed huts:**	**Rs. 4,100/-** per hut, *(Hut means temporary, make shift unit, inferior to Kutcha house, made of thatch, mud, plastic sheets etc. traditionally recognized as hut by the State/ District authorities.)* *Note*: -The damaged house should be an authorized construction duly certified by the Competent Authority of the State Government
	(घ) क्षतिग्रस्त /बर्बाद झोपड़ी	₹ 4,100/– प्रति झोपड़ी (झोपड़ी का मतलब– अस्थायी, बनाकर हटाने वाला ईकाई, कच्चा मकान का आंतरिक भाग, फूस, गीली मिट्टी, प्लास्टिक शीट्स से बना राज्य/ जिला के अधिकारियों द्वारा पारंपरिक रूप से दिखने, पहचानने और जानने योग्य झोपड़ी है) टिप्पणी: क्षतिग्रस्त मकान राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से प्रमाणित एक प्राधिकृत संरचना होनी चाहिए।
	e) Cattle shed attached with house	**Rs.2,100/-** per shed.
	(ङ) घर के साथ संलग्न पशु शेड	₹ 2,100/– प्रति पशु शेड

D:\2015\Mandar 2015\New Mandar letter 2015-2020 (With English).doc

10	INFRASTRUCTURE/ अधारभूत संरचना	
	Repair/restoration (of immediate nature) of damaged infrastructure: (1) Roads & bridges (2)Drinking Water Supply Works, (3) Irrigation, (4) Power (only limited to immediate restoration of electricity supply in the affected areas), (5) Schools, (6) Primary Health Centres, (7) Community *assets owned by Panchayat.* Sectors such as Telecommunication and Power (except immediate restoration of power supply), which generate their own revenues, and also undertake immediate repair/ restoration works from their own funds/ resources, are excluded.	**Activities of immediate nature :** Illustrative lists of activities which may be considered as works of an immediate nature are given in the enclosed **Appendix.** ***Assessment of requirements :*** Based on assessment of need, as per States' costs/ rates/ schedules for repair, by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF). - As regards repair of roads, due consideration shall be given to Norms for Maintenance of Roads in India, 2001, as amended from time to time, for repairs of roads affected by heavy rains/floods, cyclone, landslide, sand dunes, etc. to restore traffic. For reference these norms are • Normal and Urban areas: upto 15% of the total of Ordinary Repair (OR) and Periodical Repair (PR) . • Hills: upto 20% of total of OR and PR. • In case of repair of roads, assistance will be given based on the notified Ordinary Repair (OR) and Periodical Renewal (PR) of the State. In case OR & PR rate is not available, then assistance will be provided @ Rs 1 lakh/km for state Highway and Major District Road and @Rs. 0.60 lakh/km for rural road. The condition of "State shall first use its provision under the budget for regular maintenance and repair" will no longer be required, in view of the difficulties in monitoring such stipulation, though it is a desirable goal for all the States. • In case of repairs of Bridges and Irrigation works, assistance will be given as per the schedule of rates notified by the concerned States. Assistance for micro irrigation scheme will be provided @ Rs. 1.5 lakh pe damaged scheme. Assistance for restoration of damaged medium and large irrigation projects will also be given for the embankment portions, on par with the case

		of similar rural roads, subject to the stipulation that no duplication would be done with any ongoing schemes. • Regarding repairs of damaged drinking water schemes, the eligible for assistance @ Rs 1.5 lakh/damaged structure. • Regarding repair of damaged primary and secondary schools, primary health centres, Anganwadi and community assets owned by the Panchayats, assistance will be given @ Rs 2 lakh/damaged structure. • Regarding repair of damaged power sector, assistance will be given to damaged conductors, polets and trasfrormers upto the level of 11 kV. The rate of assistance will be @ Rs. 4000/poles, Rs 0.50 lakh per km of damaged conductor and Rs. 1.00 lakh per damaged distribution transformer.
	अधारभूत संरचनाओं का मरम्मति/पुनर्स्थापन (तत्काल प्रकृति के) (1) सड़क और पुल (2) पेय जलापूर्ति कार्य (3) सिंचाई, (4) उर्जा (प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल विद्युत आपूर्ति पुनर्स्थापित करने तक ही सीमित), (5) विद्यालय, (6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (7) पंचायत की सामुदायिक परिसम्पतियॉ। Telecommunication और उर्जा जैसे Sectors (तत्काल विद्युत आपूर्ति के पुनःस्थापन को छोड़कर) जो अपना राजस्व अर्जत करते हैं और तत्काल मरम्मति पुनः स्थापन कार्य अपनी निधि/ स्रोत से करते हैं वे सहायता पाने से वर्जित (excluded) है।	**तत्कालिक प्रकार के क्रियाकलाप :** तत्कालिक प्रकृति के कार्यो (Work of an immediate nature) की सूची संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है। **आवश्यकताओं का आंकलन :** आवश्यकताओं के आकलन पर राज्यों की लागत/ दर के आधर पर मरम्मति हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा सिफारिश किया जायेगा एवं एन0डी0आर0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जायेगा। ➢ सड़कों की मरम्मति के संबंध मे भारत में सड़क मरम्मति नॉर्मस 2001 में निर्धारित रख–रखाव के मानदंड के अनुरूप भारी बारिस/ बाढ़/ चकवात/ भूस्खलन/ रेत टिला आदि के दौरान यातायात बहाल करने के लिए निम्न मानदंडों का पालन किया जाय: • सामान्य एवं शहरी क्षेत्र : कुल सामान्य मरम्मति (Ordinary Repair) एवं चकिय मरम्मति (Periodic Repair) का अधिकतम 15 प्रतिशत • पहाड़ी क्षेत्र– कुल सामान्य मरम्मति (Ordinary Repair) एवं चकिय मरम्मति (Periodic Repair) का अधिकतम 20 प्रतिशत

		• सड़कों की मरम्मति के मामले में सहायता अधिसूचित साधारण मरम्मत (OR) राज्य के आवधिक नवीकरण (PR) के आधार पर दिया जाएगा। यदि OR एवं PR दर उपलब्ध नहीं है तब सहायता राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला रोड के लिए रू0 1.00 लाख/कि0मी0 एवं ग्रामीण सड़कों के लिए रू0 0.60 लाख/कि0मी0 की दर से दिया जाएगा। राज्य पहले अपने बजट प्रावधान में नियमित रख–रखाव एवं मरम्मति के लिए उपबंधित राशि का उपयोग करेगा। तत्पश्चात राशि का मांग किया जा सकेगा। • पुल एवं सिंचाई के कार्यों में मरम्मति के मामले में सहायता संबंधित राज्यों द्वारा अधिसूचित दर अनुसूची के अनुसार दिया जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए सहायता रू0 1.50 लाख प्रति परियोजना दिया जाएगा। क्षतिग्रस्त मध्यम एवं बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की बहाली के लिए भी सहायता तटबंध भाग के लिए दिया जाएगा। इसी तरह ग्रामीण सड़कों के मामलों में भी सहायता दिया जाएगा, परन्तु किसी परियोजना के मामलों में दोहराव नहीं किया जाएगा। • क्षतिग्रस्त पेयजल की योजनाओं के मामले में मरम्मत हेतु सहायता रू0 1.50 लाख प्रति क्षतिग्रस्त संरचना अनुमान्य होगा। • क्षतिग्रस्त प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, पंचायतों के स्वामित्व वाले आंगनबाड़ी और समुदाय की सम्पति की मरम्मति हेतु सहायता रू0 2.00 लाख प्रति क्षतिग्रस्त संरचना दिया जाएगा। • क्षतिग्रस्त विद्युत क्षेत्र के मामले में मरम्मत हेतु सहायता 11 KV के ट्रांसफॉर्मर, क्षतिग्रस्त कन्डक्टर, एवं पोल के लिए दिया जाएगा। सहायता की दर रू0 4,000 प्रति पोल, क्षतिग्रस्त कन्डक्टर के लिए रू0 0.50 लाख प्रति कि0मी0 तथा क्षतिग्रस्त वितरण ट्रांसफॉर्मर के लिए रू0 1.00 लाख प्रति ट्रांसफॉर्मर देय होगा।
11.	**PROCUREMENT/ खरीद**	

		SDRF.
	आपदा प्रबंधन हेतु आवश्यक खोज, बचाव, निष्कासन के उपकरण एवं संचार उपकरणों सहित का क्रय	➢ राज्य स्तरीय कार्यकारणी समिति के आंकलन के अनुसार सिर्फ एस0डी0आर0एफ0 से ही (एन0डी0आर 0एफ0 से नहीं) खर्च का वहन किया जाएगा। ➢ कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12	**Capacity Building / क्षमता निर्माण**	Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not from NDRF), as assessed by the State Executive Committee (SEC) - The total expenditure on this item should not exceed 5% of the annual allocation of the SDRF.
		➢ राज्य स्तरीय कार्यकारणी समिति के आंकलन के अनुसार सिर्फ एस0डी0आर0एफ0 से ही (एन0डी0आर 0एफ0 से नहीं) खर्च का वहन किया जाएगा। ➢ कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Note: (i) The State Governments are to take utmost care and ensure that all individual beneficiary-oriented assisace is necessary/ mandatory disbursed through the bank account (viz; Jan Dhan Yojana etc.) of the beneficiary.

3. पूर्व की भांति वर्त्तमान में केन्द्रीय मानदर के क्रमांक 1 (ड) के आलोक में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के बीच मुफ्त खाद्यान्न के रूप में 1 क्वींटल खाद्यान्न (50 किलोग्राम गेहूँ एवं 50 किलोग्राम चावल) के अतिरिक्त 3000/– (तीन हजार) रूपये नगद अनुदान मद में दिया जाएगा।

4. भारत सरकार के पत्र सं0–32–7/2014 एन0डी0एम0–1 दिनांक–08.04.2015 द्वारा निर्धारित मानदर विभागीय अधिसूचना संख्या 1418 दिनांक 17.04.2015 द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्रकृति की आपदाओं (Local Disaster) यथा– वज्रपात (Lightning), लू (Heat wave), अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना (Boat Tragedies), नदियों/तालाबो/ गड्ढों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा– सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना के घटित होने की दशा मे भी उपरोक्त मानदर जो 2015 से

2020 तक के लिए है वह राज्य में दिनांक--01.04.2015 के प्रभाव से लागू होगा तथा एस0डी0आर0एफ0 / एन0डी0आर0एफ0 से उसी के अनुरूप व्यय किया जायेगा।

5. पूर्व में निर्गत मानदर सबंधी सभी आदेश निरस्त समझा जाय।

6. यदि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा किसी मद का मानदर भारत सरकार के मानदर से अधिक निर्धारित किया जाता है अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई मद स्वीकृत किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मदो की सूची में नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मानदर / मद ही प्रभावित होंगे।

26/5

(व्यास जी)

प्रधान सचिव

APPENDIX
(Item No. 10)
Illustrative list of activities identified as of an immediate nature.

1. Drinking Water Supply :
i) Repair of damaged platforms of hand pumps/ring wells/ spring-tapped chambers/public stand posts, cisterns.
ii) Restoration of damaged stand posts including replacement of damaged pipe lengths with new pipe lengths, cleaning of clear water reservoir (to make it leak proof).
iii) Repair of damaged pumping machines, leaking overhead reservoirs and water pumps including damaged intake – structure, approach gantries/jetties.

2. Roads
i) Filling up of breaches and potholes, use of pipe for creating waterways, repair and stone pitching of embankments.
ii) Repair of breached culverts.
iii) Providing diversions to the damaged/washed out portions of bridges to restore immediate connectivity.
iv) Temporary repair of approaches to bridges/embankments of bridges., repair of damaged railing bridges, repair of causeways to restore immediate connectivity, granular sub base, over damaged stretch of roads to restore traffic.

3. Irrigation :
i) Immediate repair of damaged canal structures and earthen/masonry works of tanks and small reservoirs with the use of cement, sand bags and stones.
ii) Repair of weak areas such as piping or rat holes in dam walls/ embankments.
iii) Removal of vegetative material/building material/debris from canal and drainage system.
iv) Repair of embankments of minor, medium and major irrigation projects.

4. Health :
Repair of damaged approach roads, buildings and electrical lines of PHCs/ community Health Centres.

5. Community assets of Panchayat
a) Repair of village internal roads.
b) Removal of debris from drainage/sewerage lines.
c) Repair of internal water supply lines.
d) Repair of street lights.
e) Temporary repair of primary schools, Panchayat ghars, community halls, *anganwadi*, etc.

6. Power: Poles/ conductors and transformers upto 11 kv.

*****

तत्कालिक प्रकृति के कार्यो (कार्यकलापों) की विस्तृत सूचीः–

1. पेय जलापूर्तिः
   - I. हैन्डपम्पों के क्षतिग्रस्त चबूतरों /रिंगवेल्स/स्प्रिंग–टैप्ड चेम्बर्स/पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट/ जल–कुण्डों (Cisterns) की मरम्मति।
   - II. क्षतिग्रस्त पाईप लेन्थ (नई पाईप लेन्थ, स्वच्छ जलाशय की सफाई सहित) के प्रतिस्थापन सहित क्षतिग्रस्त स्टैण्ड पोस्ट का पुनःस्थापन (लीक प्रूफ बनाने हेतु)।
   - III. क्षतिग्रस्त पंपिंग मशीन, चूने वाले जलाशय और वाटर पंप (क्षतिग्रस्त इनटेक सहित) की मरम्मति।
2. सड़कः
   - I. दरार (Breaches) और सड़क के गड्ढे को (Potholes) भरना, जलमार्ग बनाने हेतु पाईप का उपयोग, तटबंधें की मरम्मति और स्टोन पीचिंग।
   - II. दरारयुक्त टूटे पुलियों की मरम्मति।
   - III. तत्कालिक सम्पर्क स्थापित करने हेतु क्षतिग्रस्त/बह गए पुलों के अंश भाग पर दिक् परिवर्तन (Diversion) बनाना।
   - IV. तत्कालिक सम्पर्क स्थापित करने हेतु पुल/पुल के तटबंधों के समीप अस्थायी मरम्मति, क्षतिग्रस्त रेलिंग ब्रीज की मरम्मति/काउजवेज (Causeways) की मरम्मति कराना/यातायात को पुनः स्थापित करने हेतु क्षतिग्रस्त सड़क पर छाई बिछाना।
3. सिंचाईः
   - I. क्षतिग्रस्त नहर संरचनाओं की तत्कालिक मरम्मति और नहरों और छोटे जलाशयों का मिट्टी, सीमेंट, बालू के बोरों एवं पत्थरों से किया जाने वाला मिट्टी/राज मिस्त्री का कार्य।
   - II. बंध/तटबंध के कमजोर स्थलों पर (यथा पाईपींग या रैट होल्स) की मरम्मति।
   - III. नहर और जल निकासी तंत्र से वनस्पति सामग्री/मकान बनाने की सामग्रियाँ/मलबों का बाहर निकालना।
   - IV. शूक्ष्म, मध्यम एवं वृहत सिंचाई परियोजनाओं के तटबंधों की मरम्मति।
4. स्वास्थ्यः

क्षतिग्रस्त पहुँचाव पथों/भवनों और लोक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की मरम्मति।

5. पंचायतों की सामुदायिक परिसम्पत्तियाँः

(क) गाँव के आंतरिक सड़को की मरम्मति।
(ख) Drainage/Sewerage से मलबों को हटाना।
(ग) आंतरिक जलापूर्त्ति लाईन की मरम्मति।
(घ) स्ट्रीट लाईट की मरम्मति।
(ङ) प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत भवनों, सामुदायिक हॉल, आंगनबाड़ी केन्द्रों इत्यादि की अस्थायी मरम्मति।

6. ऊर्जा : पोल/ कन्डक्टर एव 11 केवी के ट्रांसफॉर्मर।

7- The assistance will be considered as per the merit towards the following activities:

	Items/ Particulars	Norms of assistance will be adopted for immediate repair
i)	Damage primary school building Higher secondary/ middle/ college and other educational	Up to Rs. 1.50 lakh/unit
ii)	Primary Health Centre	Upto Rs. 1.50 lakh/unit
iii)	Electric poles and wires etc.	Nomative cost (upto Rs 4000 per pole and Rs 0.50

vi)	Rural road/bridge	Rs. [illegible] lakh/km
vii)	Drinking water scheme	Upto 1.50 lakh/unit
viii)	Irrigation Sector: Minor irrigation schemes/Canal Major irrigation scheme Flood control and anti Erosion Protection work	 Upto Rs. 1.50 lakh/scheme Not covered Not covered
ix)	Hydro Power Project/HT Distribution systems/Transformers and sub stations	Not covered
x)	High Tension Lines (above 11 kv)	Not covered
xi)	State Govt. Buildings viz. departmental/office building, departmental/residential quarters, religious structures, patwarkhana, Court premises play ground, forest bungalow property and animal/bird sanctuary etc.	Not covered
xii)	Long terms/Permanent restoration work incentive	Not covered
xiii)	Any new work of long term nature	Not covered
xiv)	Distribution of commodities	Not covered (however, there is a provision for assistance as GR to families in dire need of assistance after a disasters).
xv)	Procurement if equipments/machineries under NDRF	Not covered
xvi)	National Highways	Not covered (Since GOI born entire expenditure towards restoration works activities)
xvii)	Fodder seed to augment fodder production	Not covered

* If OR & PR rates are not provided by the State.

D:\2015\Mandar 2015\New Mandar letter 2015-2020 (With English).doc Page 21

9.5 अन्य श्रोत (Other Options) : इसके अतिरिक्त बीमा निगम के विभिन्न योजना तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा राहत कोष में प्राप्त निधि को इन कार्यो में उपयोग किया जा सकता है।

= = = = = =

अध्याय–10

अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण

MONITORING, EVALUATION & UPDATION

निगरानी और मूल्यांकन महत्वपूर्ण कार्यो में से एक है। यह किसी भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन विशेष रूप से आपदा प्रबंधन योजना जैसी महत्वपूर्ण विषय की गुणवत्ता का वृद्धि करता है। प्रत्येक योजना में परिकल्पित (Envisaged) लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उस योजना के क्रियान्वयन काल में इसका सतत् अनुश्रवण अत्यंत आवश्यक है।

यदि भविष्य में भी या पुनः इसी योजना को क्रियान्वित करनी पड़े तो पूर्व में क्रियान्वित योजना का मूल्यांकन कर यह जाना जा सकता है कि किस हद तक परिकल्पित लक्ष्यों, उद्देश्यों को हासिल किया गया। अतः सतत् क्रियान्वित होने वाली योजना का समय–समय पर मूल्यांकन तथा अद्यतनीकरण जरूरी एवं लाभप्रद होता है। जिला आपदा प्रबंधन योजना बार–बार घटित होने वाली आपदा से जनता को अक्षुण रखने तथा आपदा जोखिम में उत्तरोत्तर कमी लाने के उद्देश्य से क्रियान्वित होने वाली योजना है। अतः इसका सतत् अनुश्रवण, निश्चित अंतराल पर मूल्यांकन तथा अद्यतनीकरण किया जायेगा। इस योजना की निगरानी और मूल्यांकन संबंधित विभागों/संस्थाओं आदि के साथ कई स्तरों पर किया जाएगा।

10.1 योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन (Guidelines for Monitoring & Evaluation of the Plan) : योजना का सतत् अनुश्रवण एवं आवर्ती मूल्यांकन के लिए निम्नांकित चरणवद्ध कार्रवाई की जायगा–

10.1.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धारायें :–

31(4) – जिला योजना का वार्षिक पुनर्विलोकन (Review) किया जायेगा और अद्यतन (Update) किया जायगा।

31(5) – उपधारा(2) और उपधारा(4) में निदिंष्ट जिला योजना की प्रतियाँ जिले में सरकारी विभागों को उपलब्ध कराई जायगी।

31(6) – जिला प्राधिकरण जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा जिसे यह राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

31(7) – जिला प्राधिकरण समय–समय पर, योजना के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा और जिले में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा जिन्हें वह कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझें।

धारा 32 – जिला स्तर पर भारत सरकार और राज्य सरकार का प्रत्येक कार्यालय और स्थानीय जिला पदाधिकारी जिला प्राधिकरण के अधीन रहते हुये–

(ग) योजना का नियमित रूप से पुनर्विलोकन (Review) करेंगें और उसे अद्यतन (Update) करेंगें।

10.1.2 योजना क्रियान्वयन का नियमित पुनर्विलोकन :– अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अनुश्रवण से यह जाना जा सकता है कि निर्धारित अनुदेशों का किस हद तक पालन हो रहा है अथवा उपेक्षा हो रही है। वहीं मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यक्रम की सफलता तथा उसकी उपयोगिता की जानकारी होती है कुछ आपदाओं के घटित होने की संभावना वर्ष के किसी खास माह में प्रबल रूप से घनीभूत होती हैं और कुछ आपदायें बिना किसी पूर्व सूचना/आभास के अचानक घटित हो जाती है। दोनों तरह की आपदाओं की जोखिम आकलन, पूर्व तैयारी, मोचन, पुनप्राप्ति के लिए पूर्व के अनुभव तथा क्षति ब्योरा का सहारा लिया जाता है। भूतकाल के अच्छे प्रयासों को पुनः दुहराया जाता है तथा अप्रभावी प्रयासों को तिरस्कृत किया जाता है।

प्रत्येक घटित आपदा से उबर जाने के पश्चात् इसका दस्तावेजीकरण करते समय प्रभावी तथा निष्प्रभावी दोनो तरह के प्रयासो की विवेचना की जानी चाहिये । इन समीक्षा दस्तावेजों के आलोक में प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में योजना का पुनर्मूल्यांकन तथा अद्यतनीकरण किया जाना श्रेयस्कर होगा।

10.1.3 भीषण आपदा के समय योजना का प्रभावशीलता की जाँच :– प्रभावशीलता (Effectiveness) किसी कार्यक्रम की सफलता की दर होती है, जबकि कार्यक्रम की प्रभावशीलता तथा प्रयासो (Efforts) का अनुपात सक्षमता (Efficiency) का संकेत देता है। प्रत्येक प्रचंड आपदा से निबटने के उपरांत आपदा विशेष से निबटने हेतु योजना में किये गये प्रावधानों की प्रभावशीलता का गहन मूल्यांकन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस मूल्यांकन से यह जाना जा सकता है कि कौन से उपाय, उपस्कर या कार्यविधि आपदा मोचन, पुनप्राप्ति या पुनर्स्थापन कार्यो में अधिक सक्षम एवं कारगर साबित हुयें है। भविष्य की आपदा प्रबंधन योजना में इन अनुभवों को बेहिचक दुहराया जा सकता है अथवा अन्य किसी आपदा प्रभावित समतुल्य स्थल पर भी इन्हें दुहराया जा सकता है। ठीक इसी तरह यदि कोई उपाय उपस्कर या क्रियाविधि कारगर साबित नहीं होते है या आपदा की विभिषिका को घटाने की बजाय बढ़ा देते है तो भविष्य के लिए या समतुल्य अन्य स्थल के लिए आपदा प्रबंधन योजना में उसे प्रतिबंधित करने पर भी विचार किया जाना चाहिये।

10.1.4 जिला स्तर पर उपलब्ध संसाधन (निजी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा अन्य) सूची को अद्यतन करना :– जिला अंतर्गत कार्यरत राज्य अथवा केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य औद्योगिक, सैन्य एवं असैनिक प्रतिष्ठानों के कर्मठ कर्मी एवं पदाधिकारी स्कूल तथा कॉलेज के छात्र–छात्रा तथा शिक्षक–प्राध्यापक, अस्पतालों एवं निजी नर्सिंग होम में कार्यरत चिकित्सा कर्मी और पारा मेडिकल कर्मी इत्यादि के बीच से ही आपदा के दौरान सहायता करने के लिए प्रथम प्रत्युत्तरदाता (First Responder) तैयार किये जा सकते हैं। इनमें से चुने हुये कर्मियो/स्वयसेवकों को आपदा मोचन की विभिन्न कार्यो में सहयोग हेतु प्रशिक्षित कर उनकी सूची योजना के परिशिष्टों में उपलब्ध रहनी चाहिये। इसी प्रकार आपदा मोचन में सहायक विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े उपस्करों की सूची भी योजना के परिशिष्ट पर संधारित रहनी चाहिये। समय–समय पर कर्मियों का स्थानान्तरण होने या सेवानिवृत होने के कारण पुराने प्रशिक्षित कर्मी की जगह नये पूर्व प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित कर्मी उनका स्थान ग्रहण करते है। उपस्करों में भी नये की खरीद तथा पुराने अनुपयोगी उपस्कर का निपटान किया जाता है। अतः इस संसाधन सूची को भी नियमित रूप से अध्यतन करना जरूरी है।

10.1.5 नियमित मॉकड्रील तथा प्रयास द्वारा योजना की प्रभावकता की जाँच (Regular Mock-drills & Exercises to Test Efficacy of the Plan) :– योजना में परिकल्पित परिस्थिति विशेष में प्रभावी उपायों/उपस्करों की वास्तविक प्रभावकता वास्तविक आपदा के दौरान अक्षुण बनी रहे इस उद्देश्य से यह जरूरी है कि वास्तविक आपदा घटित होने के पूर्व एक परिकल्पित आपदा की परिस्थितियों में सभी हितभागियों के लिए निर्धारित उत्तरदायित्वों के बीच समन्वय हासिल करने को एक या अधिक बार मॉकड्रील तथा पूर्वाभ्यास किया जाय। इस पूर्वाभ्यास के दौरान समन्वय में तथा उपस्करों की प्रभावकता में त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर इसे दूर करने का प्रयास सफलतापुर्वक किया जा सकता है तथा पुर्वाभ्यास की पुनरावृति कर इसके प्रभावकता की पुनः जाँच भी कर ली जा सकती है। ऐसा करते रहने से आकस्मिक आपदा के दौरान उससे निबटने के लिए ट्रिगर मेकेनिज्म तथा परस्पर निर्भर उत्तरदायित्वों का समन्वय सर्वोत्तम तरीके से कार्य करता है। योजना की सफलता की गांरटी सुनिश्चित करता है।

10.1.6 योजना क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों का नियमित उन्मुखीकरण तथा प्रशिक्षण (Regular Training of Officials for Plan Implementation of Plan) :– जिलान्तर्गत आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी सरकारी तथा गैर सरकारी पदाधिकारियों का नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में एक उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

10.1.7 योजना का अद्यतनीकरन (Updation of Plan) :— जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र आपदा संबंधी सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन, संधारण तथा विश्लेषण का कार्य करेगी। भीषण आपदाओं के दौरान कार्यान्वित आपदा प्रबंधन योजना की प्रभावशीलत तथा प्रयासो की सक्षमता का मूल्यांकन दस्तावेज (Documentation) के आधार पर सबसे अधिक सक्षम आपदा मोचन एवं शमनीकरण कार्यक्रमों जिसमे लागत के रूप में कम से कम धन, समय, मानव संसाधन आदि लगाना पड़ा हो, उसे प्राथमिकता प्रदान करते हुये योजना को अद्यतन करने का कार्य किया जायेगा।

10.1.8 योजना की प्रतियों का वितरण (Circulation) :— सभी हितधारकों को योजना के प्रति उपलब्ध कराते हुये उन्हें उनके उत्तरदायित्वों तथा भूमिका के संबंध में जागरूक करने का कार्य सतत् जारी रखा जायेगा। पंचायत प्रखंड तथा जिला स्तर पर सक्रिय हितभागियों के लिए समय—समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त दूरसंचार माध्यमों के सहारे भी आपदा के पूर्व सूचना के साथ क्या करें और क्या न करें इस बात की जानकारी प्रसारित की जायेगी।

10.1.9 समन्वय (Co-ordination) :— सभी हितभागी एजेसियों/विभागों के नोडल पदाधिकारियों के बीच आपसी समन्वय बनाये रखना प्रभावी आपदा मोचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अद्यतन बनाये रखने का सभी उपक्रम प्राथमिकता के तौर पर किये जायेगें। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर गठित आपातकालीन संचालन दल के मुखिया (Commander) जवाबदेह होगें दल में शामिल सदस्य कमांडर के निर्देशो का पालन करेगें।

10.1.10 जन जागरूकता (Public Awareness) :— जिला आपदा प्रबंधन योजना को जिला के वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा । इसके परिशिष्टों की सूची से परिशिष्टों के विवरण को लिंक कर दिया जायेगा। आपदा की सूचना इंटरनेट द्वारा जिला के वेबसाईट पर दर्ज करने तथा वहीं आपदा की स्थिति में स्व सुरक्षा तथा सामूहिक सुरक्षा के लिए बरती जाने वाली सावधनियों का प्रमुखता से उल्लेख किया जायेगा।

= = = = = =